खण्ड-262, अंक-4
मंगलवार, 12 माघ, शक संवत् 1887
(1 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

TURE LIBRARY
16 JUN 1966
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम ववकन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटर म, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाले दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमन्त्री, डाक्टर रामलखन पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लघु उद्योग सम्बन्धी ऋण वितरण व्यवस्था

**१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई इस प्रकार के जिलों में आर्डर गये हैं कि लघु उद्योग धन्धों के लिये कर्जा एवं अनुदान सरकार द्वारा मनोनीत कमेटी की सिफारिशों पर दिया जाता था, न दिया जा कर कलेक्टर द्वारा वितरित किया जाया करेगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों, किन आधारों पर किया गया और कब किया गया ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी हां ।

यह इस कारण किया गया है कि लेखा परीक्षा और लोक लेखा समिति ने बार-बार ऋणों के दुरुपयोग और अपर्याप्त वसूली की अवहेलना की थी और यह जरूरी समझा गया कि ऋणों के उचित वितरण तथा उसकी वसूली की जिम्मेदारी पूर्णरूप से जिलाधीश पर रहे ।

यह आदेश ७ जनवरी, १९६६ को जारी किये गये हैं ।

श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि वह कमेटी केवल रिकमेंडिंग कमेटी थी और केवल उन केसेज को रिकमेन्ड करती थी जो केसेज डी० आई० और डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर या उनके जरिये तहसीलदार द्वारा रिकमेन्ड किये जाते थे और देने या न देने का अधिकार डी० आई० ओ० या कलक्टर को ही होता था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इतना सही है कि इसका अन्तिम अधिकार जिलाधीश को ही होता था लेकिन एडवाईजरी कमेटी थी जिसमें माननीय मेम्बर होते थे और लोग भी मेम्बर होते हैं । इस कमेटी का यह काम था कि वह सलाह दे तथा यह देखे कि जितना ऋण दिया गया है उसका सही उपयोग कराये । जब यह देखा गया कि केवल ३० प्रतिशत ऋण का ही उपयोग हुआ है तो जिलाधीश से पूछा गया । उन्होंने यह कहा कि ऋण उन्हीं को दिया जाता है जिनके लिये कमेटी सलाह देती है इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है । इस उत्तर पर मुख्य मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके लिये जिलाधीश को ही जिम्मेदार ठहराया जाय कि उसका रुपया ठीक बंटे ।

श्री छत्रपति अम्बेश—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब अधिकार उनको ही रहता था अन्त में ऋण देने का तो कमेटी तो एडवाईजरी कमेटी थी, उसका फन्कशन केवल एडवाईजरी था और वह केवल उन केसेज को ही रिकमेंड करती थी जो केसेज डी० आई० ओ० या कलेक्टर रिकमेन्ड करने के लिये कमेटी के सामने प्रस्तुत करते थे । और इनके बाद में जमानत या अन्य प्रकार के कर्ज देने के समय कार्यवाहियां की जाती थीं वे भी कर ली जाती थीं । तो कौन सा कारण था जिससे हम मेम्बर्स अयोग्य समझे गये कि इनके द्वारा की गई सिफारिश अनुचित है और कलेक्टर उसके लिये जिम्मेदार नहीं था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को अयोग्य समझे जाने की बात नहीं है । लेकिन यह समझा गया कि उनको जनता में काम करना होता है इसलिये उनको उस जिम्मेदारी से दूर रखा जाय । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिलाधीश को अधिकार था ही, बाद में भी जिलाधीश को अधिकार है । फिर तो कोई अन्तर हुआ नहीं । ऐसा नहीं था कि माननीय सदस्य वही करते थे जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स सिफारिश करते थे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डी० आई० ओ० की रिकमेन्डेशन पर है, उसके बाद एक सब कमेटी जिसमें कलेक्टर स्वयं मौजूद होते थे वे तमाम रिकमेन्डेशन की जांच करते थे और रिकमेन्ड करते थे कि किस आदमी को कितना कितना धन दिया जायगा । उसके बाद ये तमाम रिकमेन्डेशन एक कमेटी के अन्दर पेश होती थी जिसके अन्दर तमाम एम० एल० एज० और एम० पीज मैम्बर होते थे और उसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते थे । हम लोग इतना करते थे कि जो अयोग्य व्यक्ति उनकी रिकमेन्डेशन को रद्द करते थे । इन तमाम चीजों के होते हुये यह जो मौजूदा कार्यवाही की गई है उसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने बड़े विस्तारपूर्वक बताया कि यह कमेटी नये नाम एड नहीं करती थी । श्रीमन्, मुझे भी इस कमेटी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वह कमेटी ऐसा कोई नाम नहीं ले सकती थी जिसकी सिफारिश न की गई हो । उनका अधिकार था जहां माननीय सदस्य ठीक समझते थे वह नाम भी बढ़ाते थे जिसको वे गलत समझते थे वह घटाते थे । यदि सब हकार कमेटी स्टाम्प लगा दे जो डी० आई० ओ० भेजे तो वह काम पूरा होता नहीं था । जैसा मैंने अर्ज किया कि जिलाधीश को स्वयं अधिकार था । जिलाधीश समझते थे कि वह एडवाईजरी कमेटी थी ही । वह स्वतंत्रता से काम नहीं ले पाते है । वैसे भी हमको जिम्मेदार ठहराते हैं तो हमको भी अधिकार दे दीजिये ताकि ऋण की वसूली हो सके उस ऋण का सदुपयोग हो सके । इसलिये जिलाधीश का अधिकार दे दिया गया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अब तक इस ऋण की वसूलयाबी न होने के क्या कारण थे और लोक लेखा समिति ने जो बड़े ऋणों के वसूल न होने के बारे में सुझाव दिये हैं उनके बारे में सरकार बांटने की क्रिया में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह प्रश्न बड़े ऋणों का नहीं है । छोटों के बारे में मैं कह चुका ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

प्रान्तीय स्तर पर भी ऐसी ही कमेटी १०,००० रुपये से ऊपर ऋणों के लिये है, तो क्या सरकार उसे भी तोड़ने का विचार रखती है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई विचार नहीं है और न कोई शिकायत आई है कि इस कमेटी ने काम ठीक से नहीं किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

ऋण के वसूल करने या अधूरे और पूरे कामों को देखने की जिम्मेदारी उद्योग विभाग के अधिकारियों पर है, तो कमेटी के सदस्यों के ऊपर झूठा आरोप लगाने की क्या वजह है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

आरोप की कोई बात नहीं है ।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

यह देखते हुये कि सारा हाउस इस आदेश के विरोध में है, क्या सरकार उसे वापिस लेने के लिये तैयार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी तो यह केवल परीक्षण किया गया है ।

श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)—

जिलाधिकारी को फिर भी किसी न किसी की सलाह लेनी होगी तो ऐसी हालत में जन-प्रतिनिधियों, विधायकों, की समिति ज्यादा अच्छी सलाह देती, इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि वह परीक्षणार्थ किया जा रहा है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

पुराने ऋणों के बारे में जिलाधीशों को कुछ आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बकाया वसूली के आदेश समय समय पर दिये जाते रहते हैं ।

श्री नर्रासिहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जिस नीति से इन कमेटियों को तोड़ा है क्या उसी नीति के अन्तर्गत सरकार जिला स्तर की तमाम कमेटीज को जहां पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव विधायक सदस्य हैं और जिलाधीश या दूसरे विभागों के अध्यक्ष प्रिसाइड करते हैं, तोड़ना चाहती है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला उद्योग समिति तोड़ी नहीं गई, वह बदस्तूर है ।

(कई सदस्य—नहीं हैं ।)

एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से सरकार ने कमेटी को अधिकार दिया था कि वह ऋण के बारे में जिलाधीश को सलाह दें, तो वह आर्डर वापस लिया है ।

श्री छत्रपति अम्बेश—

सेल्स टैक्स की वसूलयाबी के लिये भी कलेक्टर जिम्मेदार होता है तो उसकी बकाया के लिये उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई क्योंकि उसकी बकाया बहुत ज्यादा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कलेक्टर के ऊपर वसूलयाबी के तरीके की जिम्मेदारी है । किसी के ऊपर सेल्स टैक्स का रुपया मारा जाय, इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हर जगह इन सलाहकार समितियों में बहुमत कांग्रेस के सदस्यों का है और अब जो अधिकार जिलाधीशों को दिया जा रहा है वे कौन सी समितियां होंगी जिनकी सलाह पर जिलाधीश काम करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जिलाधीश इस मामले में किसी समिति की सलाह से काम नहीं करेंगे ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में बाढ़ शिविर

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ ने २६ अगस्त, १९६३ को जिले के किन-किन बाढ़ स्थानों पर शरणालय बनाने के लिये सिफारिश प्रादेशिक सरकार के पास दिया था और सरकार द्वारा किन-किन बाढ़ शिवरों को बनाने का आदेश मुख्य अभियन्ता को दिया गया ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

जिलाधीश, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक २६ अगस्त, १९६३ में प्रादेशिक सरकार से नहीं बल्कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से प्राथमिकता के अनुसार मुहम्मदपुर और नदवा सराय में शरणालय बनाने की सिफारिश की थी । सरकार ने मुख्य अभियन्ता की सिफारिश पर मुहम्मदपुर में बाढ़ शिविर बनाने का आदेश दे दिया है ।

*२---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन बाढ़ शिविरों को बनाने का आदेश दे दिया गया है, वह क्षेत्र किन-किन नदियों से प्रभावित होते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मुहम्मदपुर मगई नदी से प्रभावित होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ के जिन दो स्थानों पर बाढ़ शरणालय बनाने के आदेश दे दिये गये थे, उनमेंसे केवल मुहम्मदपुर में बनाया गया और नदवा में नहीं बनाया गया, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्राथमिकता मुहम्मदपुर को दी गयी थी और नम्बर २ पर नदवा का स्थान था । दूसरी जगह फंड्स के न होने की वजह से नहीं बनाया गया ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बातकी जानकारी हासिल करेंगे कि उसी साल बाढ़ शरणालय नदवा सराय में न बनाकर दरगाह में बनाया गया, और नदवा को काट दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे और फिर उस अधिकारी को दंड देंगे जिसने सरकार को गलत रिपोर्ट देकर गलत स्थान पर बाढ़ शरणालय बनवाया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने बाढ़ शरणालय बनाने थे और उनमें से कितने बनाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह बहुत विस्तार का सवाल है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

फरुखाबाद जिले में नलकूप चालकों के विरुद्ध कार्यवाही

*३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला फर्रुखाबाद में नलकूप आपरेटर अक्सर कुओं से अनुपस्थित रहते हैं, और चाबी किसी दूसरे व्यक्ति को दे जाते हैं, जिसके कारण अधिकांश नलकूप खराब हो जाते हैं, क्योंकि हाथिन का नलकूप आपरेटर की अनुपस्थिति के कारण ही खराब हुआ है अगर यह सही है, तो मंत्री महोदय भविष्य में कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिस से यह अव्यवस्था दूर हो सके और सरकार व काश्तकार दोनों बच सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां । परन्तु हाथिन का नलकूप, आपरेटर की अनुपस्थिति के कारण नहीं बल्कि नलकूप रक्षक को असावधानी पूर्वक चलाये जाने के कारण खराब हो गया था जोकि अब चालू हालत में है । यह व्यवस्था पहले से ही है कि जो नलकूप आपरेटर, नलकूप से अनुपस्थित पाया जाय उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय । अब इस व्यवस्था को अधिक कठोरता से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा नौकरी से हटाये जाने तक की सजायें दी जा रही हैं ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

जब यह सही है कि नलकूप आपरेटर्स कुओं से गायब रहते हैं तो फर्रुखाबाद जिले में इस अभियोग में कितने आपरेटर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

२१ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से ८ पर जुरमाना किया गया और सेंसर किये गये, ४ को सस्पेन्ड किया गया, ९ के विरुद्ध अभी कार्यवाही चल रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी ने सारे प्रदेश के आपरेटरों के लिये इस बारे में कोई खास कदम उठाना निश्चय किया है जिस से उनके गायब रहने के कारण कुयें खराब न हों ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि निकालने तक के आदेश जारी किये गये हैं ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो नलकूप खराब हुये हैं वे नलकूप आपरेटरों के गायब रहने से नहीं बल्कि नलकूप रक्षकों के कारण खराब हुये हैं, क्या नलकूप रक्षक सरकारी नौकर हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

उसको ट्रेनिंग दी गयी है, पैसा दिया जाता है, इसलिये सरकारी तो हैं ही ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी ने इस बात की कोई व्यवस्था की है कि नलकूप चालक की हाजिरी देखने के लिये किसी रजिस्टर को रख कर प्रधान वगैरह को जिम्मेदार ठहरा कर उनके हाजिर रहने के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

इस वर्ष से ब्लाक्स से उसको सम्बन्धित किया गया है और अगर नलकूप आपरेटर बाहर जायगा तो वह बी० डी० ओ० से कह कर बाहर जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां का स्थानीय आदमी जो कि उनकी हाजिरी पर ज्यादा चेक रख सकता है उसके द्वारा चेक करने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है क्योंकि बी० डी० ओ० से तो वह कह कर जा सकते हैं और यह पता नहीं चल सकता कि वह हाजिर रहते हैं या नहीं, इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि जिस से उसकी हाजिरी कुयें पर निश्चित हो जाय और स्थानीय आदमी रजिस्टर पर रोज काउन्टरसाइन किया करे ?

श्री गिरधारीलाल---

यह तो नहीं किया गया है, लेकिन बी० डी० ओ० से उनको सम्बन्धित किया गया है, इसी से मेरा इतमिनान है कि वह अपने स्थान पर रहेंगे ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

नलकूप आपरेटर्स को सीजन में बराबर नलकूप पर रात-दिन रहना पड़ता है तो क्या उनके लिये रहने का वहां कोई प्रबन्ध किया गया है ताकि वह वहां मौके पर रह सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वैसे तो नलकूपों पर आपरेटर्स के रहने की व्यवस्था नहीं है और कुछ जगह पर यह भी शिकायत है कि जंगलों में खेतों के बीच नलकूप बने हुये हैं और वहां पर अकेला आदमी अपने परिवार को ले कर रहने की स्थिति में नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी अपने २० मील से अधिक फासले पर तबादले के आदेश की रोशनी में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ५-६ नलकूप आपरेटर एक साथ सामूहिक रूप से रह सकें ताकि उनके परिवार रह सकें और वह वहां हाजिर बने रहें ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

उन्नाव जिले को गंगा के कटाव से बचाने का सुझाव

*४---श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गंगा की धारा कानपुर गंगा पुल के पास उन्नाव जिलान्तर्गत हरिहरपुर गांव की ओर बड़ी तेजी से कटती जा रही है और यदि समय रहते उचित व्यवस्था न की गई तो गंगा पर वर्तमान रेल और अन्य सवारियों तथा साधारण यातायात के दोनों पुलों के बेकार हो जाने की आशंका है ? क्या हरिहरपुर गांव में बांध बनाकर गंगा की धारा को पलटने से रोकने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह सही है कि गंगा नदी अपने बायें किनारे को हरिहरपुर के पास कानपुर रेलवे पुल के निकट काट रही है। परन्तु इस कटाव को बांध बनाकर रोकने की कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यदि इस कटाव को न रोका गया तो उन्नाव जिले के सैकड़ों गांव ध्वस्त हो जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह बात सही है कि गंगा कटाव कर रही है और यह भी सही है कि इतनी बड़ी नदी के कटाव को रोकना आसान काम नहीं है, अभी इस पर विचार हो रहा है और केन्द्र के एक्सपर्ट की एक टेक्निकल कमेटी इस विषय पर विचार कर रही है उसके सुझाव के अनुसार ही कार्य किया जायगा क्योंकि एक ओर कटाव को रोका जाता है तो दूसरी तरफ कटाव आरम्भ हो जाता है, जो कटाव अभी उन्नाव की ओर हो रहा है वह कानपुर की ओर होने लगेगा । इसलिये विचार के बाद जो चीज मेटिरियलाइज होगी वह आपके सम्मुख प्रस्तुत की जायगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस विषय में ही गंगा पर जाजमऊ के पुल की योजना स्वीकृत हो चुकी थी तो मैं जानना चाहती हूं कि यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह सड़क नेशनल हाईवेज की है और जो पुल कानपुर में प्रपोज्ड है वह बनेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार अपने इरादे को, बांध को बनाकर जिसको तीसरे पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था, पूरा करेगी ताकि यह कटाव रोका जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस पर विचार किया गया था लेकिन इसको सही नहीं समझा गया । अतः इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया ।

श्री ए० सी० ग्राइस (आंगल भारतीय)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन १९६० में जब कानपुर में पानी नहीं आ रहा था, एक कमेटी बनी थी जिसे यह विचार करना था कि किस प्रकार से उन्नाव को बाढ़ से बचाया जाय और कानपुर में पानी लाया जाय । उस समिति को बने ५ वर्ष हो गये हैं परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी और ५ साल उसमें लगेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसमें कई पार्टियां इन्वाल्व होती हैं। जब तक वे सब पार्टी एक मत न हों और एक साथ न मिलें तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उसमें रेल विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग से राय ली जाती है और एक टैक्निकल कमेटी हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया की होती है। जब वह एप्रूव कर देती है तभी कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री उग्रसेन---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि टैक्निकल कमेटी की जब यह राय है कि उन्नाव को बाढ से बचाने के लिये बांध बना दिया जाय ताकि कटाव भी बच सके और कानपुर के पावर हाउस को पानी भी मिल सके और जिसको सरकार ने भी माना है और अब सरकार कहती है इसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले के ठीक में और अब के ठीक में कितने रुपये का खर्चा होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कोई योजना गलत नहीं है। वह सर्वेक्षण की बात है। अगर इसे ठीक मान लिया गया होता तो उस पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी होती।

एटा जिला के लिए बाढ़ योजना

*५---श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के अन्तर्गत ब्लाक जलेसर के खेड़ा सराय, कुतकपुर, उमरगढ़, इमलिया, रिजावली, बागई, रामगढ़ वगैरह तथा जिला आगरा के अन्तर्गत ब्लाक कोटा के रेमजा कातिकी, नारखी नगला, डूमर वगैरह गांवों की हजारों एकड़ भूमि सरसासेंगर नदी की बाढ से गरकी में नष्ट हो जाती है और खरीफ की फसल तो बाढ़ के कारण होती ही नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां। इसी कारण खरीफ की फसल भी उत्पन्न नहीं होती।

*६---श्री शिवचरण---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त विषय में प्रश्नकर्त्ता ने तीन साल में लगातार पत्रों एवं प्रश्नों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही इस बाढ़ को रोकने के लिये की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस सम्बन्ध में प्रथम सत्र, १९६५ के ११वें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता का तारांकित प्रश्न से १२६ प्राप्त हुआ था।

चूंकि सिरसा और सेंगर नदियों के पुल कम चौड़े होने से पानी रुकता है और उन्हें चौड़ा करने से स्थिति में सुधार हो सकता है, अतः उक्त नदियों के पुलों को चौड़ा करने की योजना अस्थायी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है।

श्री शिवचरण---

सरकार के उत्तर से यह मालूम होता है कि सिरसा और सेंगुर नदियों के पुल चौड़ा करने से वहां की हानि को रोका जा सकता है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस हानि को देखते हुये क्या सरकार कोई स्थायी योजना बनाने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह तो फंड्स की बात है। अगर उपलब्ध हो गये तो अवश्य किया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, सवाल तो यह था कि नदियों की बाढ़ से भूमि का बहुतसा हिस्सा कट जाता है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर जितनी भूमि कटाव में चली जाती है उसका लगान माफ करने का आदेश देंगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वह तो रेवेन्यू विभाग खुद ही करता है और उसके पास सारी सूचनायें उसी प्रकार से उपलब्ध होती हैं, उतनी जमीन डूबी है जिसके लिये शिकायत हुई ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

वर्तमान संकट की बेला को देखते हुये, जैसा कि सरकार चाहती है कि हम अमरीका का अनाज न खायें, ऐसी सूरत में १ ००० एकड़ जमीन की फसल इस पुल के चौड़ा होने से बच जायगी तो फिर चौड़ा करने के लिये अस्थायी योजना बनाने का क्या कारण है । क्यों न स्थायी बनाया जाता है दूसरे कामों को रोक कर ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

एक पुल होता तो मैं कह देता । १९ पुल हैं, और इस तरह से उसमें रेलवे के हैं, पी० डब्लू० डी० के हैं, जिला बोर्ड के हैं । १९ पुलों को चौड़ा करने का प्रश्न है और उसके साथ और कुछ क य हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

जसा प्रश्नकर्त्ता ने बताया और आपने भी बताया कि लाखों एकड़ जमीन में फसल हर साल नष्ट हो जाती है । तो क्या मंत्री जी ऐसी योजना बनायेंगे कि इस नदी को चौड़ा और गहरा करने से यह पानी निकल जाया करे और वह फसल न मारी जाय और किसान मुक्त हो जायं इसके लिये शीघ्र से शीघ्र योजना बनायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वह तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस नदी के अन्दर सुधार करने का प्रस्ताव है और वह योजना यदि कार्यान्वित होती है तो यह होगा ।

जिन्दापुर ग्राम में नलकूप

*७---श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नम्बर ६०, गोरखपुर ग्रुप के कमान्ड के अन्तर्गत ग्राम जिन्दापुर में एक इंटरप्लेटेड ट्यूबवैल निर्माण कराने हेतु सन् १९६३-६४ में जो सर्वे कराया गया था उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं कराया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इंटरप्लेटेड ट्यूबवैल लगाने हेतु सन् १९६३-६४ में कोई सर्वे नहीं कराया गया था । अतः उसके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

*८---श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नलकूप नम्बर ६० गोरखपुर ग्रुप की दक्षिणी गूल के निर्माण में कौनसी ऐसी गलती है जिस से पानी चलते ही गूल टूट जाती है और इस गूल पर आधारित ग्राम जिन्दापुर, चिउटी जाम, डीहाघाट आदि सिंचाई से वंचित रह जाते हैं और उन्हें समयानुकूल उचित रूप में कभी भी पानी नहीं मिल पाता ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस नलकूप की दक्षिणी गूल के निर्माण में गलती नहीं है। बल्कि यह गूल अधिक भराई में जाती है और वहां की मिट्टी भूड़ है। गूल के टूटने पर उसकी मरम्मत तुरन्त ही करवा दी जाती है पर मरम्मत होने तक कुछ समय के लिये काश्तकारों को कुछ असुविधा अवश्य हो जाती है लेकिन प्रश्न में उल्लिखित गांव सिचाई से वंचित नहीं रहते हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में यह कहा गया है कि पृष्ठ में उल्लिखित गांव सिंचाई से वंचित नहीं रहते तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृपया वह बतलावें कि मौजा डीहाघाट, चिउटी, डाक महदरिया में इस साल कितने एकड़ की सिंचाई कराई गई और कितने घंटे पानी दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

चिउटी के अन्दर १५५ एकड़ कुल क्षेत्र है जिसमें कि ५२ हमारा प्रोपोज्ड है इसके अन्दर ४१ एकड़ हुई १९६१ में, १३ एकड़ हुई १९६२ में, २२ एकड़ हुई १९६३ में.....

श्री अध्यक्ष---

इस वर्ष का बताइये ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस वर्ष अभी तक १३४ घंटे हुई ३१ एकड़ पारसाल और ७ एकड़ हुई इस साल ।

कुछ सदस्य---

७ एकड़ इनकी सिंचाई है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अभी तो पूरा साल नहीं हुआ है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को स्वयं देखेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि उनके उत्तर में इस बात की खुद शिकायत है कि धूसी की जमीन आगे पड़ती है और जिसके कारण पानी आगे नहीं बढ़ता है और सिंचाई जितने कमान्ड एरिया में होनी चाहिये उतनी उन गांवों में नहीं हो पाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दोष को दुरुस्त करने के लिये मुस्तकिल आपने अभी तक क्या इन्तजाम किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मुस्तकिल इन्तजाम तो इस प्रकार से संभव नहीं है जब तक कि दूसरा ट्यूबवैल वहां बनाने की स्थिति में हम न हो जायं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यह देखते हुये कि जिस समय यह ट्यूबवैल बनाया गया था उस समय से ज्यादा उसका कमान्ड एरिया हो गया है अथवा उसका डिस्चार्ज इतना नहीं है जितना कमांड एरिया उससे सिंचित हो सके जिससे कि दूसरा ट्यूबवैल बनाने की जरूरत है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

डिस्चार्ज की कमी नहीं है .....

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि जब तक दूसरा ट्यूबवैल न बन जाय तब तक जो दिक्कतें उन्होंने बताई हैं वे रफा नहीं हो सकती और उसका कारण यह है कि कमान्ड एरिया ज्यादा है या वह पानी नहीं दे सकता ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसकी स्थिति यह है कि जमीन ऊंची-नीची है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह देखते हुये, जैसा कि फरमाया गया कि आगे कुछ दूसरे लोगों की जमीन पड़ती हैं तो क्या उस जमीन के अन्दर वह पानी नहीं ले जायेगा और उस जमीन को एक्वायर करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कोई ले जाने के लिये मना नहीं कर सकता । वह एक्वायर हो सकती है ।

श्री राम भजन (जिला खीरी)—

हमारे प्रदेश के अधिकांश नलकूपों के साइफन, नालियां और लेविल बिलकुल खराब हैं जिसके बारे में बार-बार विभागों को लिखा जाता है लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

बहुधा यह जवाब दिया जाता है कि ट्यूबवैल का स्तर नीचा है , क्षेत्र ऊपर है । इसलिये यह असुविधा होती है लेकिन गुजरात तथा मद्रास सरकार ने जहां कहीं इस तरह की परिस्थिति है वहां पर पाइप लाइनें बिछा दी हैं तो क्या उसी तरह की व्यवस्था यह सरकार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसमें व्यय इतना अधिक आता है कि चाहते हुये भी उसे नहीं कर पाते ।

श्री रामायणराय—

जहां तक मेरी जानकारी है गुजरात सरकार ने पक्की तथा कच्ची गूलों के खर्चे को वर्क-आउट करा कर देखा है और देखा यह गया कि पाइप लाइन बिछाना ज्यादा इकोनामिकल है जिसके मैं आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर माननीय सदस्य आंकड़े प्रस्तुत कर दें तो जरूर विचार किया जा सकता है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि जमीन ऊंची नीची है इसलिये पूरा कमान्ड एरिया सिंचित नहीं हो सकता तो जिस समय ट्यूबवैल बना उस समय ही जमीन ऊंची नीची थी अथवा बनने के बाद जमीन ऊंची नीची हो गयी ?

हंसी (कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

नलकूप की विशेष आवश्यकता कृषि उत्पादन के लिये होती है और समय पर उचित मात्रा में पानी न मिलने से उत्पादन में ३० प्रतिशत की कमी हो जाती है। नलकूपों के कमान्ड एरिया को ८०० एकड़ तक निश्चित किया गया है लेकिन उनसे ठीक समय पर पूरे कमान्ड एरिया में पानी उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है तो क्या सरकार ऐसी अवस्था में विचार करेगी कि उन स्थानों पर जहां नलकूप ठीक समय से पानी नहीं दे सकते वहां पर कृषकों के लिये सरकार छोटे छोटे कुवें बनवा कर सिंचाई की व्यवस्था करेगी और ट्यूबवैल की योजना को स्थगित करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वह तो हो ही रहा है और माननीय सदस्य स्वयं भी उसे जानते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में अभी यह कहा गया है कि जब तक वहां नये नलकूपों का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक यह दिक्कत रफा नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज कल गल्ले की आवश्यकता को महसूस करते हुये मुल्क में जो ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा है उसको देखते हुये और किसानों की दिक्कत को देखते हुये जो ५००/६०० एकड़ जमीन सींचने से रह जाती है उसके लिये कोई नये ट्यूबवैल की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अभी निकट भविष्य में तो आशा नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में जितने नलकूप लगे हैं उनकी व्यवस्था खराब है और शिकायत आ रही है कि वहां नलकूपों के द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती है और मंत्री जी अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं कि वह ठीक नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे अभी कह रहे थे कि वहां के लिये आपरेटर्स नहीं मिलते हैं तो क्या मंत्री जी इस स्कीम को वापस लेकर दूसरी स्कीम चालू करके व्यवस्था ठीक करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो चीजें हैं। प्राइवेट एजेंसीज को सरकार की तरफ से सब्सीडी वगैरा का काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वे पूरी तरह से आजाद हैं और बहुत से वे लोग जो अपना इंतजाम नहीं कर सकते हैं उनके लिये सरकारी ट्यूबवैल बनाने की जरूरत है। जहां तक असमर्थता और इनएफीशियेंसी की बात है और उसको बहुत कुछ ठीक किया जा रहा है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सुधार हो और बहुत कुछ सुधार हो गया है।

अलवारा झील का सर्वेक्षण

*९---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रयाग जिले की तहसील मंझनपुर की अलवारा झील के सुधार तथा विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ? तथा कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

*१०---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत एक वर्ष के भीतर सरकार द्वारा प्रयाग जिले की अलवारा झील का कोई सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं । विस्तृत सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना से लाभ के बजाय हानि होगी । अतः इसको त्याग दिया गया ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण किया गया है कि उसकी रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि झील के पानी का लेविल जमुना के फ्लड लेविल से बहुत नीचा है । इसलिये यदि जमुना में बाढ़ आयेगी तो जमुना का पानी उसमें भरा रहेगा । इससे जो जमीन नहीं डूबती है उसमे भी पानी भर जाने का खतरा बना रहेगा ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कुदरती नाला करीब ढाई तीन मील लम्बा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षक जी, मेरा निवेदन था कि आप यदि रिपोर्ट देख लेते तो आपको आसानी होती ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, वह गलत रिपोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि हजार दो हजार रुपया लगाने से जो बड़ा कार्य हो सकता है उसमें सरकारी आदमी सहयोग नहीं दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी है कि झील से जमुना तक जो ढाई तीन मील लम्बी नाली बनी हुई है जिसके द्वारा झील का अधिक पानी नदी में जाता है । यह सही है कि ४/५ साल के बाद जब जमुना में अधिक बाढ़ आ जाती है तो २ ३ दिन के लिये उसमें पानी आ जाता है और फिर खाली हो जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, अभी तो पानी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब थोड़ा पानी झील तक पहुंचता है और यदि उसको नीचा करके उसके लेविल से मिला दिया जायेगा तो थोड़ासा पानी भी जमुना में बढ़ने से झील में आजाया करेगा । यह दिक्कत है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री जी झील की तराई से ले कर मुख्य नाली जो कि लगभग एक मील की दूरी है वहां मिला देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

टैक्निकल राय इसके विरुद्ध है । माननीय शिक्षक जी लिख कर दे देंगे तो फिर मंगा लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि झील की सतह ऐसी है कि अगर झील का पानी निकालेंगे तो पानी झील में चला जायगा । क्या यह संभव नहीं है कि झील से जो नाली मिली हुई है उसमें रेगुलेटर लगा देने से बाढ़ आने पर पानी झील में न जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इतने विस्तार में मैं इस वक्त नहीं बतला सकता । टैक्निकल मामला है । यह सुझाव है । माननीय सदस्य भेजें । इसको फिर चालू कराया जायगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से ओवरसियर लोग स्थान पर न जा कर अपने कमरे में बैठ कर लिख देते हैं और उसको टैक्निकल राय पर डाला जाता है, तो जहां पर माननीय सदस्यों का इस प्रकार का आब्जेक्शन हो कि टैक्निकल राय गलत है वहां पर क्या किसी अधिकारी से माननीय सदस्य को साथ में बैठा कर स्थान दिखलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैं तो इंजीनियर हूं नहीं। किसी की राय से काम करना होगा। फिर पता लगा लेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि मान लीजिये कभी-कभी ऐसा होता है कि ओवरसियर मौके पर न जाकर अपने कमरे में बैठकर लिख देता है, तो जहां पर इस प्रकार का किसी माननीय सदस्य का आब्जेक्शन हो कि यह टैक्निकल राय गलत है वहां पर क्या उस माननीय सदस्य को साथ ले कर मौके पर दिखलायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मौके पर चलना हो तो माननीय सदस्य चलें, मैं भी चला चलूंगा और इंजीनियर भी चले चलेंगे।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री ने कहा कि मैं इंजीनियर नहीं हूं। तो क्या सरकार में इंजीनियर समाविष्ट नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने टैक्निकल राय के सम्बन्ध में कहा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय शिक्षक के प्रश्न से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ दूर तक नाली को किसानों ने तोड़ दी है। (व्यवधान) नाली पट गयी है, तो क्या मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि इस प्रकार से नाली किसानों ने पाट लिया है जिसकी वजह से पानी के आंने जाने में झंझट पड़ती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी कोई सूचना नहीं है कि पाट दी है। माननीय शिक्षक जी लिख कर दे दें तो फिर जांच हो जायगी।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं नियम ५० के अन्तर्गत आध घंटे का विवाद चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे मिल लीजिये। आप लिखकर दे दीजिये, वह हो जायगा।

नरोरा बैरज के ठेकेदारों का भुगतान

*११—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नरोरा बैराज निर्माण कार्य जिला बुलन्दशहर में सन् १९६३-६४ में ठेकेदार श्री बाबूराम, श्री बालमुकुन्द, श्री विशन चन्द्र, व श्री टंडन तथा १९६४-६५ में श्री हमीद खां, श्री रोशन लाल व श्री के० सी० पाल आदि का अभी तक अन्तिम भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सन् १९६३-६४ में काम करने वाले ठेकेदार श्री बाबू राम, श्री विशन चन्द्र व श्री श्री टंडन का अन्तिम भुगतान किया जा चुका है और श्री बाल मुकुन्द का अन्तिम भुगतान सितम्बर, १९६५ के लेखा में एडजेस्ट कर दिया गया है। सन् १९६४-६५ में काम करने वाले ठेकेदार श्री हमीद खां का अन्तिम भुगतान एडजेस्ट कर दिया गया है व श्री रोशन लाल, व श्री के० सी० पाल के अन्तिम भुगतान पर निर्णय विचाराधीन है।

*१२---श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री हबीब खां ठेकेदार नरोरा ने बैराज निर्माण के सम्बन्ध में कोई कानूनी नोटिस सचिव, सिंचाई विभाग को दिनांक २ मई, १९६५ को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां।

यह नोटिस कानूनन गलत थी।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह भुगतान जो एडजस्ट किया गया है, यह एडजस्टमेंट किस प्रकार किया गया है ? क्या ओवर पेमेंट हो गया था, इसलिये किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, यह इस प्रकार होता है फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों के अनुसार यदि कुछ पावना होता है तो वह जमा कर दिया जाता है और उनके नाम से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हेड में। किन्तु यदि कुछ देना पड़ता है तो उनकी सिक्योरिटी में से काटकर बाकी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिये उसमें छोड़ दिया जाता है, यदि काम खत्म होने के बाद निश्चित समय के अन्दर ठेकेदार उसका भुगतान नहीं लेता है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

नोटिस में किन-किन तथ्यों पर विचार था, क्या उसमें कोई कानूनी खामी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इस पर डी० जी० सी० ने अपनी एक छोटी सी राय दी कि इसमें कोई भी दम नहीं है, वह मैं सुनाये देता हूं---

"I have gone through the notice dated 10-7-65 served by Sri Prem pal Gupta, Advocate on behalf of M/S Hameed khan and bros u/s 80 C. P. C. I have also gone through the narrative. From the detailed facts given in the narrative it appears that the claim of the notice giver in respect of earth work (Extra rate) and quantity is incorrect and also the claim of notice-giver regarding short size kankar pieces appears to be incorrect. ...."

श्री चन्द्रबली सिंह---

यह अंग्रेजी में क्यों दे रहे हैं, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अंग्रेजी में लिख कर माननीय मंत्री जी के पास कैसे और क्यों आया ? अंग्रेजी में लिख कर देने वाले अधिकारी के विरुद्ध मंत्री जी क्या कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बाद में आयेगा ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

On the other hand from the narrative it appears that a sum of Rs. 5,500/- approximately has been worked out against the contractor on account of excess consumption of material supplied to him for various items of work. As such in my opinion the notice giver appears to have no case and the threatened suit, if and when filed should be contested.

श्रीमन्, इसका मतलब यह है कि २ तरह की इसमें चीजें हैं---

श्री अध्यक्ष---

आखिर इस सबका मतलब क्या हुआ यही कि ५ हजार रुपया उनको दे दिया गया और उस पर उनके खिलाफ कोई केस नहीं जान पड़ा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

यह चिट्ठी जो मंत्री जी के पास आयी है वह किस तारीख की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

१४-९-६५ की ।

श्री लखीसिंह---

श्रीमन्, यह किस अधिकारी ने अंग्रेजी में भेजा है , इस अधिकारी के खिलाफ पहले कानूनी कार्यवाही की जाये ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो बाद में आयेगा, पहले प्रश्नों के समय इस पर प्रश्न करें ।

श्री बिपनबिहारी तिवारी---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष ६४-६५ में हमीद खां, रोशन लाल और के० सी० पाल ने ठेकेदारी का काम किया था, जिसमें से श्री हमीद खां को अन्तिम भुगतान कर दिया गया है, लेकिन रोशन लाल और के० सी० पाल का अन्तिम भुगतान नहीं किया गया है जो कि विचाराधीन है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब श्री हमीद खां का अन्तिम भुगतान कर दिया गया, तो रोशन लाल और के० सी० पाल का क्यों नहीं किया गया, और उसका भुगतान विचाराधीन करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इनके भुगतान न होने का कारण यह था कि उन्होंने समय बढ़ाने के लिये दरख्वास्त दी थी, और उसके समय बढाने पर विचार हो रहा था । इसलिये इनका नहीं हो सका, हालांकि प्री-आडिट वगैरह इनका हो चुका है और जैसे ही फैसला हो जायगा, वैसे इनका भी भुगतान हो जायेगा ।

मुरादाबाद और बदायूं जिले में बिजली देने में रोस्टरिंग

*१३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद और बदायूं जिले में जितने गांवों और नगरों में बिजली लगी है जुलाई से ६ बजे शाम के आस-पास गुल कर दी जाती है और ८ से ९ बजे तक गुल रहती है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार बिजली काटे जाने की सूचना बाकायदा जनता को दी गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इन जिलों के विद्युतीकृत स्थानों में इस वर्ष वर्षा के अभाव एवं बिजली की बढी हुई मांग के कारण बिजली काटी नहीं गई परन्तु बिजली दिये जाने में रोस्टरिंग (Rostering) करनी पड़ी।

इस रोस्टरिंग प्रोग्राम (Rostering Programme) की पूर्व सूचना सम्बन्धित राज्य अधिकारियों द्वारा प्रसारित कर दी गई थी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

यह रोस्टरिंग प्रोग्राम क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जब बिजली की खपत ज्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होता है तब देखना यह होता है कि कुछ समय तक कुछ लोग इस्तेमाल करें और बाकी लोग दूसरे समय में। दिन के समय या घंटों का हिसाब बैठाकर बिजली का उपभोग किया जाता है। इसी को रोस्टरिंग कहते हैं। जैसे किसी लाइन में १० ट्यूबवैल्स हैं तो पहले ५ ट्यूबवैल्स और दूसरे ५ ट्यूबवैल्स दूसरे १२ घंटे चलें। यह भी देखा जाता है कि शाम के समय बिजली की ज्यादा खपत होती और रात में १० बजे के बाद कम। तो पीक आवर्स के ख्याल से, खपत के हिसाब से और कार्य करने के हिसाब से एक तरीका तय कर दिया जाता है कि कितने समय कितनी बिजली कौन खर्च करेगा। यह जो प्रोग्राम बनाता है इसी को रोस्टरिंग प्रोग्राम कहते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रोस्टरिंग प्रोग्राम की सूचना उन दोनों जिलों की ग्राम जनता को कैसे और किस विधि से और कब तक के लिये दी गयी है ?

श्री रामनारायण पांडेय---

यह तो एक प्रोसेस होता है जिसकी सूचना बराबर सब जगहों पर अखबारों में, ब्लाक अधिकारियों और माननीय सदस्यों के पास भेजी जाया करती है और महीने में १५ दिन में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार भेजते रहते हैं।

रुद्रपुर क्षेत्र को बिजली

*१४---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र के बाढ़ के इलाकों में बिजली लगाने के लिये जनवरी, १९६५ से आज (८ नवम्बर, १९६५ तक) उपमंत्री बिजली के पास दरख्वास्त दे कर किन-किन गांवों में बिजली लगाने के लिये मांग की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

एक दरख्वास्त दिनांक १७ अगस्त, १९६५ की देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र के बाढ़ के इलाके में नत्थी किये गये ब्योरे में दिये गये गांवों के विद्युतीकरण के लिये मांग की थी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह---

रुद्रपुर इलाके में अब तक सिंचाई के कोई साधन नहीं है। उस इलाके में दर्जनों नाले नालियां ऐसी हैं जिनमें पानी बारहों महीने भरा रहता है। तो क्या सरकार उन स्थानों पर तुरन्त बिजली की व्वयस्था करेगी ताकि सिंचाई की व्यवस्था वहां हो सके और उनके जरिये से छोटे-छोटे उद्योग धंधे वहां खुल सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वास्तव में वहां डिमान्ड कम रही है और जितना व्यय इसमें आने वाला है उसके अनुपात में उससे लाभ होने वाला नहीं था, इसलिये इसको नहीं किया गया । यदि वहां पर मांग बढ़ जाय तो उस पर जरूर विचार किया जायगा ।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत समय सारिणी

*१५--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६५-६६ के लिये परिवहन विभाग में श्रेणीय स्तरों पर समय सारिणी (time-table) निकाली गई है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

कुछ क्षेत्रों में निकाली गई है, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कुमायूं और लखनऊ क्षेत्रों में ।

*१६--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में १९६५-६६ के लिये कितने प्रकार की समय सारिणी निकाली गई है और उसका मूल्य क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

एक ग्रीष्म कालीन समय सारिणी निकाली गई । मूल्य १२ पैसे प्रति समय सारिणी है ।

*१७--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन की समय सारिणी की छपाई गत ७ वर्षों से किस प्रेस में हुई है और प्रतिवर्ष उसका खर्च क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

स्याना के लिए बिजलीघर

*१८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि स्याना, जिला बुलन्दशहर में बिजली घर बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

स्याना जिला बुलन्दशहर में बिजली घर बनाने की कोई भी योजना नहीं है ।

बैकवर्ड क्लास के डी० जी० सी०, रेवेन्यू तथा क्रिमिनल पैनेल लाइयर्स

*१९--श्री रियासत हुसैन--

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने डी० जी० सी० और गवर्नमेंट पैनल लायर्स (क्रिमिनल और सिविल) में हरिजन जाति के हैं और कितने बैकवर्ड क्लास के है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों से सूचना मांगी गई थी किन्तु अभी तक केवल ४९ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार इन जिलों में एक डी० जी० सी०, ३ क्रिमिनल पैनेल लाइयर एवं ४ रेवेन्यू पैनेल लाइयर बैकवर्ड क्लास के हैं। हरिजन जाति का कोई नहीं है। शेष पांच जिलों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। उनके संबंध में उत्तर बाद में दिया जा सकेगा।

डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के बिना जिले

*२०—श्री रियासत हुसैन—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं रहते और उन जिलों का सेशन का काम किन-किन जिलों में होता है?

श्री सैयद अली जहीर—

१—देहरादून, पीलीभीत, फतेहपुर, मिर्जापुर, जालौन, प्रतापगढ़, हमीरपुर, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ के जिलों में पृथक जजशिप (separate judgeship) नहीं है अर्थात् इन जिलों के न्यायालय दूसरे जिलों के सेशन्स डिवीजन जजशिप के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत है।

२—इस समय देहरादून सहारनपुर के, पीलीभीत बरेली के, फतेहपुर कानपुर के, मिर्जापुर इलाहाबाद के, जालौन झांसी के, प्रतापगढ़ रायबरेली के, हमीरपुर बांदा के, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़ कुमायूं सेशन्स डिवीजन जजशिप के अन्तर्गत है।

ताल कन्दला ड्रेन

*२१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सदर तहसील में ताल कन्दला ड्रेन जो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण पौने चार सौ एकड़ भूमि प्रतिवर्ष जलमग्न रहा करती है उसके सफाई तथा सुधार हेतु क्या-क्या कदम अभी तक उठाये गये?

श्री गिरधारीलाल—

ताल कन्दला ड्रेन की सफाई आवश्यकतानुसार करा दी जाती है। इसे और गहरा करना संभव नहीं है क्योंकि इस से अधिक (out fall) उपलब्ध नहीं है।

छोटी सरजू गहरी करने की योजना

*२२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला की सगड़ी और घोसी तहसीलों में बहने वाली बाढ़ में अधिक हानि करने वाली, छोटी सरजू नदी के गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, परन्तु अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो रहा है जिसके समाप्त होने पर ही कहा जा सकेगा कि यह योजना कार्यान्वित करने योग्य है या नहीं।

नलकूपों को बिजली मिलने में विलम्ब

*२३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये इस प्रदेश में जिन नलकूपों के लिये बिजली की स्वीकृति हो चुकी है, सिक्योरिटी भी जमा हो चुकी है फिर भी ६-६ महीनों से किसान परेशान है, इससे आपातकाल के समय भी गन्ना उत्पादन के बढ़ाने की बेला में इस विभाग की ओर से विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल--

राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे दिये है कि निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को बिजली देने में प्राथमिकता दी जाय । जो निजी नलकूप तथा पम्पिंग सेट तैयार हैं उन्हें बिजली दी जा रही है । बाकी को तैयार होने पर धनराशि उपलब्धि के अनुसार दी जायगी ।

हाथरस में बिजली व्यवस्था

*२४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस नगर में शासन के हाथ में बिजली कम्पनी के हाथ से चार्ज लेते ही दो रुपये पचास पैसे मीटर किराया बढ़ा दिया गया, जो एक दिया भी घर से बाहर जाने के कारण बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसे भी यह किराया वसूल किया जाता है ? इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---

बिजली कम्पनी से परिषद् द्वारा चार्ज लिये जाने पर मीटर के किराये तथा मिनिमम चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की गई । २५० वाट से ५०० वाट तक के लोड पर २ रु० महीना मिनिमम चार्ज तथा ८ आने महीने का मीटर किराया पहले की तरह लिया जा रहा है ।

*२५---श्री नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ---

जब से हाथरस नगर में शासन ने बिजली संचालन का कार्य लिया है दिन में कई बार सारे शहर से और कभी-कभी उसके कुछ भाग से बिजली चली जाती है । रात्रि में बिजली शाम होने के बाद ही नियमित और दैनिक चली जाती है । अनेक शिकायतों के बावजूद यह शिकायत दूर नहीं हो पाती । क्या शासन की ओर से इस कार्य के लिये अविलम्ब ध्यान देकर व्यवस्था ठीक हो सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

संकट कालीन स्थिति तथा सूखे के कारण विद्युत् शक्ति की बढ़ी हुई मांग के कारण गंगा शारदा ग्रिड में रोस्टरिंग करनी पड़ी । हाथरस में बिजली बन्द इस कारण से, तथा कभी कभी पावर स्टेशन में आकस्मिक गड़बड़ी होने से हुई । अब स्थिति को सुधारने के लिये डिग्री की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

सैयद कौसर अखतर रिजवी, सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*२६---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रासन सिंह, उमा शंकर सिंह तथा श्री सुरजन राम, विधायक, जिला आजमगढ़ का दिनांक १७ जून, १९६५ एवं ५ अगस्त, १९६५ का लिखित शिकायती पत्र सहायक अभियन्ता, नलकूप विभाग श्री रिजवी के विरुद्ध आया था जिसमें बिना काम कराये ही ठेकेदारों को रुपया देने तथा उसमें हिस्सा लेने, बिना वर्क आर्डर किये ही काम लेने तथा बाद में भुगतान न करने आदि विभिन्न शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या जांच करने वाले अधिकारी शिकायत करने वाले व्यक्तियों से बयान और साक्ष्य लिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

श्री उमा शंकर तथा श्री इन्द्रासन सिंह, विधायक, जिला आजमगढ़ का शिकायती पत्र दिनांकित १६ जून, १९६५, और श्री सुरजन राम, विधायक, जिला आजमगढ़, द्वारा अग्रसारित शिकायती पत्र दिनांक ५ अगस्त, १९६५, श्री सैयद कौसर अखतर रिजवी सहायक, अभियन्ता,

तृतीय नलकूप खंड, आजमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त हुये थे। प्रथम शिकायती पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, को जांच के लिये भेजा गया। इस शिकायती पत्र के विषय में पूछ-तांछ करने के लिये श्री उमाशंकर तथा श्री इन्द्रासनसिंह को, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, आजमगढ़, द्वारा बुलाने के प्रयत्न किये गये, किन्तु दोनों विधायक नहीं मिल सके। उन्हें इस संबंध में एक रजिस्ट्रीकृत पत्र २५ दिसम्बर, १९६५, को भेजा गया।

दूसरा शिकायती पत्र अन्य शिकायती पत्रों सहित, प्राविधिक परीक्षक (Technical Examiner) के पास जांच के लिये भेजा गया। प्राविधिक परीक्षण का श्री सुरजन राम से साक्षात्कार हुआ। श्री सुरजन राम ने उन्हें बताया कि शिकायत के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने शिकायती पत्र जांच के लिये शासन के पास भेजा था। श्री इन्द्रासन सिंह से प्राविधिक परीक्षक की भेंट आजमगढ़ के स्टेशन पर हो सकी। श्री सिंह ने प्राविधिक परीक्षक को बचन दिया है कि वे उन के दूसरी बार आजमगढ़ आने पर शिकायती पत्र दिनांक १६ जून, १९६५ में उल्लिखित आरोपों को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। श्री उमा शंकर भी उन दिनों आजमगढ़ से बाहर थे अतः उन से प्राविधिक परीक्षक की भेंट नहीं हो सकी। प्राविधिक परीक्षक, श्री उमाशंकर और श्री इन्द्रासन सिंह को सूचित करके पुनः आजमगढ़ गये। श्री उमा शंकर ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता है, और उन की जांच जनवरी के अन्त अथवा फरवरी के आरम्भ में होतो आरोपों की सिद्धि में वे प्रमाण साक्ष्य उपस्थित कर सकते हैं।

*२७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहायक अभियन्ता का चालू वर्ष में स्थानान्तरण हुआ था और पुनः रोक दिया गया? यदि हां, तो स्थानान्तरण क्यों किया गया था और पुनः रोकने का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, श्री रिजवी का स्थानान्तरण शिकायतों पर हुआ था किन्तु बाद में पता चला कि उस समय श्री रिजवी घाघरा बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर नियुक्त थे, जिस के कारण उन का वहां रुकना जनहित में आवश्यक था। अतः श्री रिजवी के स्थानान्तरण का आदेश रद्द कर दिया गया।

स्याना क्षेत्र में असिक्त भूमि

*२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सोचना झांया और उसके निकट इमलिया में कई सौ एकड़ अधिक उपजाऊ भूमि राजकीय सिंचाई की सुविधा से वंचित पड़ी हुई है? यदि हां, तो उसके जेरे काश्त लाने के लिये क्या उपाय किये गये?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, उक्त क्षेत्र में ४७५ एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित है तथा वहां सिंचाई की सुविधा के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि ग्राम योजना और उसके निकट एक राजकीय नलकूप का निर्माण अब तक न किये जाने का क्या कारण है और क्या वहां एक राजकीय नलकूप के निर्माण पर तुरन्त ध्यान देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

इस क्षेत्र में गहरे गहरे कई नाले हैं जिनसे उक्त क्षेत्र टुकड़ों में बंट गया है। इस कारण से यह क्षेत्र नलकूप निर्माण के लिये विशेषतः उपयुक्त नहीं है।

गोवर्धन ड्रेन पर निर्माण कार्य

*३०—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सितम्बर, सन १९६५ में गोवर्धन ड्रेन की पटरी किन-किन गांवों में टूट जाने से कितने एकड़ जमीन में खरीफ की फसल को कितनी क्षति पहुंची है और इस क्षति की वजह से किन-किन गांवों को छूट दी गई ? यह धनराशि कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३१—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्रेन की सालाना क्षति को देखते हुये इसको पहली पंसाल से ज्यादा गहरी व चौड़ाई की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा और इसमें कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा मथुरा जिले में इस ड्रेन पर कितने और कौन-कौन गांव पर पुल बनाये गये हैं और इन पुलों का ठेका किस-किस ठेकेदार को दिया ?

श्री गिरधारीलाल—

गोवर्धन ड्रेन की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी (Expert Committe) नियुक्त की है। अतः उक्त कार्य कब तक होगा और उस पर कितना व्यय होगा, यह सूचना कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगी।

मथुरा जिले में गोवर्धन ड्रेन पर जिन गांवों में पुल बने तथा ठेकेदार के बारे में सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०७–३०८ पर)

रुद्रपुर गायघाट के निकट गंगा पर ठोकरों को क्षति

*३२—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया नगर लगभग १० मील दूर रुद्रपुर गाय घाट के निकट गंगा तट पर बनी कटान अवरोधक ६ ठोकरों में दो ठोकरों के ध्वस्त हो जाने का समाचार मिला है ?

श्री गिरधारी लाल—

बलिया नगर से लगभग १२ मील दूर रुद्रपुर गाय घाट के निकट गंगा तट पर बनी ६ बल्लियों की ठोकरों में से नीचे की दो ठोकरों का कुछ भाग पिछली बाढ़ में ध्वस्त हो गया था।

*३३—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल—

विभिन्न प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन हैं।

धर्नासिंहपुर नाला

*३४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्नासिंहपुर, नाला विकास खंड गंजडुंडवारा, जिला एटा को सिंचाई विभाग से मार्ग निश्चित होने से पूर्व जो विकास खण्ड कर्मचारियों के सहयोग से जनता ने स्वतः अपने श्रमदान द्वारा मयासुर-सहावर सड़क के पश्चिमी किनारे के बराबर-बराबर खोद कर निकाला उसकी सुतिया तक कितनी लम्बाई है तथा विभागीय निश्चित मार्ग द्वारा नाले की क्या लम्बाई है ?

श्री गिरधारीलाल—

धर्नासिंहपुर नाले की मयासुर सहावर सड़क की क्रासिंग से सुतिया नाले तक सड़क के किनारे वाली जलोत्सारण लाइन (drainage line) की लम्बाई ३.५ फर्लांग है तथा उक्त क्रासिंग से सुतिया नाले तक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई १ मील ६ फर्लांग ३३० फीट है ।

*३५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त नाले की मयासुर-सहावर सड़क के बराबर पर खुदने से किसी का भी खेत नहीं कटा परन्तु नये विभागीय इलाइनमेंट से सम्पूर्ण नाला कृषि योग्य भूमि से ही होकर निकाला जायगा ? यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि नाले के क्षेत्र में आवेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

विभाग द्वारा नाले के लिये प्रस्तावित मार्ग पर भीकमपुर ग्राम की ५.१८ एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें ५.०५ एकड़ कृषि योग्य भूमि है ।

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नये विभागीय नाले के एलाइनमेंट से ग्राम भीकमपुर की विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा, जिला एटा की आबादी के कच्चे मकानों एवं फसलों को भी घोर क्षति होगी तथा विकास का खर्च भी अधिक होगा ? यदि हां, तो फिर विभाग को नया मार्ग निकालने की क्या आवश्यकता है ? पुराने को ही विभागीय नाले के रूप में स्वीकार कर लेने में विभाग को क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । यदि सड़क की क्रासिंग तक नाला खोदकर उसे सड़क के किनारे वाली ३.५ फर्लांग लम्बी जलोत्सारण लाइन द्वारा सुतिया नाले में मिला दिया जाय तो धर्नासिंहपुर व अन्य ग्रामों का पानी ठीक रूप से नहीं बहाया जा सकेगा और ग्रामों की फसल तथा सम्पत्ति को हानि होती रहेगी । इसके अतिरिक्त भीकमपुर ग्राम का पानी तभी बहाया जा सकेगा जबकि मयासुर सहावर सड़क की क्रासिंग के नीचे की ओर मील १—६—३३० की लम्बाई में नाला खोद कर सुतिया नाले से मिला दिवा जाये । अतएव धर्नासिंहपुर नाले को मयासुर सहावर सड़क के किनारे किनारे ले जाकर सुतिया नाले में मिलाना प्राविधिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

बांदा जिले में सिंचाई साधन

*३७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (बिसंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह बांदा जिले में सिंचाई के वास्ते कितने ट्यूबवेल लगाने जा रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ की जायगी ? प्रति ट्यूबवेल में कितने रुपये खर्च होंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

बांदा जिले में राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है ।

*३८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध में रिंग मशीन योजना का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक भेजने की व्यवस्था है ?

श्री गिरधारी लाल—

ऐसी कोई योजना नहीं है ।

*३९—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

*४०—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

जनरल मैनेजर, परिवहन विभाग

*४१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग के जनरल मैनेजरों का कार्यालय में उपस्थित रहने का कोई नियुक्त समय है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। प्रातः १० से अपराह्न ५ बजे तक बशर्ते कि वे और किसी काम से बाहर न हों ।

कासिमाबाद ब्लाक का नलकूप

*४२—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के ब्लाक कासिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम मेख में १९ नवम्बर, का नलकूप गन्ने की भराई, धान के बीज डालने के समय पानी नहीं दे सका जिसके कारण किसानों में काफी असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार नलकूप को जल्द से जल्द ठीक कराने की कृपा करेगी और इसके बन्द होने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

मशीन आदि की खराबी से यह नलकूप बन्द था । अब इसको ठीक कर दिया गया है और १८ अक्तूबर, १९६५ से ठीक दशा में काम कर रहा है ।

रोडवेज विभाग के मुनाफे में कमी

*४३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश रोडवज की लगभग एक हजार बसें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से यातायात का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लगाई गई पूंजी पर मिलने वाला मुनाफा २३ फीसदी से घट कर १५ प्रतिशत रह गया है जिसकी वजह से ओवर टाइम चलाया जा रहा था और अब सामान की कमी दिखाकर ८ नवम्बर, १९६५ से ओवर टाइम बन्द कर दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह बात सही नहीं है कि लगभग एक हजार बसें खराब पड़ी हैं जिसकी वजह से यातायात में रुकावट हुई, मुनाफा २३ प्रतिशत से घटकर १५ प्रतिशत रह गया व ओवरटाइम बंद कर दिया गया ।

मुनाफा घटने तथा ओवरटाइम बंद करने के दूसरे कारण हैं ?

हल्द्वानी के निकट बस दुर्घटना

*४४—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री झारखंडेराय (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी से ३० मील दूर जो यात्री बस नदी में गिर गई उस दुर्घटना से कितनी मौतें हुई तथा आहत यात्रियों के परिवार वालों को क्या क्षति पूर्ति दी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त दुर्घटना में १२ यात्रियों की मृत्यु हुई । गाड़ी प्राइवेट थी । अतः क्षति पूर्ति से शासन से संबंध नहीं है ।

बिल्हौर क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई

*४५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के विकास क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत अब तक कितने नलकूप बन कर तैयार हो गये जिनसे सिंचाई का कार्य हो रहा है तथा कितने नलकूप ऐसे हैं जो बन कर तैयार हो गये हैं, किन्तु बिजली आदि न मिलने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं ? क्यों ? तथा इनकी सूची नलकूप नम्बर व क्षेत्र के सहित सरकार प्रस्तुत करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

कानपुर जिले के विकास क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत अब तक ८ नलकूप बन कर तैयार हो गये हैं जिनसे सिंचाई का कार्य हो रहा है । इसके अतिरिक्त १० ऐसे नलकूप हैं जिनका निर्माण हो गया है परन्तु अभी तक कार्य नहीं कर रहे हैं । इनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

*४६—श्री मुरलीधर कुरील—

[१ले बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

सिंचाई विभाग की रेवेन्यू ब्रांच

*४७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई विभाग के रेवेन्यू ब्रांच को वह इंजीनियरिंग ब्रांच से अलग कर जिलाधीशों के मातहत करने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

दूसरा भाग—इसलिये कि कार्यकुशलता में बाधा पड़ेगी ।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*४८—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में आजकल कितने नलकूप एवरेज से नीचे पानी दे रहे हैं या बन्द हैं और इनको रिप्लेस करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---

गाजीपुर जिले में ८१ राजकीय नलकूप ऐसे हैं जो औसत से कम जल दे रहे हैं। इनका जल निकास इतना कम नहीं है कि इनका पुनः निर्माण किया जाय। इसके अतिरिक्त उक्त जिले में ६ राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनका जल निकास शून्य है तथा इनका पुनः निर्माण किया जायगा।

झांसी डिवीजन में बस सर्विस

*४९---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी डिवीजन में कितनी राजकीय बसें चलती हैं और किन-किन सड़कों पर ?

श्री मुजफ्फर हसन---

७३ बसें चलती हैं, मार्गों का नाम संलग्न सूची 'अ' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१० पर)

*५०---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी डिवीजन में प्राइवेट कितनी बसें चलती हैं किन-किन सड़कों पर ?

श्री मुजफ्फर हसन---

४६० बसें चलती हैं, मार्गों का नाम संलग्न सूची 'स' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११-३१३ पर)

*५१---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी डिवीजन भर में राजकीय बसें चलाने में सरकार को क्या अड़चन है और साथ ही झांसी जनपद में राजकीय बसें, कितनी-कितनी चलती हैं और प्राइवेट कितनी ? उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जनहित की आवश्यकता, फन्ड्स (Funds) मोटर गाड़ियों की उपलब्धता तथा कुछ कानूनी बाधाओं को ध्यान में रखते हुये एक निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय बसें चलाने की नीति है। झांसी जनपद में कोई राजकीय बस नहीं चलती है। प्राइवेट बसें जो इस जनपद में चलती हैं, उन की संख्या २५२ हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११-३१३ पर।)

कुर्ना नाला पानी निकासी

*५२---श्री चन्द्रबली सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील देवरिया के कुर्ना नाले के पानी की निकासी हेतु योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

श्री गिरधारी लाल---

प्रथम भाग---कुर्ना नाले के पानी के निकास के हेतु कोई नई योजना नहीं है।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

समसपुर सदर से नलकूप के लिए प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक ५ नवम्बर, १९६५ को समसपुर, सदर, जिला बिजनौर के कृषकों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें उनको नलकूप लगाने की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

एक प्रार्थना पत्र दिनांक ५-११-६५ का प्राप्त हुआ है किन्तु वह कुलाबा लगाने के बारे में है नलकूप लगाने के हेतु नहीं ।

दरवान झील पानी निकासी

*५४—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दरवान झील (ब्लाक कटेरी फैजाबाद) से पानी निकासी वाले नाले को चौड़ा करने तथा एक नया नाला निकालने के लिये स्कीम स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग— प्रश्न नहीं उठता ।

*५५—श्री शारदानन्द—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पूर्वी नहर जमन

*५६—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पूर्वी नहर जमन के टेल पर सितम्बर, १९६५ तक पानी कब-कब गया और यदि नहीं गया, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त नहर के टेल पर निम्नलिखित दिनों में पानी पहुंचा :—

सितम्बर २७ से २९ तक।

अक्तूबर ६ से ८ तक।

नवम्बर ५ से ९ तक।

*५७-५८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बंजरहा बांध पर कृषि निषेध

*५९—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के सिंचाई विभाग नौगढ़ उपखण्ड के अधिकारियों को ऐसी आज्ञा जारी की है कि बंजरहा बांध पर जमी अरहर की फसल को घास की तरह कच्ची काट ली जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

जी हां।

यह आदेश इसलिये दिये गये हैं ताकि बंधे पर खेती करने का प्रोत्साहन न मिल सके और उसकी सतह पोली व भुरभुरी न होने पावे।

*६०---श्री रतीपाल---

[दूसरे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

देवरिया डिपो क्षेत्र में बसें

१---श्री उग्रसेन---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया डिपो क्षेत्र गोरखपुर में एक जुलाई, १९६५ को कितनी गाड़ियां चलती थीं?

श्री मुजफ्फर हसन---

४३ गाड़ियां चल रही थीं।

गंडक नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

२---श्री उग्रसेन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी गंडक नहर में ली जाने वाली भूमि का कितना मुआवजा नये रेट पर बना है?

श्री गिरधारी लाल---

गंडक नहर के लिये ली गई भूमि का नये रेट पर मुआवजा अब तक १३१६ एकड़ के लिये रु० १२,२८,५३८.५० निर्धारित हो चुका है। बाकी २१७० एकड़ भूमि के लिए नये रेट के अनुसार लगभग १९ लाख रुपया के मुआवजे के निर्धारित होने की संभावना है। इस प्रकार नये रेट पर मुख्य नहर के लिये ली गई भूमि का मुआवजा लगभग ३१,२८ लाख रुपये होगा।

३---श्री उग्रसेन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी गंडक नहर का कुल कितना मुआवजा गोरखपुर तथा देवरिया के प्रभावित किसानों को अलग-अलग दिया जा चुका है?

श्री गिरधारीलाल---

गोरखपुर तथा देवरिया के प्रभावित किसानों को दिये गये मुआवजा का अलग-अलग विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

नलकूप डिवीजन गोरखपुर के कर्मचारियों का भत्ता-वेतन

४---श्री उग्रसेन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड गोरखपुर के कितने रेवेन्यू कर्मचारियों ने जनवरी, १९६४ से मार्च, १९६५ तक अपने टी० ए० बिल को डिवीजनल कार्यालय को प्रेषित किया? यदि हां, तो उन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को विभाग द्वारा यात्रा भत्ता दिया गया? और उसकी कुल धनराशि क्या है?

श्री गिरधारीलाल--

२०० ने। सभी का भुगतान कर दिया गया। कुल रुपया १७,३११/६३ है।

५--श्री उग्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन देवरिया में कितने नलकूप चालकों का वेतन जनवरी, सन् १९५४ से अब तक बाकी पड़ा है? यदि हां, तो उपरोक्त वेतन को अब तक न देने का क्या कारण है और कब तक भुगतान कर दिया जायगा?

श्री गिरधारी लाल--

नलकूप डिवीजन, देवरिया, का सही नाम सिंचाई खंड, प्रथम, देवरिया है। यह खण्ड दिसम्बर, १९५६ को खुला है और अब से यानी दिसम्बर, १९५६ से अब तक ७३ नलकूप चालकों का वेतन कुछ समय का वेतन देना बाकी है। इनमें से ९ नलकूप चालकों के बकाया वेतन बिल महालेखापाल, इलाहाबाद, को प्री-आडिट के लिये पहले ही भेजे जा चुके हैं और प्री-आडिट हो जाने पर भुगतान कर दिये जायेंगे।

शेष नलकूप चालकों के बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र ही हो जायेगा।

६--श्री उग्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन गोरखपुर में कुल कितने नलकूप चालकों को रिवार्ड गत माह में (अक्टूबर, १९६५) में दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त रिवार्ड पाने वाले नलकूप चालकों में से कुछ नलकूप चालकों को मुअत्तल और बरखास्त भी किया गया है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री गिरधारीलाल--

५० को दिया गया। इनमें से २ मुअत्तल हैं और १ की सेवाएं समाप्त की गई हैं।

७-८--श्री झारखंडे राय--

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

बस स्टाप, बछरावां की इमारत

९--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बस स्टाप बछरावां, जिला रायबरेली की इमारत कब बन कर तैयार हुई थी?

श्री मुजफ्फर हसन--

बुकिंग आफिस का भवन तथा उसके सामने की दालान का निर्माण आज से लगभग आठ वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु स्टेशन अध्यक्ष का कमरा और पीछे की दालान का निर्माण सन्, १९६४ में हुआ है।

१०--श्री भगवानदीन--

क्या सरकार को पता है कि इस इमारत का प्लास्टर तथा इमारत की ईंट गिरी जा रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

यह सही नहीं है।

११--श्री भगवानदीन--

क्या सरकार बस स्टाप को पुनः ठीक करने की कृपा करेगी? अगर करेगी तो कब तक?

श्री मुजफ्फर हसन---

प्रश्न नहीं उठता।

१२---श्री रामसुन्दर पांडेय---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

गंगा पर नरदोली बांध

१३---श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में नरदोली, शहबाजपुर गंगा नदी का बांध, जो कि प्रदेश की चतुर्थ योजना की महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है, का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---

यह बांध न तो सिंचाई विभाग की चतुर्थ योजना में सम्मिलित है और न प्रावैधिक दृष्टिकोण से इसका निर्माण उचित ही समझा जाता है।

१४---श्री रामचन्द्र विकल---

[२रे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सेना माइनर तथा लाडपुर माइनर

१५---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में जो सिंचाई विभाग ने सेना माइनर को लाड़पुर माइनर (गंगा नहर, मेरठ डिवीजन) से मिलाना स्वीकार कर लिया है, तो उसको कब तक मिला दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---

सेना माइनर और लाडपुर माइनर के टेल स्केल बनाने की योजना बनाई गई है। पर कार्य करना उसकी धनराशि की प्राप्ति पर निर्भर है।

१६---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में जो अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर के मील ६२ पर ग्राम काचरौट में छोटे पुल के स्थान पर पुल बनाना सिंचाई विभाग के स्वीकार कर लिया है उस को कब तक बना दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---

पुल का बनाना आवश्यक धनराशि मिलने पर निर्भर करता है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि पुल कब तक बना दिया जायेगा।

१७---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में खानपुर के समीप नीम नदी पर क्या सरकार खानपुर---अमरपुर मार्ग में एक पुल का निर्माण करने पर तुरन्त ध्यान देगी ?

श्री गिरधारीलाल---

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*१८—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में ब्लाक वार कितने नलकूप सिंचनार्थ हैं और निकट भविष्य में कितने अन्य सरकारी नलकूप बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—

इसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१५ पर।]

उत्तर प्रदेश बिक्री कर समिति का प्रतिवेदन†

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर समिति के प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६५††

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

श्रीमन्, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७९६—टी/३०—ख, दिनांक २५ नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उप-धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, १९६५††

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७८३१—बी/३३—२१—आर—६१, दिनांक १४ अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, १९६५ की, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) (संशोधन) नियमावली, १९६५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३६४ बी/३३—२(९)—६४ दिनांक १४ दिसम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) (संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गया।

††छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश १९६६†

मुख्य मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखती हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास बहुत सी नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आई हैं। इनमें से माननीय कमलासिंह, माननीय हिम्मतसिंह और माननीय रक्षपाल सिंह की तीन सूचनाओं को मैं विशेष कार्यवाही हेतु सन्त्रिमण के पास भेज रहा हूं, अन्य को मैं अस्वीकृत कर रहा हूं।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे यह देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १ फरवरी, १९६६ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया जाय—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा उसका पारण ३ फरवरी, १९६६ को २ घंटे।

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा पारण ३ फरवरी, १९६६ का शेष समय। यदि आवश्यकता हुई तो ५ बजे के बाद २ घंटे तक।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा उसका पारण और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा उसका पारण ४ फरवरी, १९६६।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा उसका पारण—७ फरवरी, १९६६ को २ घंटे।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि अध्यादेशों के अनुमोदन के लिये जो प्रस्ताव आये हैं उन्हें संबंधित विधेयकों पर विचार करते समय ले लिया जाय।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण तथा सम्बन्धित अध्यादेशों के अनुमोदन के प्रस्तावों पर विचार के लिये किये गये समय निर्धारण से, जिसकी सूचना आज सदन को दी गई है, सहमत है :—

१—उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६।

२—उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६।

---

†छापा नहीं गया।

३--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६।

४--उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६।

५--उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय रामायणराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के अनुसार कार्यक्रम स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उपकुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो विधेयक यहां पर आने वाला है उसके लिये विवाद का समय केवल २ घंटा रखा गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज को कबाडखाना बनाना चाहती है और उस पर विवाद के लिये दो घंटे का समय रखा गया है जो बहुत कम है

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

यह कबाडखाना असंसदीय शब्द है। इसे वापस लेने को आप कहें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इसके लिये कुछ समय आप बढ़ा दीजिये। कम से कम ५ या ६ घंटे होना चाहिये

श्री अध्यक्ष --

मैं वही कह रहा था। मैं आप की भावनाओं से सहानुभूति रखता हूं। आपके ही पराक्रम का परिणाम था कि यह अध्यादेश जारी हुआ।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इलाहाबाद तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट स, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टर मीडिएट एजूकेशन में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष --

अब मैं एक सूचना दे दूं।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स, मिडवाइव्ज एन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खन्ड (बी) के उपखन्ड (२) के अनुसार "उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल" में कार्य करने के लिए विधान सभा के २ सदस्य (जिनमें एक महिला होगी,) "इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट" में कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ (१) की श्रेणी ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्य, "लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट, में कार्य करने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ (१) के खन्ड ४ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्य "गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट" में कार्य करने के लिये गोरखपुर विश्व-विद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७(१) के वर्ग ७ की मद (१७) के अनुसार विधान

[श्री अध्यक्ष]

सभा के ५ सदस्य और "बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश" में कार्य करने के लिये इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट १९२१ की धारा ३(१) के मद (एफ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है :—

(१) नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ..	७ फरवरी, १९६६ को सायंकाल ४ बजे तक।
(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	८ फरवरी, १९६६ को प्रातः १० बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में)।
(३) नामों की वापस की अन्तिम तिथि तथा समय ..	२१ फरवरी, १९६६ को सायंकाल ४ बजे तक।
(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ..	२५ फरवरी, १९६६ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।

कतिपय विषय

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम लोगों ने जो खड्डा मिल के बारे में दिया था उसे आप देखेंगे .....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं आपको कल से तलाश कर रहा था, कल आप अपने कक्ष में मिले नहीं। आपने कहा था कि आप ने उस पर नोट लिखा है ...

श्री अध्यक्ष—

मैं साढ़े तीन बजे आ गया था। मुझे अफसोस है कि मैं आपको नहीं मिल सका।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप आते ही सीधे यहां चले आये थे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। उसे देख लीजियेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद होगा। श्री रामसिंह जी बोल रहे थे।

---

†२१ जनवरी, १९६६ की कार्यवाही से। प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३१६–३३६ पर।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के संबंध में, ऋण के संबंध में मैंने कुछ चर्चा इस माननीय सदन के सामने की थी। इसके अतिरिक्त जो सिंचाई से संबंधित कठिनाइयां काश्तकारों के सामने आती हैं उसमें एक बोरिंग की व्यवस्था भी है। यहां पर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बोरिंग की व्यवस्था की जाती है, मैं समझता हूं कि उस का कोई समुचित प्रबन्ध जिलों में इस समय नहीं। इसमें पहले तो स्टाफ की लापरवाही रहती है और वह बोरिंग के सिलसिले में अपनी कोई निश्चित राय नहीं बना पाता और इस कारण काश्तकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दूसरे यह कि बोरिंग ऐसी नहीं होती जो कि डेढ़ सौ फिट या दो सौ फिट बोरिंग करके काश्तकार को उससे फायदा पहुंचा सकें। जिसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार को नियोजन विभाग से सहायता न मिल कर उसे प्राइवेट बोरिंग वालों के पास भटकना पड़ता है और उनकी मुंहमांगी कीमत देनी पड़ती है। इसलिये नियोजन विभाग में मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि तीन सौ, साढ़े तीन सौ फिट की बोरिंग हो सके और कम पैसों में हो सके।

तीसरी बात मैं राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार की रिपोर्ट है कि वह घाटे में चल रहे हैं। कारण यह है कि वहां स्टाफ मनमानी करता है। उसे परवाह नहीं है कि ट्यूबवैल किस जगह जा कर सफल हो सकता है। बजाय इसके कि किसी की राय वह मांगे या एक निष्पक्ष स्थान पर जहां काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है वहां लगायें वह अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण जहां चाहते हैं वहां लगाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जहां आवश्यकता हो और सिंचाई के साधन कम उपलब्ध हों वहां ट्यूबवैल की सुविधा होनी चाहिये। दूसरी परम्परा यह रही है कि सरकार के दिमाग में अगर किसी स्थान विशेष के लिये कोई चीज लाभकर हो तो वह तमाम प्रदेश में लागू करने की परम्परा डाले हुये है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी प्रथा चली कि जहां पहले स्टेट ट्यूबवैल आपरेटर्स होते थे वहां उन्होंने बेलदारों की प्रथा लागू की। वह कुछ स्थानों पर उचित हो सकता है, लेकिन जहां पार्टीबाजी हो और जहां उसकी नियुक्ति हो वह उसी गांव का रहने वाला हो उससे एक पक्ष को फायदा और दूसरे को नुकसान होगा। तो मेरा कहना यह है कि जहां आपरेटर की आवश्यकता हो वहां उसकी व्यवस्था होनी चाहिये बजाय इसके कि जबरदस्ती बेलदार को लगाया जाय। इसलिये एक दवाई जिससे एक जगह फायदा होता हो और दूसरी जगह नुकसान, उसे हर जगह लागू नहीं करना चाहिये। ऐसा भी देखने में आता है कि अगर कोई आपरेटर की शिकायत कहीं करता है तो कोई सुनवाई उसके खिलाफ राज्य कर्मचारियों के यहां नहीं होती। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने १० चिट्ठियां लिखीं, लेकिन मुझसे यह तक नहीं पूछा गया कि क्या शिकायत की और उसके बारे में क्या उपाय हो सकता है, तबादला करने या कुछ ऐक्शन लेने की बात तो दूर रही। यही कारण है कि आज काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है और उसको पानी नहीं मिलता है। यही कारण है कि आपको भी आमदनी कम होती है और काश्तकार को भी फायदा नहीं मिलता है। वह लोक पार्टी पालिटिक्स में पड़कर काम करते हैं और उन्हें यह विश्वास होता है कि उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता, तबादला नहीं हो सकता, इसलिये जो चाहते हैं अपनी मरजी के मुताबिक करते हैं।

एक बात सिंचाई के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्प सिंचाई सम्बन्धित साधन काश्तकार को उपलब्ध हैं, जैसा कि रहट बनाने वालों का कोटा नियत है और रहट खरीदने वालों को भी एक निश्चित रेट पर मिलता है जिससे सस्ते दामों पर उसे मिल सके और अपना काम वह कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसिंह]

इसके अलावा महा महिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो चन्द शब्द हरिजन कल्याण के बारे में कहे हैं उस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। इसमें लिखा है 'सरकार हरिजन कल्याण योजनाओं में लगातार विशेष रुचि लेती रही है। अनुसूचित जातिके लोगों को भी सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क छात्रावास की सुविधायें दी जा रही हैं तथा हरिजन बस्तियों में प्राथमिक और रात्रि पाठशालायें तथा पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं...।" मान्यवर, चन्द शब्द इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। दो दिन पूर्व ही यहां एक उत्तर में बताया गया था कि एच० टी० सी० और जे० टी० सी० में जो नामिनेशन होते हैं उसमें उनके रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब सरकार के इतने जिम्मेवार व्यक्ति ही उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नीचे के अधिकारी क्यों परवाह करने लगे। और भी कई मिसालें इसी तरह की हैं जहां हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया जाता उनको नजरन्दाज किया जाता है। हर क्षेत्र में उनको नजरन्दाज किया जाता है, जो स्थान उनको मिलना चाहिये वह नहीं मिलता, चाहे वह नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो और भी कोई जगह हो।

हमारे यहां ग्राम सभा की जो भूमि है वह अधिकतर या तो बेकार पड़ी हुई है या उस पर नाजायज तरीके से गलत लोग कब्जा किये हुये हैं। जो हमारे यहां भूमिहीन हैं, जिनको यह भूमि मिलना चाहिये उनको भूमि नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में जो आपके कानून हैं वे बड़े ढीले हैं। नियम ऐसे कठोर होना चाहिये कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि अवश्य मिले। आज होता क्या है? जिसके पास भूमि है उसके रिश्तेदारों आदि को भूमि मिल जाती है या प्रभावशाली व्यक्तियों को भूमि मिल जाती है। इसलिये सरकार को इस तरफ भी उचित ध्यान देना चाहिये।

आज गरीब आदमियों को जमीन चाहिये। वह नहीं मिल रही है। जो आपका जनरल प्रोसीजर है वही सब पर लागू होता है। पिछड़े तथा हरिजन वर्ग के लिये कोई विशेष छूट नहीं है। आपको उनके लिये कुछ विशेष रिआयत देना चाहिये ताकि इन लोगों को भी जमीन मिल सके।

इस कल्याणकारी राज्य में हरिजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसका एक और उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। हमारे यहां गांव-गांव में बिद्युतीकरण की बात की जाती है। मगर आपको कहीं भी उस जगह जहां पर हरिजन बस्ती होगी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। जहां भी हरिजन बस्ती होगी, वहां बिजली का खम्भा नहीं लगाया जाता। मैंने स्वयं दो तीन जगह के लिये शिकायत की मगर उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जहां लोगों के पक्के मकान बने हैं और जिन्होंने बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र भी दे रखे हैं वहां भी उनको बिजली नहीं मिली है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। यह ठीक नहीं है कि एक तबके को तो लाभ हो और एक उससे वंचित रहे।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय अब समाप्त हुआ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शास्त्री जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये प्रारम्भ हुआ। वास्तविकता यह है कि यह तो उन्होंने एक दिखावे के लिये शास्त्री जी के निधन की बात कही। मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि उनकी आत्मा में इस बात के लिये शोक था। उन्होंने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो हमारी सरकार ने उनके निधन को एक ग्यूनरल फेस्टिविल एक त्योहार के रूप में प्रचार की सामग्री बना रखी है। हमारे यहां किसी के निधन को प्रचार की सामग्री बना कर, जलूस निकाल कर त्योहार में लाउड स्पीकर या रेडियो पर चीख-चीख कर नहीं मनाया जाता, बल्कि शोक तो मौन मुद्रा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। उनकी मृत्यु के १६ दिन पश्चात् हमारे बड़े-बड़े नेता नाचे, इस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। महापुरुषों के निधन को

वास्तव में देश शोक संतप्त, मौन मुद्रा द्वारा ही व्यक्त करता है। शास्त्री जी के निधन को देश ने हृदय से महसूस किया, लेकिन प्रचार की जो सामग्री जुटाई गई, इस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला कि इसकी क्या आवश्यकता थी। इंगलैंड के प्रधान मंत्री श्री विल्सन ने हमारे पूज्य शास्त्री के लिये ऐसे बुरे शब्द कहे ? "जेनरल अयूब इज वन आफ दि पाल वियर्रस आफ स्माल शास्त्री" तथा उनको स्पैरी भी कहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कदाचित् सेंटर का विषय है।

श्री लोकपालसिंह—

सेंटर को लिख कर हमारी बात सरकार पहुंचा दे।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरी बात है, लेकिन यह आपका क्षेत्र नहीं है।

श्री लोकपालसिंह—

शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के थे इसलिये हम इसको ज्यादा महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह चीज संकल्प में आ सकती है लेकिन यहां नहीं।

श्री लोकपालसिंह—

उत्तर प्रदेश इसको अधिक महसूस करता है और मैंने सुना है कि इन्दिरा जी इंगलैंड जा रही हैं। राज्यपाल महोदय को चाहिये था कि उत्तर प्रदेश की तरफ से उनको संदेश भेज दें कि यहां की भावना श्री विल्सन के प्रति क्या है। मेरी तो प्रार्थना है और आग्रह है कि एक शिष्ट मंडल को वहां भेजने की योजना बनायी जाय और इन्दिरा जी से आग्रह किया जाय कि श्री विल्सन की इस नीति के विरोध में वे अपना इंगलैंड जाना रोक दें क्योंकि विल्सन ने इन शब्दों द्वारा हमारे महान नेता व देश का घोर अपमान किया है। चूंकि शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के थे इसलिये भारतवर्ष के और लोगों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश इसको अधिक महसूस करता है। शास्त्री जी के ऊपर उत्तर प्रदेश का अधिकार विशेष है इसलिये दिल्ली वालों की अपेक्षा उनके प्रति हुये अपमान को यह अधिक महसूस करता है।

इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और है जो मेरे हृदय को बहुत ज्यादा खटकती है। पूज्य शास्त्री जी के लड़कों के लिये १००–१०० रु० प्रति माह देने की बात निश्चित हुई है। .....

श्री अध्यक्ष —

देखिये आपसे मेरा बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन है कि यह केन्द्रीय सरकार की नीति सम्बन्धी बात है कि वह क्या कर रही ह क्या नहीं कर रही है इस पर हमें यहां विचार करने का अधिकार नहीं है।

श्री लोकपालसिंह —

उसको मैं छोड़े देता हूं लेकिन यह देखने की बात है कि आज कल की स्थिति में २०० रु० माहवार से कम में किसी का खर्चा पूरा नहीं पड़ सकता है ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिये था कि वह इस बात का एलान करती कि वह अपनी ओर से शास्त्री जी के बच्चों के लिये १००–१०० रु० प्रतिमाह देने जा रही है। सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया जिससे मुझे बहुत दुख है। इससे साफ मालूम होता है कि वास्तव में यह शोक मनाने की बात नहीं है, बल्कि उनके नाम पर एक प्रचार की बात है। मेरे हृदय में इस बात की बहुत बड़ी

[श्री लोकपालसिंह]

ठेस है। हमारे जिले में बहुत से दफ्तर खुले रहे शास्त्री जी के निधन के पश्चात्। हमने भी कलेक्टर महोदय को लिखा लेकिन उन्होंने औपचारिक कार्यवाही नहीं की।

प्रसादो निष्फलोयस्य क्रोधश्चापि निरर्थक :।
न तं भंतारमिच्छन्ति षडं पतिमिव स्त्रिय :।

जिस तरह से हिजड़ेपति की बात को स्त्री नहीं माना करती है। उसी तरह से कमजोर सरकार से किसी को भय नहीं हुआ करता। यदि भय होता तो वहां का कलेक्टर वहां अवश्य ऐक्शन लेता। मुझे इस बात का भी खेद है कि ३६४ दिन तक तो हम देखते हैं कि श्रीमती सुचेता जी की सरकार है। ३६५वें दिन यहां पर श्री राज्यपाल महोदय आरूढ़ होते हैं और वे यह कहते हैं कि हम ने यह किया हम यह करने जा रहे हैं। हम जो अपना आक्रोश उस समय होता है सब भूल जाते हैं। हमारे यहां ठाकुरों का परिवार है जो बड़ा उदंड है। वह गांव वालों को हमेशा सताने का काम करता रहा है। परन्तु गांव वाले जब मुखिया के पास पहुंचते हैं तो वे उसके रूप को देखकर सब कुछ कहना भूल जाते हैं। हम भी जब राज्यपाल महोदय को यहां देखते हैं तो हम ३६४ दिन का इकट्ठा हुआ क्रोध सब भूल जाते हैं। ठीक है अदालतें भी उसी के कान्सेशन करने से अन्य बन्दियों को मुक्त कर देती हैं उनको स्वीकारोक्ति पर। हमारी सरकार ने इन आरोपों से बचने के लिए एक लाख रुपये का व्यय करके एक ऐसा प्रतिष्ठान बना रक्खा है जिससे वह तमाम दोषों से वंचित हो जाय और वे आरोपों और लोगों पर मढ़ दिये जायं। मैंने किसी बड़े मशविरे में सम्मिलित होते राज्यपाल को नहीं देखा बल्कि मुझे महसूस हुआ कि सब जिम्मेदारी उन्हीं के कंन्धों पर है। यह दोष विमोचन का बड़ा सुन्दर उपाय है हमारी सरकार का। माननीय नेहरू जी की एक बात मुझे स्मरण आती है उन्होंने एक बार कहा था कि राज्यपाल एक भटका हुआ राजनीतिज्ञ है वास्तव में यह सब ऐसा प्रतीत होता है कि उनको ऐसे अध्यादेश के जारी करने का जो कि जनता को अप्रिय हों एक साधन बना रक्खा है जिससे वे स्वयं बच जायं। वास्तव में राज्यपाल भटका हुआ राजनीतिज्ञ होता है। आज मुझे यह प्रतीत हुआ। मैं तो आज तक राज्यपाल महोदय को भाषणों और उद्घाटनों की चीज माना करता था इस मंच की वर्ष में एक दिन के लिये या एक घंटे की शोभा यदि ऐसा भी कह दें तो मुझे माफ करें।

इसके अलावा मैं कभी-कभी अपने मन में इस बात का सन्तोष कर लिया करता था कि सुचेता जी स्त्री स्वरूपा हैं। नारी स्वभाव निर्मल हुआ करता है। भूल हो गई होगी। उनकी भावनायें पवित्र हैं। मैं उन्हें सीता और सावित्री के रूप में देखता हूं परन्तु अब वह भी बात हट गई। उनकी नारी सरकार नहीं अनारी सरकार है। हो सकता है कि मेरी भावना थी। मैं जानता था। मैं स्त्रियों की बड़ी कद्र करता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" लेकिन जब वह नारी मातृस्वरूप में आती है तो माता से बच्चों को दूध मिलता है, बल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है परन्तु जब नारी के रूप में आती है तो उसका कार्य शोषण का होता है। मेरी भावना है कि वह नारी के रूप में न आकर सीता सावित्री के रूप में आयें जिससे हमें बल मिले, शक्ति मिले और प्रदेश और देश उनसे सुख पाये।

जहां शास्त्र यह कहता है—

'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'

वहां यह भी साफ-साफ कहता है—

यत्र स्त्री यत्र कितनी यत्र बालोनुशीशता
मज्जन्ति तेड घशा राजन नयामश्व प्लावा इव

जहां नारी, ज्वारी और बालक राजा हो, वहां पत्थर की नाव से नदी पार करना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत न होइये। नारी वे हैं अवश्य, लेकिन यहां तो वे मुख्य मंत्री हैं। उस हैसियत से उनके बारे में कहिये।

श्री लोकपालसिंह—

मैं तो केवल शास्त्र की बात कह रहा था। हमारे यहां एक ईसाई पुलिस कप्तान थे। एटा डकैतों का जिला है। वहां से उन कप्तान साहब का तबादला कर दिया गया। हमारे यहां के ६ विरोधी विधायकों ने माननीया मुख्य मंत्री से कहा कि वह योग्य हैं उनका तबादला रोक दिया जाय। उन्होंने कहा कि मैं अपने विचारों में दृढ़ हूं। इससे हमें भी गर्व हुआ और शांत होकर बैठ गये। लेकिन उसके ही बाद एक डी० पी० ओ० साहब का तबादला हुआ और उनके लिये एक कांग्रेसी एम० एल० सी० ने कहा और उनका तबादला रोक दिया गया। मुझे अफसोस है हमको सौतेला समझा और उनको सगा समझा—

कहता है कौन ! फूल से रगवत न चाहिये।
कांटो से भी मगर तुम्हें नफरत न चाहिये ॥

कांटों की रग में भी है लहूसब्जे जार का।
पाला हुआ है वह भी नसीमे बहार का ॥

हम भी उन्हीं वोटों के बनाये हुये हैं जिन वोटों के बनाये हुए आप हैं। श्री मुख्य मंत्री के आश्वासन देने के बाद भी हमारे जिलाधीश ने जिले के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया। मुझे इस बात का दुःख है— वही श्लोक मुझे पुनः ध्यान आता है कि,

प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापिनिरर्थक :।
न तं भर्तारमिच्छन्ति षंडं पतिभिव स्त्रिय :॥

इमरजेन्सी काल में आपने जो भूमि भवन कर एवं लगान बढ़ाया है उसके बारे में बहुत प्रकाश डाला जा चुका है। उस संबंध में अधिक न कहकर केवल इतना ही कहूंगा—

अगर नीमकश तीर चलता रहेगा, तो यह दिल भी पहलू बदलता रहेगा।
मुहब्बत रही औ मुहब्बत रहेगी, मगर तर्जे उल्फत बदलता रहेगा॥
जो था वह न है, जो है वह न होगा, जमाना हमेशा बदलता रहेगा॥

इस बात को स्मरण कर लीजिये कि ६७ में चुनाव आ रहा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं एक अजीब उलझन में पड़ा हुआ हूं क्योंकि जब मैंने अभिभाषण को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बेजान चीज को कोई इन्सान पढ़ता हो। मान्यवर, इतनी निराशा पिछले १३–१४ सालों में कभी भी किसी अभिभाषण को पढ़ने से नहीं हुई। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि बहुत सी बातें उसमें ऐसी हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं और बहुत सी बातों के लिये प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के कोई आंकड़े सारे अभिभाषण में देखने को नहीं मिलते। मैं बधाई देता हूं अपने बोलने वाले साथियों को कि जिन्होंने जरूर बड़े बड़े सवाल हमारे सामने पेश कर दिये। मुझे खुशी है कि माधवप्रसाद त्रिपाठी जो यहां मौजूद हैं। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हमारे घरेलू झकड़ों से हुई। मुझे उनसे कुछ नयी जानकारी भी हुई जो मुझे कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने पर भी नहीं थी। उन्हें

[श्री नवलकिशोर]

फिक्र हुई कि किस दल ने यहां के मुख्य मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया और आज उनकी बफादारी कहीं दूसरी जगह है और शायद वे तीसरा गुट ही बनाने जा रही हैं। मैं आपके द्वारा उनसे नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे दूसरे के घरों में झांकने की आदत न डालें, क्योंकि यह आदत अच्छी नहीं समझी जाती।

मान्यवर, उन्होंने और भी कई बातों की चर्चा की। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी के आन्तरिक मामलों में नहीं जाती है। क्योंकि श्री माधवप्रसाद जी जानते हैं कि वह भी नेता विरोधी दल आप की कृपा दृष्टि पर ही हैं और उन की भी कितनी फालोइंग उधर है और उधर के कितने दलों का कितना सहयोग उन को अपनी तरफ प्राप्त है। स्थिति अगर इधर खराब है तो उधर तो और भी बदतर है....

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

विरोधी दल वाले एक दूसरे के खिलाफ गन्दे पर्चे तो नहीं निकालते।

श्री नवलकिशोर—

जो बात मैं कह रहा था उस से मेरे भाई माराज न हों.....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय नवलकिशोर ने कहा कि नेता विरोधी दल आपकी कृपा से नेता विरोधी दल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपसे कि क्या श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी यहां के सब से बड़े विरोधी दल के नेता होने के कारण नेता विरोधी दल बने हुये हैं या वह आप की कृपा दृष्टि से बने हुये हैं जैसा कि अभी उन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष—

उनको ही कहने दीजिये क्या मतलब है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

आप कृपया अपनी ओर से स्पष्ट कर दें कि वह आपकी कृपा दृष्टि से नेता विरोधी दल हैं या अपने दल के संगठन के आधार पर अधिक संख्या के आधार पर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह स्वयं साफ कर देंगे, उनका क्या मतलब है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इससे तो प्रजातन्त्र की बुनियादें ही हिल जायेंगी, यह बहुत अहम सवाल है, विरोधी दल का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है उसको ऐसा कहा जा रहा है, आप स्पष्ट करें कि वह आप की कृपा दृष्टि से नेता विरोधी दल हैं या संवैधानिक रूप से हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह स्पष्ट कर रहे हैं उनको सुन तो लें।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं निवेदन करूंगा कि आप उन्हें अध्यक्ष पद की बहुत सी ताकत दे रहे हैं, आप अभी से उनको बोलने का अधिकार न दें।

श्री अध्यक्ष—

उनका इस से मतलब क्या है वह सुन लें, मेरा तो जनसंघ दल से कोई संबंध नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अभी तो वह भूमिका ही कह रहे हैं, अभी और आगे कहेंगे इसलिये अभी उन को सुन लिया जाय ।

श्री नवलकिशोर—

मैं श्रीमन्, अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मेरा कोई मतलब किसी के अनादर से नहीं है । मैंने केवल यह कहा कि जब कभी मैंने देखा और सुना खुद त्रिपाठी जी कहा करते हैं कि मैं विरोधी दल एवं अपने दल की ओर से ऐसी ऐसी बात कहता हूं, हमने जो पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस पढ़ा है उसी के देश यानी इंगलैंड से हम ने अपना सिस्टम निर्मित किया है और वहां आम तौर से डबल पार्टी सिस्टम है, वहां पर इस तरह से ६-६ पार्टियों का सिस्टम नहीं हुआ करता है । इसीलिये यह सही है और यही कारण है कि आपकी पार्लियामेंट के अन्दर किसी एक व्यक्ति को ही लीडर आफ अपोजीशन नहीं माना गया है । अगर उनको कृपा दृष्टि से एतराज है तब मैं नहीं कहता मगर उनकी शिकायत थी कि मुख्य मंत्री के साथ कितनी फालोइंग है लेकिन इस को जानने से पहले वह स्वयं भी सोचें कि उनकी स्थिति इधर से भी और भयंकर है या नहीं है । इससे साफ नतीजा यह निकलता है कि अच्छा यही है कि हम एक दूसरे की इन्टर्नल पालिटिक्स में घुसने की चेष्टा न करें क्योंकि आज की देश की परिस्थिति को हर व्यक्ति जानता है कि वह कैसी है । इसलिये इस तरह की बातें कहना कोई अच्छी परम्परा न होगी ।

मैं यह कह रहा था कि माननीय राज्यपाल ने सबसे पहले अपने अभिभाषण में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के प्रति अपनी और इस प्रदेश की श्रद्धांजलि पेश की जिन्होंने कि अपने १८ मास के कार्य काल में एक अद्भुत काम कर के दिखाया और हमारे खोये हुये सम्मान को फिर से वापस किया । साथ ही उन्होंने उन जवानों के लिये भी अपना ट्रिब्यूट पे किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के मान सम्मान को विदेशों में और और देश के अन्दर ऊंचा उठाया । हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश वह प्रदेश है कि जहां के शहीदों की ६०० की संख्या इस युद्ध में सबसे अधिक है । उनके प्रति हमारी सरकार भी जागरूक है और हमारी वह संस्था नागरिक परिषद जिसे हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने स्थापित किया था वह भी उचित ध्यान दे रही है । माननीय गुप्ता जी द्वारा स्थापित संस्थान से भी हमने अफसरों के लिये १००० रुपया, जी० सी० ओज के लिये ५०० रुपया और जवानों के लिये ४०० रुपये देने का प्रबन्ध किया है । नागरिक परिषद् जो हैं उसमें सभी दल के भाई हैं । उससे भी लाखों रुपये की कीमत सामान और रुपये सिपाहियों और रिफ्यूजीज के लिये भेजा गया है । यदि उसकी चर्चा इसमें आयी है तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही बात है ।

इसके अलावा उनके अभिभाषण में जो मुख्य बात आयी है वह कृषि के संबंध में है क्योंकि इस बीच में अनाज की काफी कमी रही और खास तौर से उस समय के दौरान जबकि हमारे देश का पाकिस्तान से संघर्ष हुआ । उस समय एंग्लो-अमेरिकन ब्लाक की हमदर्दी दुर्भाग्यवश संसार की सबसे बड़ी डैमोक्रेसी की ओर न रहकर पाकिस्तान की फासिस्ट रजीम की ओर रही । उस मौके पर अगर हमारे यहां पर अनाज की कमी से हो गयी थी तो यह अन्देशा था कि कहीं अमरीका गेहूं देने के पीछे कोई राजनीतिक शर्त न लगा दे और हमको अपना आत्मगौरव और आत्म सम्मान खोकर उसके साथ अनाज का समझौता करना पड़े । इसलिये देश ने तय किया कि हम एक वक्त खाना खाकर रहेंगे, लेकिन किसी राजनैतिक शर्त के साथ अनाज नहीं लेंगे । इस मौके पर अनाज की ओर भी कमी महसूस हुयी । जिस देश में ७० और ७४ प्रतिशत जनता खेती करती हो उस देश को दूसरे देश पर निर्भर होना शर्म और लज्जा की बात है । इसके संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं कि कृषि विभाग में यह यह बातें हो गयी हैं और यह कदम उठाये जा रहे हैं । मैं तो एक ही बात जानता हूं कि जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाय तब ही उन साधनों का सही मापदंड हमारे सामने आ सकता है क्योंकि १९६१-६२ में हमारी पैदावार १४२ लाख टन थी, ३ सालों में घट-कर ११६ लाख टन हो गयी । और उसके बाद पिछले साल में १३६ लाख टन हो गयी । इस साल

[श्री नवलकिशोर]

के आंकड़े इस समय हमारे सामने नहीं है। १५-१६ साल के बाद अब यह बताया जा रहा है कि हमारा जो टार्गेट १८२ लाख टन प्रति वर्ष का तृतीय योजना के अंत तक था व ओवर एम्बीशश था। मान्यवर, मुझे आप क्षमा करेंगे, कुछ लोगों का यह भी विचार बन गया है कि एग्रीकल्चर की विशेष उपयोगिता अब इस प्रदेश में नहीं रह गई है। सौभाग्य से कृषक समाज सम्मेलन, जो यहां पर हुआ, उसमें कुछ महानुभावों के विचार जानने का मुझे अवसर मिला। उससे ज्यादा क्लियर "कमेंट्री एग्रीकल्चर विभाग के ऊपर नहीं हो सकती है। हमारे माननीय गेंदासिंह जी, जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने फरमाया ह कि यह जो अनुसन्धान (रिसर्च) होता है, उनका फायदा आजतक काश्तकार को नहीं पहुंचा है। आज से १० साल पहले जब मुझे चेयरमैन, एस्टीमेट कमेटी, होने का सौभाग्य मिला था, उस समय मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी कि ये जो बड़े बड़े रिसर्च औफिसर और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसन्धान का फायदा यदि खेतों तक नहीं पहुंचा है तो उन पर जो व्यय हो रहा है वह व्यर्थ सा ही है। यह सही है कि उनके अनुसन्धान का फायदा आज तक किसानों तक नहीं पहुंचा है।

दूसरे एग्रीकल्चर विभाग के जो औफिसर हैं वे थ्यौरिटिशियन हैं। वे कृषि की समस्या को खुद समझते ही नहीं है। यही कारण है कि जो योजनायें उन्होंने कृषि के संबंध में बनायी हैं, वे बेकार साबित हुयी हैं। ये दो राये हैं हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री की। इनके पहले हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री चरणसिंह जी थे, जो कृषि के विषेषज्ञ भी हैं। मान्यवर, उनका कहना यह है कि सरकार ने अनाजों की कमी के बावजूद भी अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि कृषि विभाग मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये। बंगाल प्रान्त को छोड़ कर किसी प्रान्त में भी मुख्य मंत्री के पास कृषि विभाग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह कहा करता था कि ऐग्रीकल्चर, सहकारित, एर्रीगेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक साथ होने चाहिये और डिवाइडेड पोर्टफोलियोज नहीं होने चाहियें। आज केन्द्र ने उस बात को माना। उन्होंने इस बात के लिये कहा कि उसको हमको भी मानना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों की अंधे तरीके से कापी करने से खेती की प्रगति नहीं होगी। भाई राममूर्ति जी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं और खुद भी एक बहुत ही सफल कृषक हैं, उन्होंने दो बातें कहीं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि यह जो प्लानर्स हैं ये सब शहर के लोग हैं और इन को कोई ज्ञान विशेष देहात की परिस्थितियों का नहीं है। षक बात।

दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि जो हमारी प्लानिंग है वह इंडिपेंडेंट नहीं है। हमको मजबूरन इंडियन पैटर्न के साथ चलना पड़ता है। मान्यवर, इस संबंध में मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश में, कदम सही है या गलत है, यह तो हिस्ट्री बतायेगी, मगर उन्होंने बी० डी० ओज के पद को अबालिश कर दिया। एक अजीब तमाशा है। कि केन्द्र लक्ष्य भी निर्धारित करता है और साथ उसके तरीके भी। माननीय त्रिपाठी जी ने एक बात सही कही कि मंत्री होने के बाद और मंत्री होने से पहले और मंत्री होने पर काफी तबदीलियां सामने आ जाती हैं। खैर हमारे पास तो कुछ ताकत है, लेकिन जिनके पास वह भी नहीं, उन में भी मैं बड़ी तबदीली देखता हूं। सदन में कह, सदन के बाहर कुछ और मंत्रियों के कमरे में कुछ। फिर तो वह तो डायनेमिज्म की बात है।

मैं यह कह रहा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमारे लिये टार्गेट फिक्स कर दे यह तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर तरीका भी हमारे ऊपर थोपा जाय तो इससे स्टेट की अटोनामी खत्म हो जाती है। आदमियों की तनख्वाहें, उनकी तरक्की यह सब चीजें वहां से बन कर आती हैं। मान्यवर, गवर्नर साहब ने भी इस मामले में कहा है। एक तो उन्होंने यह कहा कि साइनटिस्ट्स पर जो पैसा खर्च होता है इसका पूरा फायदा हमको नहीं पहुंच पाता है। कोआपरेन्टिव से जितनी आशायें थीं वह उन आशाओं को पूरा नहीं कर सके हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि केमिकल्स पर जो बड़ा भारी जोर दिया जाता है यह न दिया जाय बल्कि कम्पोस्टव, ग्रीन मन्योर जोर पर दिया जाय।

कुछ यह भी था कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। माननीय भानुप्रतापसिंह जी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि बड़े फार्म्स होने चाहिये, सीलिंग का आपने बहुत गलत काम किया। उससे पैदावार घटी है। चौधरी साहब ने कहा कि छोटे फार्म्स से यील्ड पर एकड़ ज्यादा होती है। मान्यवर, यह बात मैं आपके सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद जब यह बातें सुनने को मिलती हैं कृषक समाज के अन्दर तो यह पता चलता है कि कृषि की कोई निश्चित नीति के ऊपर हम अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। यदि यह स्थिति है तो किस प्रकार से कृषि आगे बढ़ेगी ?

इंडस्ट्री के बारे में मान्यवर, एक बात कही गई है कि कृषि और इंडस्ट्री ही दो चीजे होती हैं किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिये। उद्योग धंधे के मामले में कुछ फैक्ट्रियों के नाम इस में दिये गये हैं नैनी में जो पब्लिक सेक्टर में आने वाली है। उसके लिये मैं बधाई देता हूं क्योंकि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में कोई विशेष इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में हमारे प्रदेश में नहीं आ सकी है। दूसरी योजना के अन्त में और तृतीय योजना में कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहां आयीं और यही वजह है कि पिछले १० सालों में, जो इवेल्यूएशन आपके यहां हुआ है मान्यवर, उसके अनुसार साढ़े ३ परसेंट केवल प्रगति हुई इंडस्ट्री के अन्दर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अभी हमारे पास कोई मूल्यांकन नहीं है। इंडस्ट्रीज बढ़ें इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं सरकार को बतलाता चाहता हूं कि मुझे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तरफ से इंडस्ट्रीज सब कमेटी में प्रदेश का इंटेंसिव टूर करने का मौका मिला यहां के उद्योगपतियों की फीलिंग यह है कि इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट बजाय लोगों की प्रगति में सहायक होने के बाधक ज्यादा है। मैं खुद यह नहीं कहता हूं, बल्कि यह उद्योगपतियों की कमेटी है और एक बड़ी सैड कमेंटरी है और सरकार को इसे देखना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि अगर सरकार को प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो जो उसकी औद्योगिक नीति है उसके अन्दर आमूल परिवर्तन करना होगा। डायरेक्टोरेट में मुझे जाने का मौका मिला और वहां मैंने देखा कि व्हाइट एलिफेंट की तरह उसका एक्सपेंशन हो गया है हालांकि उद्योगों में उस अनपात में एक्सपेंशन नहीं हुआ है। कोई आदमी अगर कई इंडस्ट्रीज लगाना चाहे तो उसे गायडेंस नहीं मिल सकती। उद्योग के मामले में हम काफी पिछड़े हुये हैं। कोआपरेटिव के मामले में मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। गवर्नर साहब की बात आपके सामने है। कोआपरेटिव के बारे में मैं सिद्धान्ततः यह मानता हूं कि इससे अच्छा आन्दोलन आर्थिक उन्नति के लिये दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन जो एक नोट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ओर से आया है इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्जस के बारे में उसको देखकर मैं हैरान था। बात उन्होंने सही कही थी और उसमें पता चला कि स्पिनर्स एंड वीवर्स कोआपरेटिव्स सोसाइटीज बनीं उससे बुनकरों का काफी आर्थिक स्तर गिर गया और उनको उलझने पैदा हो गयीं। तो केवल आन्दोलन से काम नहीं चल सकता है। ५४ करोड़ रुपया सहकारी समितियों ने कर्जे में बांट दिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार एक कमीशन बिठाये जो जांच करे इस बात की कि जो पैसा दिया गया है काश्तकारों को क्या उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है उन पर या कर्जे का बोझ बढ़ गया है। मेरा विश्वास है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बजाय कर्जे का बोझ बढ़ा है।

एक चर्चा हुआ करती है कि विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन लिये इवैल्युएशन कमेटी बनी है। अच्छी बात है मूल्यांकन करना चाहिये और उसे कोआपरेटिव्स के मूल्यांकन का काम भी दे दिया जाय ताकि सही आंकड़ें व स्थिति हमारे सामने आ सके। यह बात मैं जरूर कहूंगा कि इवैल्युएशन कमेटी में ऐसे व्यक्ति को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाय जो अपना पूरा-पूरा समय उस काम के लिये दे सकता हो।

कुछ दिनों से देखा है कि हमारी टेंडेंसीज यह हो गई है कि हम समझने लगे हैं कि यदि नया आफिसर नियुक्त कर दें तब सब काम ठीक हो जायगा। एक पोस्ट प्रोडक्शन कमिश्नर की हमने निर्मित की। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि उसके बाद एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन होता चला जायेगा। अब यह भी पता चला है कि एक डायरेक्टर आफ ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं जो ट्यूबवेल्स से हमारे लिये पानी का इन्तजाम करेंगे। एक

[श्री नवलकिशोर]

और मखौल है, कि एक एक्सटेंशन सर्विस कायम की गयी है एग्रीकल्चर में। वह बतायेगी किसानों को कि उन्हें कितना पानी लेना चाहिये और कब लेना चाहिये। लेकिन काश्तकार कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिलता है। ट्यूबवेल्स की कैपेसिटी आमतौर से दो तिहाई है। मेरी तहसील में ९९ कुएं हैं जिनसे ११ हजार एकड़ की आबपाशी होती है और जितने घंटे चलने चाहिये उससे ५० प्रतिशत या ६० प्रतिशत से ज्यादा नहीं चलते हैं। यह सब ठीक करने को अब एक डायरक्टर आफ ट्यूबवेल्स भी बना दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि यह पोस्ट बना दी गई। लेकिन देखना यह है कि अब इर्रीगेशन का जो काम है वह इस डायरेक्टर आफ ट्यूबवेल्स का हो गया है। फर्टिलाइजर्स और सोइल्स कोआपरेटिव डिपार्टमेंट बांटता है और एग्रीकल्चर आफिसर्स कृषि मंत्री के मुताबिक थियोरिटी शियन्स हैं। फिर समझ में नहीं आता है कि यह महकमा किस मर्ज की दवा है? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिये।

तीसरे प्लान में बताया गया कि ५६२ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यह जो ६५ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होने वाला है इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि ये आंकड़े न आयें कि जो हमारे टार्जेट थे उनको किस अनुपात में हमने प्राप्त किया क्योंकि पैसा खर्च करने में हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत एक्सपर्ट है। एक बात यह कही गई कि सत्तर फीसदी रुपया इस प्लान में दिया गया था। अब जो इंतजाम किया गया है १३४ करोड़ रुपये के खर्च करने का ६६--६७ में तो उसमें ६० प्रतिशत दिया गया है। तीसरी योजना में जो हमारा आउटले ४९७ करोड़ का था उसमें ७० परसेंट दिया गया था। लेकिन अब तक ५६२ करोड़ रुपया खर्च होगा तो वह केवल ६१.९ परसेन्ट ही आता है। एक बात मैं यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार से यह बात तय हो जानी चाहिये जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कही थी और यह सवाल उठाया था कि आबादी के लिहाज से हमें अनुदान मिलना चाहिये। वह प्रश्न ज्यादा वैज्ञानिक तो मुझे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो यदि हम इस चीज को उठायें तो सही ही होगा।

मैं बहुत-सी बातों को छोड़ देता हूं। केवल २-३ बातें ही कहूंगा। एकोनोमी के संबंध में मैं जरूर अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस ओर सरकार ने जरूर कुछ ठोस कदम उठाये हैं। यद्यपि इसकी कोई चर्चा अभिभाषण में नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर से जानता हूं इसलिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

विजिलेंस कमीशन के बारे में भी यहां पर काफी कहा गया है। उसकी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो उसका स्टेटस बनाया गया था उसको घटा दिया गया है। पहले इसका चेयरमैन सीनियर मेम्बर बोर्ड आफ रेवन्यू था जो अब घटाकर डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया गया है। आई० जी० को घटाकर डी० आई० जी० कर दिया गया है। जब रिपोर्ट सामने आये तो देखने की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहना है। केवल इतना कहना है कि सेक्रटेरियट के अन्दर ऐसी व्यवस्था रही है कि उसके अन्दर कई प्रैक्टिस हैं। इसलिये उसके ओवरहालिंग की जरूरत है। यह एक्सपीरियन्स बन गया है कि जो टौप पर आता है तो उसके ही पैट्स भर दिये जाते हैं। यह चीज अच्छी नहीं है। आखिर में बहुत से आर्डीनेंस निकले उनके बारे में इस समय मैं कुछ नहीं कहूंगा। समय आने पर कहूंगा।

एक बात कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन्स जो सुपसीड हुये हैं उसका मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं यह महसूस करता हूं कि इसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस होंगे। मैं जानता नहीं हूं कि यह प्रजातंत्र को मजबूत साबित करेगा या कमजोर करेगा। मैं समझता हूं कि यह कमजोरी की ही तरफ ले जायगा।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, एक बात को माननीय सदस्य गवाही दे दें कि छात्र नेताओं को इन्होंने पास दिया था और उनको गिरफ्तार कराया या नहीं?

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन जो कितनी जिम्मेदारी से बात कहते हैं इसको सारा सदन जानता है। मगर मुझे दुख है कि उन्होंने गिरफ्तार करवाने की बात कही। मैंने गिरफ्तार करवाया इससे ज्यादा निरर्थक बात हो नहीं सकती है। एक बात सही है कि जिस समय मेरे पास आफिस से टेलीफोन आया कि १०-११ विद्यार्थी मिलना चाहते हैं उनको इजाजत दे दी जाय। मैंने कहा दे दी जाय। वह आये। ३०-३५ मिनट बातचीत की। उसके बाद एक शादी में मैं चला गया। दूसरे दिन मालूम हुआ अखबार से कि वह लोग गिरफ्तार हो गये।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात साफ कर दूं। माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात कही कि मेरी कृपा से माधवप्रसाद जी नेता है। मैं चाहता हूं कि इसको साफ कर दूं। उन्होंने केवल संकेत किया है। हमारे सदन की प्रथा है, जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है उसको नेता विरोधी दल की संज्ञा दी जाती है। और चूंकि वह सबसे बड़ी पार्टी के हैं, इतनी बड़ी पार्टी है कि वह स्वयं अपने बल पर इस सदन में कोरम बना सकती है, उस पार्टी का नेता होने के कारण मैं उनको विरोधी दल का नेता कहा करता हूं। यही हमारे सदन की प्रथा है। अन्यथा वह अपने ही बल से अपनी पार्टी के नेता हैं, मेरे बल से नहीं।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामअधार कनौजिया। (एक दो सदस्यों के खड़े रहने पर) स्वतंत्र पार्टी का कोई नहीं बोला है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा। महामहिम राज्यपाल ने स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बड़ा उपदेश दिया है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि हम में से प्रत्येक अपने अपने कार्य क्षेत्र में देश को सुदृढ़ और समृद्धशाली बनाने में अधिक से अधिक योग दे।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा माननीय राधेश्याम शर्मा से कि स्वतंत्र पार्टी का कोई नहीं बोला है इसलिए वह बैठ जायं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जनसंघ के दूसरे सदस्य बोलने लगे थे उस समय यह प्रश्न उठना चाहिये था। लोकपाल जो बोले हैं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, कल जनसंघ का केवल एक बोला है। आपके तीन बोले हैं। इसको ध्यान में रखिये।

श्री उग्रसेन—

स्वतंत्र पार्टी का कोई नहीं बोला है तो पहले स्वतंत्र पार्टी को बुलाकर जनसंघ को बुलाना चाहिये था।

श्री रामअधार कनौजिया—

जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री के जीवन में हुई घटनाओं का संकेत किया है उससे हम सबको, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सबक लेना है। उनके प्रति सही श्रद्धांजलि तभी मानी जा सकती है जब उनके द्वारा किये गये कार्य और जो कुशलता उन्होंने अपने क्षेत्र में दिखायी है उसके ऊपर संकल्प करके हम काम करें।

[श्री रामअधार कनौजिया]

प्रजातन्त्र पर चलने वाली सरकार ने उनको एक मौका दिया और पूज्य शास्त्री जी ने जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का आदर करते हुये प्रजातांत्रिक शासन-चलाया जिसके लिये उनका प्रयास सराहनीय रहा। वह जो काम करते थे उसकी महत्ता समझते थे और करने के पहले यह महसूस कर लेते थे कि वह काम को ठीक से निभा पायेंगे या नहीं, तभी वह किसी कार्य का बोझ अपने कन्धों पर लेते थे और पूरी तरह से तन, मन व धन से किसी भी कार्य को करते थे और यदि उसमें कोई कमी रह जाती थी, उत्तरदायित्व में कोई ढील हो जाती थी, तो वह अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जैसा कि उनके रेल मंत्री रहने के समय जब बड़ी रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना त्याग पत्र दिया। जिस पद का कार्य करने में वह अपने क असमर्थ पाते थे, उसे खुशी से छोड़ देते थे। मुझे विश्वास है कि शास्त्री जी के प्रति सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब उत्तर प्रदेश के इस देश और प्रदेश को चलाने वाली सरकार के मंत्रिगण, जिनके ऊपर अब तक आक्षेप लगे हैं, या उनके प्रति शंकाएं हैं वह अपने दामन में मुंह डाल कर टटोल कर देखें कि आया हमनें कोई खराबी तो नहीं है और यदि खराबियां है, तो उन्हें चाहिये और उनका यही कर्त्तव्य है कि वह अपने पद को शास्त्री जी की तरह उदारतापूर्वक छोड़ने के लिये त्याग पत्र दे दें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये।)

मैं महामहिम राज्यपाल का इस बार का अभिभाषण देखकर आश्चर्य में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यह तो केवल एक रस्मअदायगी है। इसमें कोई ऐसी चीज का उल्लेख नहीं मिलता है, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश का आने वाला भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़े और हमें यह आशा बंधे कि प्रदेश आने वाले समय में उन्नति करेगा। यह प्रदेश तो बहुत अंधेरे में चल रहा है। पूज्य शास्त्री जी का यह एलान था, 'जय जवान जय किसान'. यह एलान इस बात को सोचकर था कि यह वह नारा है जिस पर किसी भी देश की सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और यह देश उनकी उन्नति का प्रयास करे तभी देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने जवानों के कार्यों का जो वर्णन किया है वह सराहनीय है। जवानों के साथ जिन्होंने अपनी मर्दानगी और जौहर का परिचय दिया है, हमें इस प्रदेश और देश की करोड़ों जनता की कुर्बानी को भी नहीं भूलना चाहिये, जिन्होंने तन, मन और धन से इस देश की सुरक्षा के लिये अपना योगदान दिया है। इसलिये उन्होंने इस देश में जो कृषि प्रधान है, जहां किसान राष्ट्र की उन्नति का स्तम्भ है, उस किसान की जय का नारा लगाया है। क्योंकि देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा भार किसानों के कंधे पर ही है। उन्होंने जय किसान का नारा लगाया था, उसको चरितार्थ करने के लिये इस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया कि देश अन्न संकट में है और इसलिये उन्होंने इस बात पर जोर दिया किसानों में साहस आये और अपनी खेती की उपज किसान बढ़ाये और राष्ट्र क बचाये। जैसा कि नवलकिशोर जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी मौजूदा सरकार की कृषि नीति बिलकुल असन्तोषजनक रही है, अफसल रही है जो केवल ढुलमुल नीति कही जायगी।

इसके लिये यदि हम आंकड़ों को देखें तो में पता चलेगा कि यदि भारत व अन्य देशों की सन् ५६–५७ की पैदावार को देखा जाये, और उस वर्ष के उपज के आंकड़े को १०० मान लिया जाये। तो भारत अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, पश्चिमी, जर्मनी, इंगलैंड, इटली और फ्रास १० ऐसे देश है, जिनकी सन् ६०–६१ में पैदावार बढ़ है। भारत में १०० से ११२ हुई, अमेरिका में १०५, जापान में ११८, इंडोनेशिया में १०६, पाकिस्तान में १०६, ब्राजील में १२४, पश्चिमी जर्मनी में ११०, इंगलैंड में १०९, इटली में १०९ और फ्रांस में १०९ हुई, इस तरह से इन दस देशों में कृषि में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि जहां हुई वहां पर यह देखा गया कि नई जमीन को तोड़ कर ही वृद्धि की गयी है। और जहां पर जमीन तोड़ने की समस्या नहीं थी वह था जापान और उसने रसायनिक खाद का इस्तेमाल ज्यादा करके ही पैदावार को बढ़ाया। सबसे बड़ा दुख यह है कि इस प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में नयी जमीन को तोड़ कर जो कृषि की

गयी थी वह केवल नई प ती जमीन तोड़कर ही की गई थी—और इसीलिये उस वक्त ज्यादा पैदावार हुई । यह बात सही नहीं है कि केवल योजना के आधार पर ही—उत्पादन होगा । बोर्ड आफ रेवेन्यू की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में १६ लाख एकड़ जमीन इस वक्त भी परती है तथा इसके अतिरिक्त १० प्रतिशत जमीन प्रत्येक गांव समाज में छोड़ी गयी है । सरकार को विचार करना चाहिये कि जब इस वक्त अन्न संकट है और विदेशों से अन्न मंगाना पड़ रहा है तब इतनी परती जमीन क्यों पड़ी है ? यह कहा जा सकता है कि सरकार के पास धन की कमी है । लेकिन उसके लिये अरब गणराज्य का हिसाब देखा जाय कि उन्होंने हदबन्दी कानून की व्यवस्था इस तरह की है कि नयी तोड़ जमीन को २५ साल तक के लिये निःशुल्क किया है और उसमें यह व्यवस्था है कि आधी जमीन उन काश्तकारों को देदी है और आधी जमीन गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में रखी है इस तरह से कृषकों को लालायित करके उन्होंने जमीन को तुड़वाया और पैदावार बढ़ा ी । इस तरह इसमें धन की आवश्यकता भी नहीं है । काश्तकारों को बिना कुछ लिये जमीन तोड़ने के लिये दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि इससे अन्न संकट बहुत हद तक दूर हो जायेगा तथा गरीबों को राहत मिलेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस समय मुझ बोलने का अवसर दिया है । मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा । उन्होंने लिखा है कि वर्ष १९६६-६७ में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १.१९ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ११.९५ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिये सम्भाव्य साधनों की व्यवस्था करने की आशा है । यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सिंचाई के लिये बरसात का पानी जमा करने के उद्देश्य से यथासम्भव अधिक से अधिक जलाशय भी बनवा दिये जायं । एक पृथक नलकूप निदेशालय भी स्थापित कर दिया गया है । हर एक नलकूप पर दो मील पक्की और तीन मील कच्ची गूलों की व्यवस्था करने के लिये जल वितरण नालियों की वृद्धि की जा रही है । इससे पता चलता है कि राज्यपाल महोदय ने सरकार का ध्यान देश और प्रदेश की खाद्य समस्याओं की ओर खींचा है । सबसे बड़ा संकेत उन्होंने यह किया है कि हमारे देश और प्रदेश अन्नाज के संकट में पड़ा है और यह समस्या प्रदेश और देश में किस तरह से हल हो यह उन्होंने बताया है । लेकिन आप देखें कि नलकूपों में जो नालियां जगह जगह पर प्रदेश में बनायी जाती हैं, जितनी सीमेंट नालियों में खर्च होनी चाहिये, नहीं होती । सीमेंट की ब्लैक होती है उसके बारे में शायद राज्यपाल जी को जानकारी नहीं है और जितना भी निर्माण का कार्य देश में और प्रदेश में हो रहा है और जितने इसमें इंजीनियर्स और ओवरसियर्स लगे हुये हैं उसमें कितना ब्लैक-मार्केट होता है । वे सीमेंट बचा करके इसमें परसेंटेज लेते है और वह नालियां एक या दो पानी के बाद टूट जाती हैं । वह व्यवस्था जो राज्यपाल जी चाहते हैं वह हो पायेगी या नहीं बड़ी संदिग्ध बात है । हमारे प्रदेश में ओवरसियर्स जितना गड़बड़ घोटाला सीमेंट में करते हैं नलकूपों के मामले में वैसा शायद क ीं नहीं हो रहा है । मैंने अपने जिले तथा दूसरे जिलों में भी देखा है और मैं चाहता हूं कि जितनी भी नालियां बन रही हैं उसमें सीमेंट जितना आवश्यक है ओवरसियर्स नहीं लगा रहे हैं और ज्यादा कीमत पर वह ब्लैक में बिकता है और वह अपना परसेंटेज ले लेते हैं, सरकार इसको देखे । जितना भी रुपया इस पर व्यय होता है उसका उपयोग सही नहीं हो रहा है । सरकार को नलकूपों से करीब साढ़े ३ या ४ करोड़ का घाटा होता है । यह घाटा यदि समाप्त करना है तो इन नलकूपों की व्यवस्था ठीक करनी होगी ।

आये दिन की शिकायत है कि नलकूप ठीक नहीं च ते हैं किसानों को पानी उचित समय पर नहीं मिलता है और निजी जो नलकूप हैं उनके लिये ४ फर्लांग का प्रतिबन्ध लगा हुआ है । यानी ४ फर्लांग इधर और ४ फर्लांग उधर यानी १ मील के दायरे में सरकारी ट्यूबवेल्स से

[श्री जसरामी ह]

प्राइवेट ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते। यह देखा जाये कि सरकारी ट्यूबवेल क्या इस १ मील के दायरे की-एरिया में सींचाई कर पाते हैं। अच्छा बीज, अच्छी खाद और अन्य सुविधायें सारी आप किसानों को दे दें लेकिन पानी आप समय पर उनको न दे पायें तो यह सारी सुविधा बेकार है। एक ऊंची जगह पर बातें हो रही थीं। वहां पर चर्चा थी कि किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद दी जाय। जब मैंने पानी की बात की तो वह लोग चुप हो गये। यदि पानी की व्यवस्था सरकार किसानों के लिये कर दे तो पैदावार की कमी समाप्त हो सकती है और यह अन्न समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि ट्यूबवेल पर जो यह ४ फर्लांग वाला प्रतिबन्ध है इसको घटाकर २ फर्लांग कर दिया जाय और प्राइवेट ट्यूबवेलों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। यदि कोई किसान प्राइवेट ट्यूबवेल वाला सरकारी नाली से पानी ले जाना चाहे तो उसको उतना ही सिंचाई का टैक्स देना पड़ेगा जितना सरकारी ट्यूबवेल से लेने पर होता है। उसमें आपरेटर किसानों से मिल कर कुछ पैसा तय करते हैं। सरकार को चाहिये कि जो किसान आपकी आज्ञा से अपने ट्यूबवेल क पानी खेतो के लिये सरकारी नाली से ले जाय तो उसका कुछ प्रतिशत उस पर लगाया ज य, नहीं तो सरकारी नाली से प्राइवेट ट्यूबवेल वाले और किसान आपरेटर दोनों को फायदा होता है और सरकार को नुकसान होता है।

एक चर्चा राज्यपाल जी ने कुशल प्रशासन की की है। अच्छा प्रशासन चलाने के लिये योग्य शासक होना चाहिये। श्री नवल किशोर जी ने इशारा किया है इस प्रदेश में आई० ए० एस० अधिकारियों का ऐसा तरीका बन गया है जो योग्य से योग्य आई० ए० एस० आफिसरों को यहां जमने नहीं देते। इस प्रदेश से निकाल कर उन को बाहर भेजने की बात उनके मन में रहती है। आई० ए० एस० आफिसरों का कोटा हमारे प्रदेश में केन्द्र के लिये ६० कर्मचारियों का निश्चित है। लेकिन १०० से अधिक सुयोग्य और अच्छे आई० ए० एस० आफिसर यहां से केन्द्रीय सरकार में जा चुके हैं। यहां से आये दिन उनके भेजने का एक तांता लगा हुआ है। जो अच्छे और ईमानदार शासक हैं उनको किसी न किसी तरकीब से यहां से हटाकर केन्द्र में भेजा जाय यह उचित नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय को मेरी यह बात भेजी जाय और मुख्य मंत्री जी के पास मेरी यह बात भेजी जाय कि जितने अच्छे आई० ए० एस० आफीसर छोड़ कर चले गये हैं उनको वापस बुलाया जाय। इस प्रदेश को अच्छे प्रशासक की आवश्यकता है। अच्छे प्रशासक यहां से न भेजे जायं। इसमें कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिये। जितना केन्द्रीय सरकार का कोटा है उतना ही वहां पर भेजा जाय। इससे अधिक नहीं भेजना चाहिये।

जहां तक हरिजनों का प्रश्न है राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उनके लिये कुछ बातें कह कर उसको समाप्त कर दिया है। प्रदेश में जब किफायतशारी की बात आती है तो सबसे पहले हरिजन विभाग की ओर ही नजर जाती है। जब भी कहीं पर किफायतशारी की बात आती है तो हरिजन विभाग से रुपया काटने की बात सोची जाती है कि किस तरह से वहां पर रुपया कम किया जाय और किस तरह से उसमें काटछांट की जाय। वैसे ही उस विभाग को रुपये कम मिलता है और प्रदेश में हरिजनों की समस्या बहुत जटिल है। लेकिन फिर भी उसमें रुपया के काटछांट की बात की जाती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बड़ी निराशा की बातें हरिजनों के सम्बन्ध में कही हैं। जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें हरिजनों का कोटा उनके अनुपात के हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। हरिजनों का कोटा उनकी नौकरियों में जिले के स्तर पर या दूसरी जगह पूरा किया जाय, यदि इस प्रकार का संकेत उनके भाषण में होता तो उसका स्वागत होता और समाज में हर पांच आदमी के पीछे जो एक हरिजन है उनको सन्तोष होता। मैं चाहता हूं इस पर ध्यान दिया जाय।

मैं यहां पर कल सुन रहा था कि एक माननीय सदस्य यहां पर सत्याग्रह करने के लिये बात कर रहे थे। सत्य के लिये हठ करना बहुत ही अच्छी बात है। वह कर सकते हैं।

उनको यह अधिकार है। वह अपने दिल को टटोलें और यदि उन को सत्याग्रह करना है और सत्य का चिन्तन करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है और सरकार को सही रास्ते पर लाना है तो यह उनके चिन्तन करने का विषय है लेकिन वह कर पायेंगे या नहीं, उसमें मुझे सन्देह है। सत्याग्रह के लिये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य के लिये हठ करना बहुत आत्मचिन्तन की बात है। उसको सोच समझकर करना चाहिये। सत्य के लिये हठ करना, सत्य की तरफ किसी को ले जाना, सत्य के लिये उस को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पास कितना सत्य है और कितना वह सत्य बता सकते हैं या कितनी सरकार सत्य है, यह आत्म चिन्तन का विषय है। सत्य के लिये सत्याग्रह करना या सत्य बात करना यह धर्म युद्ध है और धर्म चिन्तन में आत्म चिन्तन की बात हो जाती है।

इसके अलावा जो राज्यपाल महोदय ने अन्न उपजाओं की बात कही है और उस पर जोर दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, १९६२ से १९६६ तक इस आदरणीय सदन में मैं और दूसरे माननीय सदस्य और श्रीमन्, आप भी सुनते चले आ रहे हैं। माननीय राज्यपाल, मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने भाषण को देखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं और लिखते भी नहीं। सरकारी नौकरशाही उसको लिख कर उनको दे देती है और माननीय राज्यपाल महोदय प्रतीक बनकर अपने कंधों पर सारा बोझ लेकर यहां सुना देते हैं। मैं और उग्रसेन जी राज्यपाल जी से एक बार मिले थे और उनसे कुछ बातें पूछी प्रशासन के विषय में तो राज्यपाल जी ने स्वयं कहा था कि उग्रसेन जी, आप तो स्वयं जानते हैं कि मैं तो एक बुरकानशीन औरत हूं, जो देखती सब कुछ है, कर कुछ नहीं सकती। उस दिन के बाद मैं उनसे मिला नहीं।

अब मैं सारे प्रदेश के आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं। मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ हुई। विरोधी पक्ष के लोग पिछले पांच सालों से एक एक गलत कामों का लेखा जोखा इकट्ठा करते चले आ रहे हैं और ६७ में होने वाले आम चुनाव की तैयारी यह सरकार कर रही है, ऐसा लगता है। अभी मैंने ८, १० भाषण सुने कांग्रेस पक्ष के, लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या व्यू है। अब तक सरकार ने जो कुछ किया, सही, गलत, उल्टा, सीधा, सब का निर्णय यहां 'हां और 'नहीं' से हो जाता है। इस सदन में सरकारी पक्ष के लोगों ने भाषण किये, लेकिन माननीय राज्यपाल के संबोधन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। माननीय नवलकिशोर जी ने ईमानदारी की बात कही है। और जब उन्होंने तमाम खामियों की बात कही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष में जो लोग बैठे हैं वे दूसरी पार्टियों को पनपने क्यों नहीं देते? जनता को समझाने की, पढ़ाने की जिम्मेदारी आज कांग्रेस सरकार की है और जो इस बात को सही समझते हैं, वे अगर सरकार की नीति को सही नहीं समझते तो नैतिकता का तकाजा यह है कि वे विरोधी पार्टियों में जिस को ठीक समझें, उसमें आ कर मिल जायं। इस प्रकार का आपस में गड़बड़ घोटाला करना बेइन्साफी है। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि माधवप्रसाद त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी झगड़े देखते रहते हैं। यह गलत बात है। कैबिनेट के लोग क्या करते हैं? जब वे आपस में झगड़ते हैं तो उनका असर पूरे साढ़े ८ करोड़ लोगों पर पड़ता है। वे सारे प्रदेश के लोगों के के लिये जिम्मेदार हैं और जब उन में गड़बड़ होती है तो हमें कहना पड़ता है। यह सारे सदन के लिये उत्तरदायी हैं।

अब मैं आंकड़ों की तरफ आता हूं। माननीय राज्यपाल ने कहा कि हम कृषि पर ३५.९० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था कर रहे हैं। १९६६-६७ में और लघु सिंचाई योजना पर २०.८० करोड़ रुपया खर्च होगा। बड़ी और माध्यम योजना के लिये, १४.५० करोड़ रुपया खर्च होगा। मान्यवर, सिंचाई के सारे साधन जुटाने के लिये इतना रुपया खर्च

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

होगा, पर मैं आप का ध्यान उस समय की ओर ले जाना चाहता हूं जब कि प्रदेश में योजना का नाम भी कोई नहीं जानता था, यहां प्लानिंग का कोई जिक्र नहीं था, यहां विदेशी शासन था, कंपोस्ट खाद, कृषि और उन्नत बीजों का जिक्र नहीं होता था। उस समय १९४७-४८ में प्रदेश की आबादी साढ़े ६ करोड़ थी। कोई उल्टा पल्टी नहीं होती थी, न विकास का आफिस था। उस समय साढ़े २२ लाख टन गल्ला प्रदेश में पैदा हुआ और उसके बाद १९४८-४९ में १२४ लाख टन पैदा हुआ। १९४९-५० में १२६ लाख टन पैदा हुआ, १९५०-५१ में १३२ लाख टन पैदा हुआ और १९५२-५३ में १२७ लाख टन गल्ला पैदा हुआ। १९५३-५४ में १२१ लाख टन घट करके रह गया जब कि योजनाएं पूरे विस्तार में आ गयीं। १९५४-५५ में १२८ लाख टन पैदा हुआ इतना खर्च करने के बाद।

श्री अधिष्ठाता---

थोड़ा सा और आगे बढ़िये।

श्री राधश्याम शर्मा---

१९५५-५६ में १३३ लाख टन। १९५७-५८ में १४२ लाख टन। १९५९-६० में १३६ लाख टन रह गया। १९६०-६१ में १२९ लाख टन। १९६२-५३ में १२१ लाख टन और १९६३-६४ में ११६ लाख टन रह गया। और अबकी बार तो इस प्रदेश के अन्दर आप के सारे विशेषज्ञ सो रहे हैं। मैं आप से कहता हूं कि अब की बार ११२-११४ लाख टन से ज्यादा नहीं होगा---सारी योजनाओं के खर्चों के बावजूद भी और खेती का एरिया बढ़ने के बाद भी। अब की बार सारी योजनाओं की आपकी पोल खुल जायगी। इस साल पश्चिमी जिले में माठ ब्रांच तो चली ही नहीं। एक भी पानी काश्तकार को मिल नहीं पाया। पहले सब से बड़ा कर्जा किसान को रहट चलाने के लिये, पम्पिंग सेट खरीदने के लिये मिलता था। अबकी वह बदल दिया और अब लैंड मार्गेज बैंक को कर्ज देते हैं। एक फार्म होता है जिसमें ५९ खाने हैं वह भरना पड़ता है। जो काश्तकार जिन एरियाओं में चकबन्दी कर रहे हैं वहां उसको वह २ महीने में भर कर पूरा करता है। लेखपाल उसको नक्शा देता नहीं है। फिर उसके बाद कोआपरेटिव, ग्राम सभा, लेखपाल। वगैरह सब परेशान करते हैं और ४०-५० दिन यह चीज चलती है। उसके बाद सारी किस्त अदा भी कर दे, पहली बार फीस दे दे, फिर किस्त कटवा दे तो भी मेरी निश्चित जानकारी है कि चौथाई रुपया तो उसके पहले ही खत्म हो जाता है और पांच हजार में से साढ़े तीन, पौने चार हजार उसको मिल पाता है। यह हालत आज हो गयी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई की बड़ी बुरी हालत है, प्रदेश की पैदावार दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। किस तरह से इस प्रश्न का सुधार हो ? श्रीमन्, साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन इस प्रदेश के अन्दर उपजाऊ है। दो करोड़ एकड़ परती हुए पड़ी है। ८२ प्रतिशत अलाभवर जोत वाले हैं। १४ प्रतिशत आज हिन्दुस्तान में आबादी सारी दुनिया की है और २ प्रतिशत यहां की जमीन सारी दुनियां की है। अगर यहां सोना कम हो, लोहा कम हो, इस्पात कम हो, चांदी कम हो तब तो बात ठीक है, लेकिन जब कि ८२ प्रतिशत यहां के लोगों का खेती-पेशा हैं तब भी यहां गेहूं, चने, जौ की कमी रहे यह कितने शर्म की बात है और कितना गड़बड़ घोटाला यहां चल रहा है? सारी योजनाओं पर अब पुनर्विचार हमें करना चाहिये कि कहां तक वह ठीक प्रकार से चल रही है। सरकार को बाकायदा देखना चाहिये कि उन्नत बीज, खाद, पानी की व्यवस्था सही हुई है या नहीं। लेकिन सरकार को इसकी चिन्ता कतई नहीं है।

एक बात नवल किशोर जी की सही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार इसलिए जिन्दा है कि विरोधी पक्ष में ६-७ पार्टियां हैं। यह मैं भी आदरणीय सदन में कई बार कह चुका हूं कि अगर इतनी पार्टियां न होतीं तो कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा ३२-३३ परसेंट वोट सन् १९४८ से अब तक मिले हैं, कोई वजह नहीं थी कि हम इसे हटाने में कामयाब न होते। इतनी पार्टियां होने पर भी ६६-६७ परसेंट वोट बंटने के बाद भी इधर लोग मर गिर कर के आते रहे। तो

अगर ऐसी बात न होती तो क्या आप जैसे चेहरे असेम्बली में बैठते? कोई नहीं बैठता, क्योंकि हजार, दो हजार के मार्जिन से जीत कर आते हैं। तो यह तो विरोधी पक्ष के वोट बट जाने का नतीजा है कि सब से बदतर पार्टी देश में राज चलाये और विरोधी पक्ष अपनी जिम्मेदारी न समझे। संगठित हो कर वोटों को न बांट कर अगर विरोधी पक्ष इस कांग्रेस पार्टी को अपदस्ब न करे तो विरोधी दल को भी जनता क्षमा नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक मिनट और दे दीजिये। मैं विरोधी पक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं वह भुखमरी, जुल्म, रिश्वतखोरी, अत्याचार, गरीबी, आदि के लिये इस सरकार की जितनी भी भर्त्सना कर सके करे। अगर मुल्क की जनता को राहत देना है तो मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहता हूं कि इस वे भ्रष्टाचारी शासन को समाप्त करने में एक हो कर मदद करें। तभी जनता का उत्साह बढ़ेगा, यह भ्रष्टाचारी शासन समाप्त होगा और प्रजातंत्र देश के अन्दर फले फूलेगा। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि सरकार को अपनी गलतियों के लिये प्रायश्चित करना चाहिये। विरोधी पक्ष को चाहिये कि वह भी एक साफ सुथरी नीति जनता के सामने रखे। तभी प्रजातंत्र सफल होगा।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक ऐसा दर्पण होना चाहिये जिससे यह पता चल सके कि पिछले वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह कहां तक प्राप्त हुआ है और अगले वर्ष उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या क्या कार्य किये जायेंगे। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह बात उनके अभिभाषण में लक्षित नहीं होती। उसमें कुछ बातों का जिक्र है, मगर वह इस ढंग से है कि उससे स्पष्ट पता किसी बात का नहीं चलता। जो बातें इसमें कही गयी हैं, उनको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, उसका आभास हमें इस अभिभाषण को पढ़ने से नहीं होता है।

मान्यवर, कुछ परम्परायें हैं, विरोधी पक्ष के लोग भी बोले, कांग्रेस की तरफ से भी भाषण हुये, चुनाव का भी जिक्र किया गया। चुनाव के वक्त एक घोषणा पत्र हम देते हैं। उसी की पूर्ति के लिये, ऐसा मालूम होता है, हम चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद उस घोषणा पत्र की चर्चा नहीं होती। कम से कम जो पार्टी शासन में हो उस को तो एक एक कर के यह हिसाब देना चाहिये कि जो चुनाव घोषणा-पत्र आपने चुनाव के समय जारी किया था उस में से क्या कार्य आपने किये हैं या किन कार्यों के बारे में आपने थोड़ी या कम प्रगति की है। ऐसा न होना ही इस राज्य के लिये सब से दुःख की अवस्था है। अधिष्ठाता महोदय, प्रजातांत्रिक शासन में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता और इस व्यवस्था को अत्यन्त उत्तम कहा जाना और इसका लाभ इस बात से हो सकता है कि जो हमारा मंत्रिमंडल है वह उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर राजनीतिक पार्टीज संगठित होती हैं और जिस लक्ष्य को हम लाना चाहते हैं उस की पूर्ति के लिये हमारा मंत्रि मण्डल अपनी तरफ से इनिसिएटिव दे और बराबर देखता रहे कि इसकी पूर्ति के लिये जो कदम है, वह वास्तविक रूप से सही और ठीक हैं।

अधिकारी जो विशेष रूप से शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करके शासन में आते हैं और शासन के कार्य को सम्भालते हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं कि वे शासन करने के लिये जितने योग्य होते हैं, वास्तव में कोई भी मंत्रिमंडल का आदमी उस माने में उतना योग्य नहीं हो सकता। मगर मंत्रिमंडल की आवश्यकता केवल इसलिये पड़ती है कि वह लक्ष्य जो जनता को और जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपत मिश्र]

तरह के समाज को बनाना उनको अपेक्षित है उसकी पूर्ति के लिये वे हमेशा योग्य शासकों से उस तरह का काम करवाते हैं जिससे उन लक्ष्यों की पूर्ति हो। क्योंकि जो भी आपके शासन में शासक हैं उनके सामने किसी विशेष विचारधारा की पूर्ति के लिये, किसी विशेष तरह के समाज की स्थापना के लिये उनका लक्ष्य था। वे तो शासन की ऐसी मशीन हैं कि उनको जिस दिशा में चलाना चाहेंगे उस दिशा में अगर उन को चलावेंगे और अगर ठीक ढंग से चलावेंगे तो विशेष रूप से हम उस लक्ष्य की पूर्ति में मदद कर सकेंगे। दुख इस बात का है कि यह वर्ग जो सर्वोच्च सत्ता रखता है, यदि यह कभी भी इस बात पर अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता कि जिस लक्ष्य के लिये, जिस समाजवादी समाज की स्थापना के लिये वह आशा करता है उसकी स्थापना के लिये किस तरह की बातों को आगे करना चाहिये और इसी का नतीजा है कि आप के जितने कार्य हो रहे हैं उनसे लाभ अगर कहा जाय कि बिलकुल नहीं हो रहा है तो वह सत्य के ज्यादा सन्निकट होगा।

हमने पंचायती राज की स्थापना की। पंचायती राज की स्थापना अपने आप में बहुत ही उत्तम तरह की बात थी, लेकिन मान्यवर, आप देखेंगे कि शायद ही बिरला कोई गांव सभा होगी जिसकी मीटिंग होती हो, वरना किसी की मीटिंग नहीं होती है। केवल सेक्रेटरी कागज पर प्रधान से दस्तखत करा लेता है और खानापूरी कर देता है।

इस तरह से आपकी प्लानिंग का सारा ढांचा बिलकुल बी० एल० डब्लू० की रिपोर्ट पर आधारित है। वह २४ घंटे गांव के किसी सम्पन्न व्यक्ति के घर पर बैठा रहता है और रिपोर्ट आने के समय हो मनमाने ढंग से जो चाहता है वह लिख देता है। वह किसी चौपाल में बैठ कर मनमाने ढंग से रिपोर्ट लिख देता है और इस तरह से आपके सामने जो बातें आती हैं वे वास्तविकता से बिलकुल परे होती हैं।

जहां तक आंकड़ों की बात है मैं कहूंगा कि चाहे आप किसी भी जिले में जो वहां से रिपोर्ट आयी हुई है प्लानिंग के सम्बन्ध में, उनको ऊपर से नीचे तक टटोल करके देख लें कि ५ साल के अन्दर जितने कुएं, जितने पम्पिंग सेट्स बने। मैं आपसे कहूंगा अगर आप इसका टोटल करके देखें तो उस टोटल के हिसाब से ऐसा लगेगा कि हर गांव में जरूरत से अधिक पम्पिंग सैट और जरूरत से अधिक कुएं और चीजें हो गई हैं जब कि आप वास्तव में गये तो ऐसी बात नहीं हुई है और करीब-करीब सब रिपोर्ट अपनी जगह पर फर्जी है। तो मान्यवर, इस तरह से फर्जी रिपोर्टों पर आधारित यह जो कार्य चल रहा है सरकार का और उसमें हम जो ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा यह होगा कि किसी समय हम अपने को उस जगह पायेंगे जहां से फिर उसकी दवा की और कोई व्यवस्था नहीं होगी।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय शर्मा जी के सम्बन्ध में, जिन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं वे भी राज्यपाल के भाषण का विरोध कर रहे हैं और इसके साथ-साथ वे इसका स्वागत करते हैं। अगर वे विरोध में बोलते हैं तो तुरन्त यहां से वहां चले जाते हैं। इतना उनको सोच लेना चाहिये कि जब वे ईमानदारी से बात करते हैं तो इस तरफ के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिये कि वे ठीक बोलते हैं और जब वे अपनी हालत देखते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता जी, मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा और दो दिन से मैंने दोनों तरफ के सदस्यों के भाषणों को भी सुना। प्रत्येक सदस्य अपने-अपने अनुभव लेकर अपने क्षेत्र से आता है इसलिये मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में

सिंचाई के विषय में बिजली के विषय में अन्न अधिक उपजाने के विषय में भी चर्चा है। अभी-अभी सरकारी पक्ष के सदस्य श्री नवलकिशोर जी ने बतलाया था कि तरह-तरह के सरकार सुधार करना चाहती है अधिकारी नियुक्त करती है कि किसी तरह से पैदावार बढ़े, किसी तरह से सिंचाई की समस्या सुधरे और सरकार आगे बढ़े। लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। इसका कारण यह है कि जो सदस्य अपने-अपने क्षेत्र से अपना अनुभव लेकर आते हैं और पांच साल तक इस असम्बली के हाउस में चीखते रहते हैं, उनके भाषणों की तरफ उनके कहने की तरफ कोई अधिकारी ध्यान देता है न मुख्य मंत्री ध्यान देती हैं। इस कारण सरकार की फेल जैसी स्थिति है। आज बिजली के विषय में अभी मेरे मित्र ने कहा कि हम किसानों को बिजली देंगे जब कि देश में सूखा पड़ा हुआ है। आज यह कहा जाता है कि हमें अधिक नलकूप लगाना चाहिये और प्राइवेट नलकूप लगाने के लिये कर्जा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि मैं तो बहुत पहले से जानता हूं कि सरकारी जितनी योजनायें हैं वह उस तरह से जल्दी सफल नहीं होंगी जिस तरह से प्राइवेट स्कीम सफल हुआ करती हैं। बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात है कि एक जंगल में आग लगी और फारेस्टर रिपोर्ट को रेन्जर की। वह रिपोर्ट ऊपर होती गई। बरसात के बाद खबर आई कि कुछ मजदूर लगा कर आग बुझा दी। वही आपके सरकारी नलकूपों की बात है। वह खराब पड़े रहते और वर्षों ठीक नहीं होते हैं। बहुत थोड़े से नलकूपों को लगा कर सरकार ने बस कर दी जब आज उत्तर प्रदेश का किसान उत्तेजित है अपनी कृषि की उपज बढ़ाने के लिये और जोश में हैं। वह श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी के यहां आता है तो ये कहते हैं कि चार फर्लांग की दूरी पर ही बिजली दी जा सकती है। चार फर्लांग के भीतर नहीं दी जा सकती है और जब कोई किसान अपना प्राइवेट नलकूप लगा कर आइल इंजन लगा कर आबपाशी करता है तो सारे के सारे नियम भंग हो हो जाते हैं। इसके साथ-साथ मैंने देखा शान्ति प्रपन्न जी के यहां और सारी सरकार में यह देखा कि कई लोगों को तो आध-आधे फर्लांग पर और कई लोगों को एक-एक फर्लांग पर बिजली दे दी जाती है। यदि ५ फर्लांग का नियम हटा कर बिजली दी जाती है तो आज यह खाद्य समस्या हल हो सकती है।

अभी मैंने रामसिंह जी का भाषण सुना। प्राइवेट नलकूपों के लोग १५० फीट से ज्यादा बोरिंग नहीं कराते हैं वे बड़ा अच्छा पानी देते हैं। उसमें ५०, ६० फुट जाली पड़ने पर दूसरे को भी पानी दे सकते हैं। यह ४ फर्लांग की पाबन्दी २ फर्लांग कर देना चाहिये और मैं तो कहता हूं कि बिलकुल नहीं रखनी चाहिये। किसान सरकारी नलकूप से आबपाशी करना कभी नहीं छोड़ेगा चूंकि उसे सरकारी पानी उधार मिलता है जबकि प्राइवेट नलकूप वाले नकद पैसा लेते हैं।

मैं सरकार की एक और आलोचना किये बगैर नहीं रहना चाहता हूं। आज आपसी गुट-बन्दी की वजह से सरकार का शासन बिलकुल क्षीण है। पूर्वी जिलों की यह शिकायत हुआ करती थी कि वहां बहुत जरायम होते हैं। लेकिन आज पश्चिमी जिलों को देखिये। परसों-तरसों ही हमारे एक सी० डी० आई० गन्ने का कत्ल कर दिया गया और अभी तक पुलिस नाकामयाब है। ऐसी बहुत सी घटनायें हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग पैदल चलकर अपना काम किया करते हैं वे कैसे करेंगे? सवारी पर चलने के लिये मजबूर हो जाते हैं कहीं से पैसा लगाकर बस से चलें रेल से चलें और वह सवारी चलने के लिये विवश हो जाते हैं।

सरकार बचत की बहुत बात करती है। अभी का मामला है कि इस असेम्बली की छतों को उखाड़ कर फिर से प्लास्टर कराया गया जिसकी बीसों साल जरूरत नहीं थी। इस सरकार के उच्चाधिकारियों ने लाखों रुपया ठेकेदारों से रिश्वत लेकर उन्हें भी कमवाया। विधान भवन के लिये २५,००० की गुलाब की कलमें मंगवाई गई हैं और मेरी सूचना है कि सरकार के किसी उच्च अधिकारी के फार्म्स से वे खरीदी गई हैं।

ट्यूबवेल का सुधार करने की बात कही जाती है। ट्यूबवेल के डाइरेक्टर नियुक्त किये गये हैं। वह मेरे जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आर्डर निकाला कि २५ रुपये मासिक ट्यूबवेल पर रहने का मकान किराया आपरेटर से काटा जायगा। मैंने सवाल में पूछा

[श्री श्रीराम]

था कि क्या ट्यूबवेल आपरेटर के रहने के लिये वहां कोई मकान की व्यवस्था है तो बताया गया कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर २५ रुपया मकान किराया आपरेटर से क्यों काटे जाते हैं? उनसे पांच साल का वेतन काटा जा रहा है जिससे आपरेटर किसानों से अधिक रिश्वत लेंगे और उनको पानी मंहगा पड़ेगा। सरकार को चाहिये कि हर दल के लोगों से सलाह लेकर जो लोग गांव से आते हैं और जिन्हें अनुभव है उनसे मश्विरा लेकर काम करें।

यह सरकार हमेशा मिल-मालिकों, पैसेवालों और अपने एजेंटों की सलाह से काम किया करती है। पिछले साल शुगर मिल जल्दी चलवाये गये। क्रशर भी जल्दी चलवाये गये। यह इसलिये किया गया कि पिछले साल गुड़ का भाव बहुत तेज था और मिल-मालिकों को यह डर लगा कि कहीं सारा गन्ना गुड़ न चला जाय। उसके इस वर्ष मिलवालों ने सरकार से कहा कि उस गन्ने में शीरा और पानी में निकला और हमें नुकसान रहा। तो अबकी साल १ महीने पीछे गन्ना पिरवाने का आर्डर दिया गया। प्रोपेगेन्डा यह किया गया कि लेट वैराइटी गेहूं, ऊख की जड़ों को खोदकर बोया जाये, लेकिन फिर कहा गया कि ८३० और के ६८ गेहूं बोवो। सरकार के आदमियों को कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कृषि के बारे में जानना चाहते हैं तो जो इसकी जानकारी रखते हैं उनसे पूछिये। और कोई तरीका कृषि की उन्नति का नहीं है।

गवर्नर महोदय के भाषण में हरिजनों की कोई चर्चा नहीं है। तो बड़ी मायूसी के साथ केवल कुछ शब्द कहे गये हैं। आपने सीलिन्ग का कानून बनाया। बतलाइये कि उसमें कितनी जमीन आपने निकाली। मेरे जिले में एक सुपरवाइजर कानूनगो ने २८,००० रुपया रिश्वत में कमाया। वह सब जमीन उनसे पहले जमींदारों के लोगों के संबंधियों को दे दी गई। कोई जमीन हरिजनों और भूमिहीनों को नहीं दी गई। सरकार अपने मिशन में फेल हो रही है।

*श्री रामलाल (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। इस समय उत्तर प्रदेश के किसानों की मुख्य समस्या पानी है। संयोगवश गन्ने की फसल इस समय ऐसी है जो तैयार है। लेकिन सरकार ने जो नियम गुड़ और चीनी बनाने के बनाये हैं वे कितने ही अच्छे हों, लेकिन उनकी पाबन्दी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से जो ढिलाई होती है उसमें जो बेइंसाफी होती है उसका नतीजा यह होता है कि लाखों मन गन्ना आज खेतों में चूहे खाकर बरबाद कर रहे हैं। नैनीताल के जिले में तराई के इलाके में १५,२० लाख मन गन्ना है और वहां लोग केन क्रशर नहीं लगा सकते हैं। साथ ही वह गन्ना ऐसी मिलों को दिया गया है जो उसे पेर नहीं सकतीं, वे उसे खरीद ही नहीं सकती हैं। वर्षा की कमी के कारण वहां बहुत चूहा हो गया है जो रोज सैकड़ों हजारों मन गन्ना खेतों में काट कर फेंक देता है। आज वहां का किसान तबाह हो गया है। सरकारी अधिकारी जो गन्ने के वितरण का काम करते हैं उनको इस बात की फुर्सत नहीं है कि मौके पर जाकर किसानों की दिक्कतों को देखें और उनका ठीक से प्रबन्ध करें।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

कोई कांग्रेसी चूहे होंगे।

श्री रामलाल --

वह चूहा कांग्रेस में भी हो सकता है और पी० एस० पी० में भी हो सकता है। एक तरफ तो बड़ा भारी आन्दोलन चलाया जा रहा है कि पैदावार बढ़ाओ, लेकिन लाखों रुपये की सम्पत्ति जो बरबाद हो रही है उसका कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात है सिंचाई के बारे में। सिंचाई के नलकूपों का मालिक सिंचाई विभाग है और बिजली का महकमा अलग है, दोनों में कोई सामन्जस्य नहीं है। इसके कारण प्रदेश के सैकड़ों नलकूप बेकार पड़े हुए हैं। आरमेचर जल गया है, आपरेटर अपने घर को चला गया है और नलकूप अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं वे बिजली और नलकूपों को देखने के लिये अलग-अलग हैं, इसका नतीजा यह होता है कि उनके बन्द होने पर कोई जवाबदेह नहीं होता। और एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हैं। नलकूप बनाने की जिम्मेदारी गन्ना सुसाइटीज की है और प्लानिंग की है जब कि बिजली देने का महकमा अलग है। बिजली का आफीसर २–२, ३–३ जिलों में एक है। कलेक्टर ने बिजली मंजूर कर दी है, लेकिन अभी तक नलकूपों को बिजली नहीं मिल पायी, नतीजा यह है कि लोगों ने कर्जा लेकर ट्यूबवैल्स बनाये हैं, लेकिन वे अभी तक बेकार पड़े हुये हैं।

किसानों को सरकार खाद देती है। खाद देने के तीन महकमे हैं––कृषि विभाग, गन्ना समितियां और सहकारी विभाग। कृषि विभाग और गन्ना विभाग से जो खाद दी जाती है उस पर छूट दी जाती है, लेकिन कोआपरेटिव विभाग से जो खाद दी जाती है, उस पर कोई छूट नहीं दी जाती। सबसे ज्यादा किसानों का रुपया कोआपरेटिव विभाग ने बैन्कों में जमा कर रखा है। किसानों को खाद नहीं मिलती ह, लेकिन फिर भी उनको सूद देना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि कोआपरेटिव विभाग में लाखों रुपये का खाद सड़ जाता है, अथवा ब्लैक मार्केटिंग में दूसरे सूबों को चला जाता है।

सरकार ने पूर्वी जिलों में पानी को ड्रेन करने की योजना बनायी है। ड्रेन बनाने का कानून इस प्रकार का बनाया कि उनकी निकासी का मार्ग ही नहीं बन पाता। ५ गांवों में से होकर उसको जाना है। किसी का उसमें खेत लिया जायगा और किसी को उससे लाभ होगा, भला कौन राजी से इसकी इजाजात दे देगा? जिस प्रकार से दूसरे कामों के लिये सरकार जमीन एक्वायर करती है उसी प्रकार से इस काम के लिये भी करे तभी यह कार्य पूरा हो सकता है, नहीं तो ड्रेनों का रुपया बेकार ही पड़ा रह जायगा।

चौथी बात यह है कि १००–१०० मील लंबी सड़कें दोनों ओर से बन जाती हैं, लेकिन बीच का ३–४ मील का हिस्सा रह जाता है। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यू०पी० और बिहार दोनों ओर से सड़कें बनी हुई, हैं लेकिन सीमा पर दो-दो, चार-चार मील सड़क शेष है। बीसों बार लिखा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये सड़कें बन जायं तो बिहार से लाखों मन कोयला जो रेल से नहीं आ पाता है, सड़क के द्वारा आ जाय। लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

एक बात और है कि हमारे जिले देवरिया में १ करोड रुपये से नहर बन रही है। उसके लिये किसानों से जमीन ले ली गई है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन नहर की जमीन पर खुदाई आरम्भ हो गई है। किसान हल्ला करते हैं, मारपीट हो रही है, बलवे होते हैं, झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, किसान बन्द किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब सरकार ऐसे कोई काम करे तो पहले जमीन को एक्वायर करे और किसानों को मुआवजा अदा करे और उसके बाद कार्य उस जमीन पर आरम्भ करे वर्ना हमेशा झगड़े होंगे। अन्त में मैं इस प्रस्ताव का जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यावाद का यहां प्रस्तुत है, समर्थन करता हूं और एक बार फिर गन्ने के वितरण की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। मैं चाहता हूं कि यह कार्य ऐसे अधिकारियों को बांटा जाय जो कि ठीक ढंग से यह काम कर सकें।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––

श्रीमन्, माननीय केशव गुप्त ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे विरोध की मंशा यह नहीं है कि मैं चूंकि विरोधी पक्ष का सदस्य हूं इसलिये ऐसा कर रहा हूं बल्कि आज यदि आप

[श्री विजयपालसिंह]

गौर करें तो हमारे देश पर जो संकट है और जिस संकट का हमारी सरकार रोजाना राग अलापती है वाकई में इतना बड़ा संकट इस देश पर कभी नहीं आया। पहले हम अपने देश की सीमाओं को देखें तो हमारी एक इंच भी सीमा ऐसी नहीं है कि जो खतरे से खाली हो। इस बड़े संकट के अलावा सब से बडा संकट यह है कि सूखा पड़ा, गल्ले की कमी पहले से ही थी और अब और कमी हो गई है, बहुत भारी संकट यह अन्न का है। तीसरे इस संकट के समय में हमारे जाने-माने नेता जिन पर जनता को विश्वास था वह हमारे बीच से छिनते जा रहे हैं और भाभा जैसे महान वैज्ञानिक हमें छोड़ कर जा रहे हैं। इन हालात में हमारी सरकार, हमारे राज्यपाल महोदय हमारे प्रदेश के लिये और देश की नीतियों के लिये क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या ठोस कदम वह उठाना चाहते हैं यह उनके इस अभिभाषण से ही जाहिर हो सकता था, लेकिन इसके पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि जैसा घिसापिटा अभिभाषण इससे पहले पिछले सालों में दिया जाता रहा है वैसा ही यह भी है और कोई ठोस कदम कोई हिम्मत का कार्य या कोई ठोस प्रोग्राम इस से आगे के लिये नहीं है।

सबसे पहले जो सब से बड़ा संकट हमारे सामने अन्न का है जिसको कि हमें टालना है, उसकी पूर्ति के लिये श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चीज नहीं है केवल इतने से कि इतनी जमीन में आबपाशी होती है, इतनी बच जायगी, काम नहीं चलेगा। सब से पहले कमी यह है भूमि सुधार के बारे में क्या किया गया है, वह नहीं के बराबर है जो हुआ है। भूमि सुधार से काफी अन्न की उपज बढ़ सकती है। मैं कहता हूं कि आज हमारे सूबे में करोड़ों बीघा भूमि खाली पड़ी है जो जरखेज है और जिस पर खेती की जा सकती है, अनाज पैदा किया जा सकता है लेकिन उसके बारे में आजतक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। अगर उस जमीन को जुताई की जाय और हजारों बेकार गरीबों को वह दी जाय तो आप अनाज पैदा करने के साथ उन की गरीबी भी दूर कर सकते हैं। करोड़ों बीघा जमीन में करोड़ों मन गल्ला आप पैदा करा सकते हैं। अगर आज उस जमीन की कोई जुताई करता भी है तो गांव पंचायतों के प्रधान पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो उसमें अड़चन डालते हैं और रिश्वत लेते हैं, नोटिस उनको दिये जाते हैं। कटीपिटी जमीनों के बारे में स्वायल कंजरवेशन वालों ने कुछ किया है लेकिन जितना कार्य इस दिशा में होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। हमें केवल २ शब्द स्वायल कंजरवेशन के विषय में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलते हैं भूमि सुधार के बाद की उपज बढ़ाने के लिये दूसरे उपाय जो हो सकते हैं वह क्या हों और खेती अच्छी कैसे हो। जिस जमीन पर हम काश्त करते हैं, उसकी पैदावार कैसे बढ़े। भाषण में कहा गया है कि जहां पर एक फसल होती है वहां पर २–३ फसलें पैदा करो, उस पर खरबूजा पैदा किया जाय, उस पर तरबूज पैदा किया जाय। सब कुछ कहा गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि यह पैदावार कैसे की जाय। मैं यह जानता हूं कि हमारे किसान आपके इन विशेषज्ञों से ज्यादा जानते हैं। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो उसके लिये सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पानी दिया जाय। उसके सम्बन्ध में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई इशारा नहीं किया कि क्या ठोस कदम वे उठाने जा रहे हैं। कोई ठोस प्रोग्राम उन्होंने हमारे सामने नहीं रखा है। जो आपकी नहरें हैं, वे भी पहले के मुकाबले में कम पानी दिये जा रही हैं। श्रीमन्, मैं पश्चिमी जिले मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं जो कि गंगा और यमुना का दोआब कहलाता है। यह वह इलाका है जहां पर यमुना और गंगा का पानी बहता है। वहां का किसान भी आज परेशान है। जहां तक ट्यूबवेल लगाने की बात है उसके बारे में बड़ी भारी चर्चा की गयी है। आज हमारा किसान खेती करने के लिये अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये तड़पता है लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को पानी नहीं देना चाहती। एक सरकारी ट्यूबवेल लगा दिया जाता है लेकिन कुछ ही दिन पश्चात् यदि उसका केबिल जल जाता है या ट्रान्सफार्मर खराब हो जाता है तो वह ट्यूबवेल १-१ या २–२ महीने खराब पड़ा रहता है।

जहां तक प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने का सम्बन्ध है आज हमारे जिले के लोग कंनेक्शन के लिये तड़पते हैं। उनका कहना है कि हमें तकावी नहीं चाहिये, हमको दौलत नहीं चाहिये, हमको केवल कनेक्शन चाहिये। कनेक्शन देना जब शान्ति भाई के हाथ में था तो उन्होंने काफी ट्यूबवेल्स को कनेक्शन दिये हैं लेकिन आज वे आदेश अधिकारियों की मेज में बन्द हैं। आजकल हमारे जो नये सेक्रेटरी हैं सरकार साहब, उनका कहना है कि मैं मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर किसी को नहीं जानता हूं, और उनकी कोई कीमत नहीं है और जो मैं चाहूंगा, वह ही होगा। कनैक्शन्स आज नहीं मिल रहे हैं और जिन काश्तकारों को कनेक्शन मिले हैं, उनमें से ७० फीसदी आज दफतरों में मारे-मारे फिरते हैं और रिश्वतें दे रहे हैं। हमारी सरकार के कर्मचारी जो उन गरीबों के साथ व्यवहार करते हैं, वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अधिक अन्न उपजेगा कैसे? जब कि उत्तर प्रदेश की सरकार कदम से कदम मिलाकर सेन्टर की सरकार के साथ नहीं चलना चाहती है। अन्न के संकट ने पाकिस्तान के हमले के वक्त साबित कर दिया है कि हमें अन्न के मामले में आत्म निर्भर बनना चाहिये। अन्न की आड़ को लेकर ही अमरीका ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि वे अनाज नहीं देंगे जब तक कि पाकिस्तान से समझौता नहीं हो जाता। यदि हमारे देश में अधिक अन्न का उत्पादन नहीं होता है तो अन्न की कमी के लिये हमारी तटस्थता और पीसफुल को एग्जिस्टेन्स की जो सफल नीति है, वह अमरीकी पूंजीवाद के सामने झुककर हमें छोड़नी पड़ेगी। इसका नारा तो आज बहुत दिया जाता है लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वे पुराने जमाने के जमींदारों की भांति हैं जो गरीबों से बेगार लेते थे। हम देखते हैं कि देश में कोई हिम्मत और चेष्टा के साथ कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे अन्न की कमी पूरी हो सके। अगर अन्न की पैदावार वास्तव में बढ़वानी है तो आपके जो बिजली के इंजीनियर हैं वे हमारे काश्तकारों को बिजली देना फ्री कर दें तब आप देखें कि आपकी पैदावार बढ़ती है अथवा नहीं। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने काश्तकारों को जो बिजली दी जाती है, उस में कुछ कटौती की है, कुछ रियायत की है, उन की दरें घटा कर १२ नये पैसे की है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द पूरी कोशिश के साथ इस कानून को लागू करें। जो सेन्टर ने पास किया वह अमल में लाया जाय।

तीसरी बात अन्न उपजाने के लिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि जब तक काश्तकार को रासायनिक खाद उनकी जरूरत के मुताबिक और समय पर नहीं देंगे तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके लिये यह भी जरूरी है कि आबपाशी का प्रबन्ध उचित हो। जब हमको यूरिया की जरूरत होती है तो मिलता है सल्फेट और जब सल्फेट की जरूरत होती है तो मिलता है यूरिया। तो इसमें भारी तबदीली ला कर इस पर आप सोच विचार करें। अन्न का संकट ऐसा नहीं है जो हमारे देश से न टल सकता हो। वह टलेगा।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, इस के बाद एक तकावी का मसला है जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। हमारी सरकार का करोड़ों रुपया तकावी में तकसीम किया जाता है, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं कोई झगड़े की बात नहीं करता, मैं तो नम्रता से कहता हूं कि अगर उसकी जांच कराई जाय तो आपको पता लेगा कि ५० फीसदी रुपया तकावी का उन लोगों को न मिल कर, उन गरीब काश्तकारों, मजदूरों को न मिल कर जिनको वाकई जरूरत है, कुछ तिकड़मी लोग ले जाते हैं और ५० फीसदी जो सही बटती भी है उसका दुरुपयोग होता है। एक काश्तकार ने ट्यूब-वैल लगाने के लिये आप से तकावी ली। तकावी ली जनवरी के महीने में, कनेक्शन दिया उसे अप्रैल के महीने में, बोरिंग करने के लिये वह जून के महीने में जाता है और जब वह ट्यूब वैल का महूर्त आता है वह गरीब अपनी कठिनाइयों में, अपनी मुसीबतों में उस तकावी को खा जाता है। तो मैं कहता हूं कि वह तकावी जो आप देते हैं उसकी दो चीजों की निगरानी करनी चाहिये। एक तो यह कि जरूरतमन्द लोगों को मिलनी चाहिये और दूसरे यह कि जिस मकसद के लिये वह मिले तो उस मकसद को पूरा करने के लिये हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिये। यह देखना चाहिये कि ट्यूबवैल के लिये उसको सामान दिया गया है या नहीं दिया गया है।

[श्री विजयपाल सिंह]

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पिछड़ी जातियों की कुछ चर्चा इस अभिभाषण में है । लेकिन जिस ठोस तरीके से होनी चाहिये थी वह नहीं है । आज भी पिछड़ी जातियों और हरिजनों को उनका जो १८ परसेंट का कोटा है नौकरियों का, वह भी नहीं मिलता । उन गरीबों को जो सहूलियत मिलनी चाहिये, जैसे पंचायत की जमीन बोले, जोतने के लिये और आबाद होने के लिये, वह नहीं मिलती । आज वह तबका भारी पिछड़ेपन में है । उनके लिये ठोस कदम उठाने की बात हमारे राज्यपाल को कहनी चाहिये थी, जो नहीं कही ।

अन्त में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के बावजूद राज्यपाल जी ने चवन्नी लगान का जो बढ़ाया गया था संकट काल कह कर, और आज संकट काल हट रहा है, ताशकन्द का समझौता हो गया है, ऐसी परिस्थिति में उस चवन्नी लगान के बारे में कोई चर्चा नहीं है । मैं आशा करता हूं और चैलेन्ज करता हूं कि अगर सरकार ने और राज्यपाल ने इस पर विचार नहीं किया तो हमारी मांग इस बढ़ती आबपाशी की दर, लगान के खिलाफ उठेगी और हम इस मामले में काश्तकारों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैंने हाउस के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना । परन्तु मुझे एक अनोखी बात आज के भाषणों में दिखाई दी । जैसा कि सदन में जिक्र किया गया कि महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण एक अनोखा भाषण है। वह उन परम्पराओं से परे है जो गुजिस्ता जमाने में इस सदन में हमने देखीं। परन्तु मुझे एक बात का सख्त अफसोस है कि माननीय सदस्य जिन बातों का जिक्र इस सदन में करते हैं और जिससे उनको गुरेज है उन्होंने कभी उसका विश्लेषण करने का कष्ट नहीं किया । आज इस सदन को चलते हुये १६ साल हो गये, लेकिन मैंने यह देखा कि जितनी जिम्मेदारी इस सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की है, चाहे विरोध में बैठते हों या ट्रेजरी बैंचेज पर बैठते हों । क्योंकि उनको इस सरकार की सदन में कुछ न कुछ कमियां और खामियां अवश्य बतलानी हैं, लेकिन वे यह नहीं बतलाते कि इन कमियों और खामियों को दूर करने का उपाय क्या है । बार-बार उन्हीं बातों को इस सदन में रिपीट किया जाता है । बीमारी के जो भी आसार हों उनके खिलाफ लड़ने का प्रयास किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया। खेद इस बात का है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हीं को स्केप गोट बनाया जाता है और कहा जाता है कि सरकार की मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है । सही बात यह है कि सरकार को जो पुरानी मशीनरी थी जिसे इम्पीरियलिस्टिक पावर्स ने ग्रेट ब्रिटेन ने, बनाया था और इस मुल्क का ह्रास करने के लिये उस मशीन को बनाया गया था, क्या वह मशीन इस मुल्क को हरा भरा करने में सफल हो सकती है ? क्या इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने पिछले १६ वर्ष के अन्दर उस मशीनरी को तब्दील करने का प्रयास किया जब कि अब बराबर वह सरकारी मशीन को कोसा करते हैं? जिस काम के लिये वह बनाई गयी थी वही काम वह कर सकती है । अंग्रेजों के जमाने में जो कानून थे वे हिन्दुस्तान पर हुकूमत कायम रखने के लिये बनाये गये थे और आज भी वह कानून हमारे दफ्तरों में लागू हैं । आज भी हम लोग आपस में लड़ा करते हैं और उन बातों से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, मुल्क का विकास नहीं होता है । एक दूसरे पर जो वहां हम छींटाकशी किया करते हैं उससे क्या मुल्क की समस्या हल हुआ करती है ? अपनी पार्टी बन्दी को दरकिनार रखिये । हमारे जितने भी भाषण होते हैं वे बे मतलब हैं, उनका कोई भी आधार नहीं होता जिससे मुल्क की सेवा हो सके, बल्कि उससे मुल्क का समय व पैसा बरबाद होता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय चन्द सिंह जी जिस तरह से आपको डांट रहे हैं क्या वह इस तरह से आपको डांट सकते हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । मैं यह कह सकता हूं कि इस सदन में ठीक तरह से अपने दायित्वों को नहीं निभाया जा रहा है । इस सदन में बार-बार कहा गया कि मुल्क के अन्दर कहतसाली की हालत है, अनाज की कमी है, उसके लिये क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देशवासियों ने दिमाग से काम लिया ? अनाज की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है । दुनिया के इतिहास में विकास कार्यों को आप देखें दुनिया के मुल्कों में अनाज के प्रोडक्शन में जहां जहां बढ़ोत्तरी हुई है वहां की सरकार ने उसे सबसिडाइस किया है । अगर अनाज के प्रोडक्शन की कीमत ज्यादा आती है और बाजार में सस्ता बिकता है तो जितनी कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक आती है, गवर्नमेन्ट उस भार को वहन करे । जितना रुपया हमारी सरकार अनाज के इम्पोर्ट करने में खर्च करती है अगर उस रुपये को हिन्दुस्तान की सरकार यहां के काश्तकारों के ऊपर खर्च करती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह हिन्दुस्तान के लोगों की भूख को ही नहीं मिटाती बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती थी ।

हमारे मंत्री जी दिल्ली में बैठे हुये हैं, उनके संबंध में मैं समझता हूं कि वे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे खोखले दिमाग से बैठे हैं । उन्होंने मुल्क को उठाने की कोशिश नहीं की । उन्हें काश्तकारों को सब्सीडाइज करना चाहिये था और उन्हें हर तरह की सुविधा अनाज पैदा करने के लिये देनी चाहिये थी । जहां आजकल कहा जाता है कि कानून के सामने हर किसी को बराबरी का वर्ताव मिलेगा, वहां इनइक्वेलिटी दिखाई देती है । बड़े बड़े कैपीटेलिस्ट को करोड़ों रुपया ३ परसेन्ट या थोड़े से सूद पर दे दिया जाता है उनको सस्ती बिजली और सस्ता सामान मिलता है । लेकिन काश्तकार को जो कर्जा दिया जाता है वह ९ परसेन्ट पर दिया जाता है और वह बंगलिंग के बाद २५ परसेंट पर पड़ता है । जो किसान पैदा करता है उससे ९ परसेन्ट ब्याज लिया जाता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों से कम सूद लिया जाता है और वे रुपया वापस करने में दिक्कतें पैदा करते हैं । सरकार को चाहिये था कि किसानों को बड़े पैमाने पर रुपया बांटती और अन्य सुविधायें देती तो अनाज की समस्या हमारे सामने खड़ी न होती । यह हमारी सरकार की महान भूल है । हमारे सदस्यों की तरफ से भी कोई प्रस्ताव नहीं आया और पार्लियामेन्ट में भी यह चीज कभी पेश नहीं की गई । अगर विदेशों को रुपया अनाज मंगाने में दिया जा सकता है तो हमारे यहां के किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता है ? यह खोखले दिमाग की बात है । अगर उन्होंने कोशिश की होती तो अनाज की कमी हर्गिज नहीं होती ।

यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गईं । वैसे मैं सरकार का कन्सट्रक्टिव क्रिटिक हूं लेकिन मैं कुछ कांक्रीट सजेशन देना चाहता हूं । यहां पर बीमारी ठीक करने की बात केवल कही जाती है लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाता है और हमारी सरकार को कोसा जाता है । यहां के सेक्रेटेरियेट से कुछ अच्छे आफिसर्स को हटा दिया गया है । यह मुल्क के साथ सरकार की तरफ से इंसाफ हुआ है । उन्होंने अपनी यहां पर मनोपोली बना रखी थी । जो आफिसर्स उनकी जगह आये हैं क्या वे नालायक हैं या कम पढ़े लिखे हैं अगर सरकारी सरविस में कोई काबिल अफसर है तो उसको देश की सेवा का मौका देना चाहिये । हर एक आदमी को सेक्रेटेरियट में आने का मौका देना चाहिये । सरकार ने यह जायज कदम उठाया है । इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

यहां पर जो बेकारी की बात कही जाती हैं उसके आप शिकार बन कर रहेंगे । अगर सरकार की भूल है तो आपकी भी है । सरकार को सजग रखने का दायित्व आपके कंधों पर है । आप सरकार के ऊपर काबिज नहीं हैं, आप सरकार को ठीक से नहीं चला सकते हैं । विरोधी दल कमजोर हैं । इसलिये अगर सरकार मरती है तो सरकार से पहले आप यह मर चुके हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जैसा भाषण दिया है, आभास हुआ कि वह किसी स्कूल के उद्घाटन करने का या बिल्डिंगों के उद्घाटन का भाषण हो । चुनाव के बाद

[श्री दीपनारायणसिंह]

चार वर्ष बीत जाने के बाद कुछ काम होना चाहिये था। चीन का संकट हुआ फिर पाकिस्तान से जंग हुई। अब भी संकट काल है। उत्तर प्रदेश में तो एसेम्बली और जजों का संकट हुआ, कांग्रेस पार्टी का संकट हुआ, हुकूमत का संकट हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार एक रथ है जिसमें एक घोड़ा पूर्व की ओर चल रहा है और दूसरा पश्चिम की ओर। उस पर सुचेता बेचारी बैठी हैं। एक घोड़ा इधर को खींचता है, एक उधर को खींचता है। सरकार भी स्त्री लिंग में ही है। जहां भी दुबिधा वाली सरकार होगी वहीं संकट होगा। पता नहीं कहां इस सरकार को गोविन्द सहाय जी ले जायं, माननीय बनारसीदास जी ले जायं। नैपोलियन की हार वाटरलू में हुई। वैसे ही प्रधान मंत्री के चुनाव का वाटरलू युद्ध हुआ, उसमें हार जीत हुई। हम भी गुप्ता जी के गुट की नैपोलियन वाली दशा देख रहे हैं। गवर्नर के अभिभाषण में निराशा का स्वर है। आप सब कहते हैं कि यह तकलीफ है। अगर दोनों तरफ के भाषणों का मिलान किया जाय तो दोनों तरफ कहा गया है कि नौकरशाही भ्रष्ट है, इसी से हमारा काम नहीं होता। जो अन्न संकट है उसका अनुचित लाभ उठाकर अमेरिका ने धौंस दिखायी और धौंस में आकर सरकार ने एक सर्फा छोड़ दिया पाकिस्तान का माल नहीं तो गल्ला नहीं मिल पाता। कांग्रेस सरकार की चोटी दबी है। माननीय चन्द्रसिंह रावत जी ने जो बात कही वह समझ में नहीं आई। आपकी सरकार समाजवादी और किसान मजदूर की सरकार होती तो जिस व्याज दर पर बनिया को ऋण रुपया दिया जाता है उसी व्याज दर पर कम से कम किसान को भी सरकारी ऋण दिया जाता। तीन साढ़े तीन रुपया सैकड़ा पर कानपुर के बनिये रुपया निगल गये लेकिन किसान को अन्न अधिक उपजाने के लिये उन्हें उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिलता। पूंजीपतियों से तीन साल तक मूलधन और ब्याज नहीं वसूल होता लेकिन किसान को जो तकावी ६ या ६ १/२ परसेंन्ट पर ब्याज दी जाती है वह साल भर के बाद ही वसूल की जाती है। आपने चौथाई लगान बढ़ा कर अधिक भार लगा दिया। संकट काल में किसानों ने दिल खोल कर चंदा दिया। ६ लाख रुपया हमारे जिले के किसानों ने दिया है और २-२ रुपया हर किसान से लिया गया है, लेकिन चोर बाजारी करके करोड़ों रुपया कमाने वालों नेताओं, बड़े-बड़े मिनिस्टरों और जमींदारों ने सुरक्षा कोष में उचित रुपया नहीं दिया है। यदि दिया हो तो आंकड़े बता दिये जायें। क्या ऐसे कोई आंकड़े गवर्नर साहब के भाषण में आये? इन चोट्टों ने, लूटने वालों ने, अनाज दबाने वाले सेठ साहूकारों ने अपना गड़ा, दबा धन इस संकट काल में भी देश के नाम पर नहीं निकाला है। कामराज ने एक बात कही कि कम्पनियों को जमीन नहीं दी जायेगी। लेकिन समाजवाद की भावना आपके अन्दर हो तो कामराज के कथन पर अमल करते। आपकी (कांग्रेस) पार्टी ने ही हमको पैदा किया, इनको (समाजवादी सदस्य की ओर इंगित करते हुये) भी पैदा किया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

हमको नहीं पैदा किया इनको भी नहीं पैदा किया।

श्री दीपनारायणसिंह---

नहीं, आप को भी पैदा किया। हम सब को पैदा किया, इनको पैदा किया और लोहिया जी को भी पैदा किया। सभी तो स्वतंत्रता संग्राम के समय कान्ग्रेस में ही थे।

(व्यवधान)

१९३२-३३ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में सत्तारूढ़ थी जो हिंडनवर्ग के नेतृत्व में शासन करती थी, उसको डाउन (अपदस्थ) करने में हिटलर ने नेशनलिस्ट पार्टी का इस्तेमाल किया और उसने कम्युनिस्ट पार्टी वालों को और यहूदियों को तो खूब रगड़ा। उनको दफना दिया। मगर खुद जब हिटलर ताकत में आया तो इसके बाद पार्लियामेंट को भी भंग कर दिया और अपने साथी नेशनलिस्टों को भी जेल में डाल दिया, जिनके बल और सहयोग से वह स्वयं शक्तिशाली हुआ था। तो यह एस० एस० पी० वाले भी नेशनलिस्टों के ही समान हैं। इनके

साथी जो जनसंघी भाई यहां बैठे हैं वे एक दिन इन्हें निगल जायेंगे। आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान चीन से लड़ना है तो क्या यह लड़ाई गरीबों के खून और पसीने से ही लड़ी जायेगी ? बड़े-बड़े व्यापारियों ने जिन्होंने एक साल में लाखों करोड़ों लूटा है आप उनसे क्यों नहीं सुरक्षा धन वसूल करते ? मेरे यहां फतेहपुर जिले में ज्वाला ब्लाक में एक मील भी पक्की सड़क नहीं है। धाता ब्लाक में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है जब कि वहां पर धान की उपज कमीश्नरी भर में सबसे ज्यादा है। आज जजों तक में भ्रष्टाचार है, नौकरशाही में बड़ा भ्रष्टाचार है और हम सब भी भ्रष्टाचार में ही पल रहे ह। होना यह चाहिये कि जब हम यहां पर एम० एल० एज० बनें, हमारी सारी चल और अचल जायदाद की सी० आई० डी० द्वारा जांच करवा ली जाय करे और इस पद पर ४ वर्ष तक बने रहने के बाद भी हमारी सारी जायदाद की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाया करे कि हमने अनाप शनाप बेईमानी से रुपया तो नहीं वसूला है। यदि ऐसा पाया जाये, तो हमें सजा दी जानी चाहिये, मिनिस्टरों की भी जांच होनी चाहिये और इनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिये। इंजीनियर लोग तो निर्माण कार्यों में १५ प्रतिशत के नाम पर खब लूट मच रहे हैं और जो ठेकेदार इन्हें लूटने का मौका न दे, इनकी पूजा न करे उसे लेक लिस्टेड कर दिया जाता है। हरिजन भाइयों की तरफ से सरकार से बड़ी बड़ी मांगें की जा रही हैं। आपने हरिजनों में भावना पैदा कर दी परावृत्ति की कि हमें अनुदान दो हमें मालामाल करो। आज वे पराजित हो गये हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने हरिजनों में यह भावना पैदा करके उनमें भ्रष्टाचार को पनपाया है। आपने उनमें लालच बढ़ाया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, मांगने की आदत डाली है जिससे आप उनकी आत्मा को खरीद सकें, उनके वोटों को खरीद सकें। आपने उनके लिये जो सदाव्रत खैरात बांटी है, यह बात उनके लिये बहुत गलत व हानिकारक सिद्ध हुई है। यह कोई अच्छी चोज नहीं है, जिस तरह से आपने हरिजनों को गिराया है। जैसे डाकू लूट करता है, कत्ल करता है, ब्राह्मण के लड़के लड़की का विवाह कर देता है और बड़ा धर्मात्मा बनने की कोशिश करता है, किन्तु इससे उसका पाप मिट नहीं सकता। वैसे ही आप का यह कार्य भी देश को लूटने वाला है, धोखा देने वाला है। आप ऐसा कर के दलबन्दी ही बढ़ा सकते हैं। डकैत मिल कर खूब खाते हैं और लूटते हैं और बड़े डकैत छोटे डकैतों को हिस्सा बांट देते हैं, इस तरह उनका गिरोह बन जाता है। जो बेईमान कर्मचारी हैं उनके साथी नेता भी बन जाते हैं और गिरोह बना लिया जाता है। चाहे जनसंघी हों और चाहे कांग्रेसी हों, सभी भ्रष्ट यही कोशिश करेंगे, लेकिन जो ईमानदार कर्मचारी होते हैं उनके हाथ वे नहीं जाते। चाहे गोविन्द सहाय जी हों, चाहे नवलकिशोर जी हों, जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, सभी उनके भत्तों से अनुचित लाभ देकर उनकी असलियत, चरित्र बल नाप चुके हैं। नेता लोग इन्हीं से कहते हैं कि फलां को बन्दूक का लाइसेंस देना चाहिये। उन्हीं से ठेके लेना चाहते हैं, परमिट कोटा उन्हीं से लेना चाहते हैं, उन्हीं आफिसर्स से अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिये, अपने गिरोह के आदमियों के लिये। जब आप उनसे यह सब चाहेंगे, तो यदि वे अपने व अपने घर वालों के लिए भ्रष्टाचार के २० काम और करते हैं तो आपको शिकायत का क्या अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे देश और प्रदेश पर आज कल खाद्य का संकट छाया हुआ है। और यह तब है जब ८२ फीसदी आदमी हमारे खेती पर निर्भर करते हैं और तब भी वहां पर ऐसे प्रदेश और देश में खाद्य का संकट हो, इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। श्रीमन्, मैं खुद एक काश्तकार हूं, गांव में रहता हूं और उसी हैसियत से सरकार को इस विषय में कुछ सुझाव देना चाहता

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

हूं। हम जो आज यह सोच रहे हैं कि एक नलकूप निदेशालय कायम कर दें या प्रोडक्शन कमिश्नर की पोस्ट कायम कर दें तो इस तरह से फसल नहीं बढ़ सकती। आप हम को तो सिर्फ पानी दे दीजिये और इरीगेशन की सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंचा दीजिये चाहे राजकीय ट्यूबवेल्स के जरिये से, चाहे नहरें बनाइये, चाहे अल्प सिंचाई योजना द्वारा आये, चाहे हम छोटे छोटे कुयें बन यें। अब यह हो जायगा तो हम अपना नियोजन आप कर लेंगे, अपनी तरक्की अपने आप कर लेंगे। आजकल हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और बिना सिंचाई के रहते हुए प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। मेरे जिले शाहजहांपुर में ओले पड़े और इस साल सूखा भी है, चूहों की अधिकता है। प्लान्ट प्रोटेक्शन वालों को लिखा गया लेकिन आजतक कोई नहीं पहुंचा। चूहे उत्पादन को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। कुदरत हमारा साथ देती नहीं, सिंचाई के साधन हमारे पास काफी नहीं हैं अब इससे उत्पादन में वृद्धि कैसे हो?

दूसरी बात क्राप प्लानिंग की है। मैं इसलिये यह बात कहता हूं कि मेरे गांव में पहले खरीफ की फसल में मूंगफली नहीं होती थी, गन्ना नहीं होता था लेकिन अब किसानों ने गन्ना बोना शुरू कर दिया, मूंगफली बोनी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि इस साल जितनी खरीफ की फसल बोई गई थी उसके ८० फीसदी एरिया में मूंगफली बोई गई जहां उर्द, अरहर, बाजरा बोना चाहिये था, वह नहीं हुआ। दूसरे इतना गन्ना बोया गया जैसा पहले नहीं था। चूंकि गन्ना कैश क्राप है, नकदी रुपया मिल जाता है इसलिये काश्तकार गन्ना ज्यादा बोते हैं। तब तक क्राप प्लानिंग नहीं होगी, काश्तकार पर नियंत्रण नहीं होगा कि यह फसल बोयी जाय, जब तक ज्यादा फसल नहीं उग सकती। श्रीमन्, सिंचाई की बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिनको तीन-तीन चार चार साल हो गये राज्य सरकार की मंजूरी के लिये आयी हुई हैं लेकिन आज तक मंजूर नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इतनी अवहेलना की जाती है। मेरे यहां बझेरा रजबहा है, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री राममूर्ति जी से कहा, मुख्य मंत्री जी से कहा, इरीगेशन प्रोडक्शन कमिश्नर से कहा लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं किया गया। मैं तो यह चाहता हूं कि वह रजबहा जल्द बना दिया जाय और जो सरकार अपना ट्यूबवेल बनाना चाहती है उसको इस वक्त बन्द कर दिया जाय क्योंकि उसमें लागत ज्यादा आती है, इसके अलावा जितने नहर विभाग के कर्मचारी हैं, पतरोल आपरेटर वगैरह वे सब बड़े भ्रष्टाचारी हैं और यह ट्यूबवेल का पानी कदापि नहीं देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं और सिंचाई नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार लघु योजनाओं के लिये ज्यादा रुपया दे और छोटी छोटी नहरों का जितना भी एक्सपेंशन हो सकता है किया जाय। इस काम को सरकार अपनी तरफ से करवाये जिससे ज्यादा अन्न पैदा हो सके। इसके अलावा, ए० डी० ओ०, सोशल वेलफेयर और ए० डी० ओ० वीमेन हटा दिये जायं और सारी प्राथमिकता सारी योजना और सारी स्कीमें इरीगेशन और एग्रीकल्चर के लिये हो और सारा धन सिंचाई के ऊपर लगा दिया जाय। जब सामूहिक रूप से यह किया जायगा तब हम आत्म-निर्भर हो सकेंगे। श्रीमन, मैं दो चार मिसाल आप के द्वारा भ्रष्टाचार की भी देना चाहता हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है। मेरे यहां एक कैनाल पतरौल है श्री हरनाथ सिंह। वह बझेड़ा रजबहे पर काम करता है। यह पतरौल बरेली के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के अन्डर काम करते हैं। इनका यह रवइया है कि जो उनको पैसा देते हैं उनको चहर काट कर आबपाशी देते हैं और जो पैसा नहीं देते हैं उनके लिये आबपाशी करने नहीं देते। इसी तरह से उनका यह रवइया है कि जिनसे उनको पैसा मिल जाता है उनको आब-पाशी के लिये पानी दे देते हैं और जब पड़ताल होती है तो उसमें उनके लिये कम आबपाशी दिखाते हैं ताकि उन को कम पैसा देना पड़े। इसी तरह से जिसने उन को पैसा नहीं दिया उन गरीब किसानों के खाते में पड़ताल में आबपाशी भर देते हैं। जब वसूलयाबी होती है तब यह महसूस होता है कि उन्होंने इस तरह से किया है। इससे लोगों में वहां पर बड़ी परेशानी है। उनकी शिकायत मैंने श्री जे० पी० जैन, चीफ इंजीनियर इरीगेशन मन्त्री, विकास मन्त्री और कृषि मंत्री जी से की और यह कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि उनका वहां से स्थानान्तरण किया जाय,

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय, मैं यह चाहता हूं कि उनके खिलाफ खुली जांच हो. जिन गांव की लिस्ट है उन्हीं गांवों में जांच हो। अगर जांच होने के बाद वे दोषी पाये जायं तो उनको जरूर दंड दिया जाय क्योंकि ऐसे कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार करते हैं इस सिंचाई विभाग के अन्दर तो वे प्रोडक्शन के लिये बाधक हैं और वे देश द्रोही हैं। सरकार यदि उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेती है तो यह खेद की बात है।

दूसरी बात मैं एजूकेशन विभाग की कहना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता था कि एजूकेशन विभाग ऐसा है जिसके अन्दर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं एक जूनियर हाई स्कूल चलाता हूं। इस साल वह हाई स्कूल हो गया है और उसको हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हो गई है। उसको एक ग्रान्ट २,५०० रुपये की मिली है जो डिप्टी डाइरेक्टर बरेली के यहां पड़ी हुई थी। मैंने कई प्रयत्न किये कि वह ग्रान्ट मिल जाय लेकिन वह ग्रान्ट आज तक उसको नहीं मिली। मैंने प्रिन्सिपल को हेडक्लर्क के पास भेजा तो उस हेडक्लर्क ने कहा कि इस नेतागिरी से ग्रान्ट नहीं मिलेगी। अगर उनको १० प्रतिशत कमीशन दिया जाय तो उनको तुरन्त मिल जायगी। तो मजबूर होकर प्रिन्सिपल साहब ने १० प्रतिशत उनको दिया तब कहीं जा कर वह ग्रान्ट उनको मिली है। इस तरह का भ्रष्टाचार इस विभाग में है जो बड़े खेद की बात है।

इस तरह से एक और उदाहरण बतलाऊं कि कुमारी दमयन्ती देवी नाम की एक लड़की जिसको ३१६ नम्बर प्राप्त हुये थे और जिसको मेरिट स्कालरशिप मिलना था उसने अपने स्कालरशिप के लिये एप्लाई किया। वह उसको नहीं मिला लेकिन दूसरी लड़की जिसने उसी विद्यालय से केवल ३०७ नम्बर प्राप्त किये थे उसक लिये मेरिट स्कालरशिप मिल गया। मैंने कैलाश प्रकाश जी को १ सितम्बर, सन् १९६५ को लिख कर दिया और उन्होंने शीघ्र ही उस पर रिपोर्ट मांगी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने ६, ६ पत्र कैलाश प्रकाश जी को लिखे और उन्होंने हरएक पत्र को डाइरेक्टर के पास भेजा कि शीघ्र रिपोर्ट भेजी जाय कि इस लड़की को जिसने ३१६ नम्बर प्राप्त किये उसको स्कालरशिप नहीं मिला लेकिन जो उसी विद्यालय में पढ़ती है और उसकी साथी है उसको ३०७ मिले तो उसको मेरिट स्कालरशिप क्यों मिली? लेकिन आज तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और न कोई कार्यवाही की। अभी जब मैं शाहजहांपुर में था तो वह लड़की मेरे पास आई और मेरे पास उस समय कई मेरे साथी बैठे हुये थे तो उसने कहा कि अंकिल! आपकी सरकार हमारे साथ यह ज्यादती क्यों कर रही है? मैं उसको इसका उत्तर नहीं दे सका। इसलिये मैं आप के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तथा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाय। ऐसी बातें देखने में और सुनने में बहुत साधारण मालूम होती हैं लेकिन इससे हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है और सरकार बदनाम होती है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी बातों की जांच करने में क्यों देर होती है।

एक बात मैं इन्फार्मेशन विभाग की भी कहना चाहता हूं। शाहजहांपुर में इन्फार्मेशन विभाग की एक पिक-अप गाड़ी है। उसमें एक प्रोजेक्टर भी लगा है जो सिनेमा दिखाने के काम में आता है। वह गाड़ी खराब पड़ी है और देहात में आज तक नहीं गई है। जब सूचना अधिकारी से कहा गया तो उसने कहा कि गाड़ी वर्कशाप में गई है वहां से नहीं आई है। ऐसी गाड़ी को वहां भेजने से क्या लाभ है। ऐसी गाड़ी को विदड्रा करना चाहिये अन्यथा इस सूचना विभाग को ही वहां से तोड़ दिया जाय। ऐसे सूचना विभाग को रखने से क्या फायदा है जिससे देहात में काम न हो। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यहां पर अंग्रेज सरकार थी तो उस जमाने में जिलाधीश, कलेक्टर और एस० पी०, जब दौरे पर जाते थे तो उनके पास गांव में जाने का साधन रहता था। गांव में मोटर नहीं जा सकती है तो वह गांवों में अपने घोड़े पर जाते थे और इंटीरियर में जाते थे, लेकिन आज कल जो हमारी सरकार के अधिकारी हैं, जिलाधीश और एस० डी० ओ० वे पहले पूछते हैं कि जीप कहां तक जा सकती है और जहां तक जीप जाती है उसके आगे वे इन १८ सालों में गये नहीं। आप पिछले ५० साल का

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

रेकार्ड मंगा कर देख लें, पिछले जमाने में अधिकारीगण जहां तक गये वहां तक इन १८ सालों में हमारे अधिकारी नहीं पहुंच पाये हैं।

आखिर में मैं एक बात कहता हूं। हमारे प्रोडक्शन कमिश्नर साहब शाहजहांपुर तशरीफ ले गये थे, लेकिन वहां के विधायकों को उनके प्रोग्राम का कोई समाचार नहीं मिला। अगर हमको पता होता तो वहां की समस्याओं को हम उनसे डिस्कस कर सकते थे। दूसरे वह एक ब्लाक कटरा में गये जहां उन को डबल क्रापिंग दिखलायी गयी और बतलाया गया कि सारे जिले में इसी प्रकार की खेती है। जिनका खेत उन्होंने देखा वह स्वयं ३० साल से खेती कराते चले आ रहे हैं और अच्छे किसान हैं। वहां यह डबल क्रापिंग हो रही है, लेकिन सारा जिला वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि डबल क्रापिंग तो कहीं नहीं है। सारा यहां हजारों एकड़ जमीन तो बिना बोये पड़ी है। इधर कुछ वर्षा हो गयी है लेकिन सारी जमीन जुत नहीं पायी है। इस तरह की बातें करके आपके अधिकारी अपने को भी धोखा दे रहे हैं, सरकार को और साथ ही देश को भी धोखा देते हैं। इस प्रकार से हम देश का निर्माण नहीं कर सकते।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण उस वर्ष, जिसमें वह दिया जाने वाला है, या दिया गया है, उस वर्ष की सरकार की नीतियों का द्योतक होता है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता कि सरकारी अफसरों ने या कैबिनेट ने एक अभिभाषण लिख लिया हो और उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया हो क्योंकि वे तो केवल कन्स्टीट्यूशनल हेड होते हैं। जो सरकार हेगी वह उन्हें करना पड़ता है। श्रीमन्, पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद यह आभास हुआ कि कांग्रेस हुकूमत की जो चार पांच देन हमको है उनमें से केवल एक देन की तरफ उनका ध्यान दिया गया है और बाकी की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है।

श्रीमन्, कांग्रेस राज ने हमें भुखमरी दी, हमें बेरोजगारी दी, हमें मंहगाई दी, और भ्रष्टाचार दिया। इसमें से भुखमरी के लिये उस समस्या का निदान करने के लिये कुछ शब्द माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहे हैं और इससे यह लगता है कि शायद इस पूरे वर्ष भर सरकार नहरें खोदती रहेगी, ट्यूबवेल लगाती रहेगी और अधिक अन्न उपजाओ योजना को चलाती रहेगी जैसा कि उसने गत वर्ष में किया था। सन् १९४७-४८ में जो उपज थी, गत वर्ष उससे ७, ८ टन कम रही और इस साल १९६६-६७ में हम १६ लाख टन इस हिसाब से कम पैदावार करेंगे। इससे यह भी जाहिर है कि इस वर्ष में हम री बेकारी की समस्या को हल करने की कोई जरूरत नहीं रही। यह भी जाहिर है कि मंहगाई बहुत कम है, सरकार चाहती है कि इस समस्या की तरफ भी ध्यान न दिया जाय और अपने पुलिस के प्रशासन के अन्तर्गत शान्ति तथा व्यवस्था के प्रति और भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति वे मुतमईन हैं और समझते हैं कि साल भर में इस तरह कोई कार्य करने की आवश्यकता हीं है, अन्यथा उन का भी जिक्र, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में रहता। मैं अधिक कुछ कह भी नहीं सकता, बहुत कम समय है। केवल इतना संकेत कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार अन्न की समस्या प्रदेश के सामने मुंह बाये खड़ी है उससे बेकारी बीस गुना बढ़ गयी है। जितने साल गुजरते जा रहे हैं उतने ही गुना इस राज्य में मंहगाई बढ़ी है और उतने ही गुना बेकारी बढ़ती जा रही है। तो श्रीमन्, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोगों ने कई बार कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि बेकारी घटाइये, और उसका तरीका यह है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे, दस्तकारी जापान की तरह चालू कर आप देहातों में पहुंचायें। जब तक यह नहीं होगा तब तक यह बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जितनी कमर तोड़ मंहगाई इस प्रदेश में है श्रीमन्, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इससे जनता का विश्वास इस प्रशासन में घटता चला जा रहा है और हम लोग भी निष्क्रिय से हो रहे हैं। हमारा काम सजग प्रहरी की तरह है। हम वह काम पूरा करते हैं, परन्तु सरकार कान में तेल डाले बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सत्याग्रह की बात करें तो कहती है कि तुम शान्ति नहीं रखना चाहते, कभी चीन की बात कहती है, कभी पाकिस्तान की, तो श्रीमन्, मैं आप से कहना चहता हूं कि इन सब बातों की ओर भी राज्यपाल महोदय को संकेत करना चाहिये था।

दूसरी बात मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारा जो पुलिस का प्रशासन है उसमें बहुत गड़बड़ी है। आज हमारी पुलिस अपने साहस और शौर्य को प्रदेश के छात्रों पर दिखाती है, लेकिन वह डाकुओं को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, लड़ाई दंगे बन्द कराने में उस शौर्य का प्रयोग नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि गत वर्ष सब से ज्यादा राहजनी, डकैती, कत्ल, चोरी, फौजदारी, बरगलरी हुई है या नहीं? तो पुलिस कहां चली गयी? पुलिस तो हमें मुकदमा चलाने में, कत्ल कराने में और डकैतों को डकैती डालने में सहयोग देती रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और सरकार को अपनी की बुनियादी नीतियों में अगले वर्ष के लिये पुलिस प्रशासन और अपराधों की इस समस्या को भी सम्मिलित कर लेना चाहिये और बेकारी और महंगाई की समस्या को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिये।

भ्रष्टाचार के विषय में क्या कहा जाय। यह बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को ऊंचे स्तर पर रोकना चाहिये। उसके लिये सरकार ने सतर्कता आयोग कायम किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक हाउस में नहीं आयी। केवल संकेत मात्र किया गया है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि दस मामलों में भी उस आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब उसमें इतनी क्षमता नहीं रही, आपने उसे इतना स्वतंत्र नहीं रखा कि वह अपने इंडिपेंडेंट व्यू ले सके। सारे सुझाव, सारे मामले रद्दी की टोकरी में पड़े रहते हैं, जिनको मिनिस्टर साहब चाहते हैं, वह फंसा दिया जाता है, जिसको वे चाहते हैं बरी कर दिया जाता है। इस आयोग का काम इतना ही रह गया है। जो पहले के पदाधिकारी थे वे कुछ काम कर सकते थे, लेकिन अब उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने का साहस नहीं रह गया है। उनको कठपुतली मात्र बना दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल में, कैबिनेट की स्टेज पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे कौन देखने वाला है। इसको नन्दा जी नहीं देख सकते, इसको इंदिरा गांधी नहीं देख सकतीं, इसको जवाहरलाल जी नहीं देख सके और लालबहादुर जी भी रोते चले गये।

इसीलिये श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक ऊंचे स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई आयोग नियुक्त नहीं करेंगे तब तक नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार को बन्द आप नहीं कर सकते। मैंने स्वयं देखा। रविवार वाले दिन मैं एक दौरे पर गया। रास्ते में आपके पतरौल साहब वहीं खड़े पानी दिलवा रहे थे नाजायज तौर पर नहर कटवा करके (लाल बत्ती होने पर) मैं ५ मिनट रुका और लोगों को भी मिला है। तो मैं कह रहा था कि इस भ्रष्टाचार के लिये जिम्मेदार कौन है? कैबिनेट और सरकार जिम्मेदार है। जब यहां भाई-भतीजों को परमिट दिये जायेंगे जब लाइसेंस, कोल डिपो और सीमेंट के परमिट दिये जायेंगे तो निश्चित रूप से नीचे के लेविल पर भ्रष्टाचार होगा और जरूर होगा। और जरूर।

इसी तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल ने एक बात बहुत अच्छी कही, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि किसानों को मुआवजा बहुत कम दिया जाता था। मैं यह निवेदन कर दूं कि बरेली में एक गवर्नमेंट इस्टेट बनायी गयी है। ५ वर्ष हो गये हैं, किसान

[श्री हरी शकुमार गंगवार]

लगान देता है और कब्जे में वह सरकार के जमीन रहती है, उसका मुआवजा नहीं मिलता, लगान माफ नहीं होता। बहुत लिखा-पढ़ी की गयी इस तरह के इंस्टेंस हैं, लेकिन "देर आयद दुरुस्त आयद"। यह आपने ठीक किया कि आश्वासन दिया है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में नियमों में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप किसानों की भावनाओं को देख करके मार्केट वैल्यू से उसका मुआवजा दें— इस बात का उसमें उल्लेख होना चाहिये— अन्यथा इससे कोई फायदा नहीं होगा।

इसी प्रकार से एक छोटा सा फ्राड आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। बरेली तहसील में एक-डेढ़ लाख रुपये का गबन है। कुछ रुपया तकावी के रूप में रखा गया कि किसानों को बैल खरीदने के लिये दिया जायगा। वहीं के अधिकारियों ने, क्लार्कों ने, लेखपालों ने फर्जी दरख्वास्तें लेकर जैसे कोई रामधन नाम का आदमी भी नहीं था और उसके नाम से दरख्वास्त ले ली और उसके नाम से रुपया निकाल लिया। इस तरीके से सारा रुपया निकल गया। कुछ लोगों के केसेज को स्टे किया गया और वसूलयाबी नहीं हुई, लेकिन अब सब से हो रही है।

इसी प्रकार से आपने इस बार तय किया कि हम १ अप्रैल, १९६५ से यहां के सरकारी कर्मचारियों के आंसू पोंछने के लिये पैसा देंगे। वैसे तो मैं तब उसे ठीक समझता। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई देने की व्यवस्था करते और प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वहां की तरह यहां भी महंगाई बढ़ती, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती। खैर, वह पैसा जो देने की बात थी, वह अभी तक घपले में पड़ी है और अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया। यों तो आपके ५—१० कमीशन हर बात में बैठते रहते हैं, लेकिन जबकि महंगाई चौगुनी हो जाती है तब भी कमीशन नहीं बैठाया जाता। जब तक कमीशन नहीं बैठाया जायगा तो सरकारी कर्मचारियों का कुछ भला नहीं हो सकता।

आज देखने में आता है कि उद्योग हों या विश्वविद्यालय या मेडिकल कालिज हों ये केंद्रित होते जा रहे हैं और किन्हीं खास मंत्रियों के यहां रखे जाते हैं, जैसे मेरठ में, आगरे में। लेकिन कभी उन जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, इनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बरेली में एक विश्वविद्यालय की मांग बहुत जमाने से है। मैं चाहता हूं कि वहां अवश्य खुले। वहां आपने कहा था कि एक केबिल फैक्ट्री खुलवायेंगे लेकिन इस अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो शुक्रिया का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जितना भी क्रिटीसिज्म इस सदन में इस अवसर पर किया गया है उसमें एक चीज को बिलकुल नजरन्दाज कर दिया गया है और वह यह है कि आज हमारे प्रदेश में हालात क्या हैं। नुक्ताचीनी करते वक्त हमें अपने प्रदेश के हालातों को भी सामने रखना चाहिये। यह भी जानने की कोशिश नहीं की गयी कि आजादी के पहले इस सूबे में तालीम की क्या हालत थी, उसका क्या स्तर था, और आज क्या है? अगर किसी प्रदेश में लोग ज्यादातर अशिक्षित हैं तो वहां कितनी ही अच्छी से अच्छी स्कीम आप क्यों न लागू कर दें, वह सफल नहीं हो सकती, उसमें कमी रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगी। उसमें भ्रष्टाचार भी होगा। जब गैर शिक्षित लोगों के सामने स्कीम जायगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। जब भी हम किसी सरकार की नुक्ताचीनी करें तो हमें उसे स्टेट के हालतों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिये।

मान्यवर, इस सबके लिये हमारी कुछ वैधानिक कमियां भी हैं। उसको वही लोग दुरुस्त कर सकते हैं जिन लोगों ने इस देश का विधान बनाया है। मिसाल के लिये, इस सरकार को चलाने का काम इस ब्यूरोक्रेसी पर डाला गया है और वही चला रही है। इस सरकार को। अब जो इन बड़े-बड़े अधिकारियों के सेवा नियम हैं, उनकी नियुक्ति आदि की जो शर्तें हैं उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वे सब आल इंडिया सर्विस के हैं। हम उनको कोई सजा भी नहीं दे सकते। हमारा कोई कंट्रोल उन पर नहीं है और काम हम उनसे लेते हैं। हमारी स्टेट में ही वह काम करते हैं। अगर उनको निकालना हो तो हमें सेंटर को लिखना पड़ता है। तो जब तक उन पर पूरा कंट्रोल हमारा नहीं रहेगा, उनको तरक्की देना या उनकी तनज्जुली करना या ट्रांसफर करना आदि हमारे हाथ में नहीं होगा, हम उनसे अच्छी सेवा नहीं ले सकते। वे मनमानी करते रहेंगे। हां कुछ सर्विसेज जैसे डाकखाना है, रेलवे हैं, यह सब सेंटर के हाथ में रहें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। जिलाधीश हमारे ही यहां का सब काम करता है, मगर हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यह भी एक कमी है जिसकी वजह से हमारे यहां अच्छा काम नहीं हो पा रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कुछ कमियां हमारी भी हैं जिनका ताल्लुक कुछ विधान से है। हमारी सर्विसेज का ढांचा पुराना ही है। वही जिलाधीश है, उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर है तथा और अधिकारी हैं। जो डिप्टी कलेक्टर ने लिख दिया वही ठीक समझा जाता है चाहे वह गलत नोट हो या सही नोट हो। तो जो हमारी सर्विसेज की बनावट है उसको आज के डेमोक्रेटिक जमाने में बदलना चाहिये था जिसको हम बदल नहीं सके। इसमें खता हमारी है। आज हमें अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को प्रजातांत्रिक कर देना चाहिये था, लेकिन उसे हम नहीं कर पाये। इसको हम कर सकते हैं और इसके कई तरीके हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि जिले के अन्दर मुहकमे वालों के करेक्टर रोल मुख्तलिफ आदमियों को दे दें। आखिर आप क्यों नहीं उसमें पब्लिक मैन को शामिल करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर के कैरेक्टर रोल में एंट्री करता है, मैं पूछता हूं कि उसमें पब्लिक मैन का हाथ क्यों नहीं होना चाहिये? यदि इतना चेक आप करें तो इस सूबे का ऐडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक हो सकता है।

एक बात और है जो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो उसे मुमकिन किया जाना चाहिये। वह यह कि अगर हम मुख्तलिफ पैरेलेल ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरेलेल लाइन पर चलावें तो उसमें क्या हर्ज की बात है? जैसे एक जिले में ४ तहसील या आधी तहसील का ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सर्विसेज को दें जो नयी क्रिएटेड सर्विस हो जो प्रैक्टिल एक्सपीरिएंस के आधार पर बिना एकेडेमिक क्वालिफिकेशन का खयाल किये हुए पब्लिक मैन द्वारा कायम की गयी हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकेडेमिक क्वालिफिकेशन भले ही कम हो, लेकिन वे प्रैक्टिकल साइड में काफी टेलेंटेड होते हैं। जैसे बाबू गोविन्द सहाय को ही ले लीजिये, ये बी० ए० या बी० काम० फर्स्ट क्लास न हों लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस की बिना पर वे उस तरह की सर्विस में अपने को फिट कर सकते हैं, तो टेलेंडेट आदमियों के लिये एकेडेमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं होनी चाहिये, अपने लिये तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एकेडेमिक क्वालिफिकेशन उतना नहीं है फिर भी मैं बहुतों से अच्छा काम करके दिखला सकता हूं। तो यह एक्जामिन करने की चीज है, सरकार को चाहिये कि इसको एक्जामिन करावे कि यह चीज कहां तक संभव हो सकती है।

यह कहा गया कि हमारे यहां पैदावार बहुत कम हुई है। जहां तक मेरा खयाल है कि हमने हर साइड में तरक्की की है। ऐसे खुदाई ताकत के सामने हम तो कुछ कर नहीं सकते

[श्री खूबसिंह]

हैं। दो तीन साल हो गये, हमारे सूबे में बारिश नहीं होती है। तो फिर चाहे छोटी स्कीम हो या बड़ी स्कीम हो, अच्छा रिजल्ट कहां से आवेगा ? इसका गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जह में इस बात की ओर जरूर दिलाऊंगा कि हमारी आंखों के सामने ही गंगा, यमुना और गोमती आदि नदियां यहां से पानी बहाते हुए जाती हैं और लखनऊ छोड़ कर भागी जाती हैं, तो हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि हम ऐसी स्कीम बनावें जैसे पंपिंग सेट्स जगह जगह लगवा दें और ऐसे एक्वीपमेंट्स जगह-जगह मौजूद रहें जिससे जब जरूरत हो वहां बनी बनायी नालियां तैयार हो जायं। जिस तरह से फौज के पास बने बनाये पुल होते हैं, जरूरत पड़ते ही वे तुरन्त पुल तैयार कर देते हैं, उनको उसके लिये फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती, उनको ब्रीक वर्क नहीं करना पड़ता, उनके पास बने बनाये एक्वीपमेंट्स होते हैं जिससे ओवरनाइट, २४ घंटे के अन्दर, या ४८ घंटे के अन्दर पुल तैयार कर देते हैं। उसी तरह से जो नदियों का पानी हमारी आंखों के सामने से भागा जा रहा है उसको रोक कर इर्रीगेशन के काम में लगाने के लिये हमारे पास तमाम साधन होने चाहिये, उसके लिये स्कीमें चाहे बड़ी हों या छोटी हों, सब ठीक हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सूबे की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के सिलसिले में। हमारी सर्विस कोआपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है परन्तु हमारी सरकार ने कोआपरेटिव्ज की तरह सैकेंडरी तवज्जह कर ली है। हम सर्विस कोआपरेटिव्स को कम्पलसरी तरीके से बनाकर पानी की समस्या को हल कर सकते थे। इस तरफ हमारी गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह कहा जाता है कि दो तीन महकमे एक जगह रहने चाहिये, जैसे इर्रीगेशन, कम्युनिटी डैवेलपमेंट, बिजली और एग्रीकल्चर बताया गया। मैं इससे डिफर करता हूं। मैं यों डिफर करता हूं या तो इस सवाल को नजर अन्दाज कर दीजिये कि जो कैबिनेट है उसका एक तो मुश्तरका काम है और दूसरे कोआर्डिनेशन। एक आदमी पांच-छः मुहकमों का कैसे कर पायेगा ? एक महकमे पर तो काबू पा सकते नहीं, छः-छः महकमों पर कैसे काबू पा सकेंगे ?

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं समाप्त किये देता हूं। ये छोटी-छोटी बातें हैं। अगर इनके मुताबिक काम हो जाय तो अच्छा है और इससे ज्यादा हो जाय तो हमारी खुशकिस्मती होगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

हमारी तरफ से एक आदमी बोला है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तरफ से चार आदमी बोल चुके हैं, आप बैठिये।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि उन्हें गवर्नर के भाषण से बड़ी निराशा हुई। पता नहीं उन्हें क्या आशा थी ऐसे गवर्नर से जो २६ जनवरी को आर्डिनेंस निकालते हैं। २६ जनवरी का गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में कितना पवित्र दिवस है। उस दिन नगर महापालिकाओं की समाप्ति का आर्डिनेंस निकलता है तो वे उस गवर्नर से क्या आशा कर रहे थे ? ऐसे अप्रजातांत्रिक गवर्नर जिनमें इतनी भी गरिमा नहीं कि वे २६ जनवरी को टाल देते, २५ य. २७ को कर देते। नगर महापालिकाओं की समाप्ति का जो अध्यादेश लाये वे २६ जनवरी को लाये। पता नहीं किसने इन्हें सुझाव दिया। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, महापालिकाओं की समाप्ति का उसने जो कारण दिखाया गया उसे आप देखिये। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने को अयोग्य सिद्ध किया। अगर अयोग्यता इसलिये है कि कांग्रेसी मेयर नहीं हो पाये तो अवश्य अयोग्यता

रही। मैं तो चैलेंज देकर कहना चाहता हूं कि इन कुर्सियों पर जो बैठते हैं और प्रदेशीय स्तर पर जो शासन हैं उनसे महापालिका का शासन बुरा नहीं था। हमारे राज्यपाल महोदय को पता नहीं आर्डिनेंस से कितना प्रेम है। उपकुलपति का चुनाव अवैध ठहराया गया। उसी ऐक्ट में यह प्रावीजन था कि राज्यपाल महोदय दूसरा उपकुलपति चुन सकते थे लेकिन नियमों का सहारा न लेकर आर्डिनेंस निकाल दिया गया और उन्हीं को उपकुलपति नियुक्त कर दिया गया। ऐसे गवर्नर जो जीवन के अंतिम समय पर हैं, क्या ऐसा भाषण देते जिसमें कोई जीवन होता? उनके भाषण में कोई जिन्दगी नहीं थी, बिलकुल गोल भाषण था।

खेती के बारे में बड़ी चर्चा हुई। शास्त्री जी ने इलाहाबाद में नारा लगाया 'जय जवान जय किसान' कांग्रेसी भाई और किसान लोग उससे बहुत खुश हुए। लेकिन हो क्या रहा है कांग्रेस के लोगों की तरफ से 'जय किसान दे चवन्नी'। जैसे कोई भिखमंगा होता है जो कहता है जय हो सरकार की कुछ मिल जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि श्री माधव प्रसाद जी ने कैसे उसकी प्रशंसा कर दी जो केवल एक नारा मात्र है। किसानों की असुविधायें वैसी की वैसी ही हैं। इलाहाबाद जिले में क्या कमिश्नरी में कोई भी आधुनिक बोरिंग मशीन नहीं है। एक बहुत ही पुरानी होगी जो ठप ठप होकर चलती है। सैकड़ों प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर शीघ्र ही कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो मेजा और करछना तहसीलों में ऐसी स्थिति आने वाली है कि वहां गरमियों में पीने को भी पानी नहीं मिलेगा क्योंकि बरसात के बाद बिलकुल भी पानी वहां नहीं पड़ा है। बरसात में भी सूखा ही रहा। उनसे जबरन वसूली हो रही है जो रुकनी चाहिये।

अगर हम चाहते हैं कि गल्ला ज्यादा पैदा हो तो हमें सिंचाई का प्रबन्ध लड़ाई के स्तर पर करना होगा। ऐसा नहीं कि डेढ़ साल हो गये, लेकिन ट्यूबवेल को अभी तक बिजली नहीं मिली है। किसान को अगर पानी मिल जाय तो वह पैदावार दुगुनी कर सकता है।

श्रीमती कृपालानी जो इलाहाबाद गयीं थीं। कलेक्टरी के कर्मचारियों ने उनको ७५ हजार रुपये की थैली दी। मैजिस्ट्रेटों ने जमानत के लिये १०१ और ५१ रुपये लिये चन्दे में और जमानत कर दी। इस प्रकार न्याय को बेच कर चन्दा किया गया। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे रुपये की मुझको आवश्यता नहीं है, आप मना कर दीजिये। लेकिन उन्होंने स्वयं मना नहीं किया और रुपया लेकर चली आयीं। लोग सोने में तौले जा रहे हैं, चांदी में तौले जा रहे हैं और कैसे-कैसे यह रुपया वसूल होता है। मैं माननीय बनारसी-दास जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो तरीके हैं कि इतना रुपया युद्ध कोष में वसूल करके जमा करो वरना तुम्हारा अमालनामा खराब होगा। इससे अफसरों का भी और जनता का भी मनोबल गिरता है। मैं अधिक न कहकर केवल यही कहूंगा कि सरकार केवल एक काम करे कि यह जो योजना का स्वरूप है उसको बदल दे। आपने जवाहर लाल नेहरू बाल क्रीड़ा केंद्र बनवाये, वह एक भी नहीं चल रहे हैं और देहातों में जो खेल का सामान उनके लिये दिया गया उसके रखरखाव का कोई प्रबन्ध नहीं है और वह सब जगह टूटा पड़ा है। यह महिला मंगल योजना और कीर्तन मंडलियों को जो झांझ और बाजे दिये जा रहे हैं, यह सब पैसा बेकार हो रहा है। आज किसान को आबपाशी के लिये पानी और बिजली चाहिये। उसको यह तमाशे नहीं चाहिये। आज जो मुख्य मंत्री अमरीका का गेहूं मांगती हैं वह उनको नहीं मांगना पड़ेगा। किसान के दिल में भी आप से ज्यादा देश का दर्द है वह पैदावार बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको साधन चाहिये। अगर आप वाकई में अमरीका और दूसरे देशों की भीख से अपने को मुक्त करना चाहते हैं तो आप इन ब्लाक्स के स्वरूप को ही बदलिये, उससे आपका पैसा बचेगा और उससे अगर किसान को पानी मिलेगा तो हमारी पैदावार बढ़ेगी और जो अरबों रुपया और सोना विदेश जाता है, वह रुकेगा।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि यह जो खेलकूद के नाम पर पैसा बरबाद हो रहा है और माननीय गुप्ता जी और मंगलाप्रसाद जी, जिन को खेलकूद से कोई दिलचस्पी नहीं है, के

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

द्वारा यह तमाम पैसा व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। इसको रोका जाय और खेलकूद की योजना को ठीक से चलाया जाय तभी प्रदेश में खेलकूद का कल्याण होगा।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत काफी अरसे से श्री राज्यपाल के अभिभाषणों को सुनता आया हूं। मगर मेरा खयाल है कि इस बार का उनका भाषण पहले से संक्षिप्त भी था और उनमें जो व्यर्थ की बात बहुत सी होती हैं या जो गैरजरूरी होती हैं उनकी इस बार कमी थी। यह खुशी की बात है। मुझ पर इसका यह असर पड़ा और मालूम देता है कि उन की सरकार अब बोलना कम चाहती है और काम ज्यादा करना चाहती है। यह भी हो सकता है कि काम भी कम करना चाहती हो और बोलना भी कम चाहती हो, दोनों में से कोई बात हो सकती है। बहरहाल, मैं इस बात के लिये उन्हें धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने जो इधर प्रयत्न किया है और केंद्रीय सरकार से कुछ ठीक तरीके से कागजात को भेज कर अपनी प्रोजेक्ट्स को भेज कर जो रुपया उनके लिये प्राप्त किया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अभी तक यह प्रदेश इस मामले में काफी घाटे में रहता था। यह प्रयत्न जो हुआ वह अच्छी बात है और भी जो अच्छी बात हुई उन के लिये सरकार को बधाई मिलनी चाहिये और उसको सिर्फ मुझे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है।

अब मैं कुछ बातें जो होना चाहिये थीं और नहीं हो सकी हैं उनकी भी चर्चा करूंगा मैं समझता हूं कि आज के जमाने में हर सरकार किन्हीं हितों का संरक्षण करती है, किन्हीं वर्गों का संरक्षण करती है, किन्हीं आदर्शों के लिये संरक्षण करती है, कभी सरकार किसी तबके की सरकार कहलाती है और उसी के हित के लिये हर प्रकार की कोशिश और संघर्ष करती है और हालात पैदा करती है। मुझे पिछले ५–७ साल की समूची कार्यवाही से ऐसा अनुभव होने लगा है कि यह जो हमारी सरकार है यह किस विशेष हित का समर्थन करती है। किस विशेष वर्ग के लिये किन परिस्थितियों के लिये है, वह बात कुछ धीमी होती चली जा रही है जैसे यदि एक सरकार डैमोक्रेटिक सरकार होती है तो वह डैमोक्रेटिक सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो डैमोक्रेटिक इन्सटीट्यूशन्स हैं, उनको बल दे। जो जनता ने नुमाइन्दे चुन कर भेजे हैं, उनको समाज में इज्जत दे और उनको सरकार अपनी कारगुजारी में प्रदर्शित करे। मैं यहां पर २–४ बातें मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि किस ढंग से आज हम चल रहे हैं। (माननीय बनारसी दास जी के जाने पर) मेरी बात सही है। इसीलिये माननीय बनारसी दास जी भी चल दिए हैं। बहरहाल मैं २–१ बातें कहना चाहता हूं।

सरकारों का एक ट्रैन्ड होता है। उसका रुझान किधर है? उस रुझान से आप पूरे सैशन को एनालाइज कराइये। असेम्बली में जो स्पीचेज होती हैं, इधर से या उधर से, उसमें जो रुझान निकलता है क्या हम उससे कोई लाभ उठाते हैं? इसी तरीके से हमारे जिलों में जिला परिषदें हैं। आपके एजूकेशन मिनिस्टर ने शिक्षा के संबंध में, जिला परिषदों के लिये एक आर्डिनेंस निकाला कि इस ढंग की कमेटी बनाई जाय, इस ढंग से परिषद् के चेयरमैन काम करें। उन चेयरमैनों में ९९ प्रतिशत ने उस आर्डिनेंस के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया। इसी तरह से कोआपरेटिव बैंक्स आये, जो एपैक्स सोसाइटी बनी क्या सभी किस्म के लोगों ने मिलजुल कर अपना कुछ फैसला कोआपरेटिव ऐक्ट के संबंध में पेश किया? मैं नहीं जानता कि उसमें से कौन मानेगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी नहीं, माना गया है एक आध आप बता दीजिये?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बात का असर माननीय बनारसी दास जी पर फौरन हुआ। वैसे यह आदत बच्चों की होती है कि अगर उनकी तरफ उंगली दिखा दी जाय तो फौरन उठ जाते हैं। जो बातें मैं कहता हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जो रेजोल्यूशन उन जमातों ने किये हैं, उनको शिकायत है या उनके रिप्रेजेंटेशन्स हैं तो बात जानने लायक है। इसी तरीके से गांव पंचायतें हैं। उनमें भी यह ज्ञान होता जा रहा है कि जो एस०डी०ओ० हैं वे उन्हें सुपरसीड कर सकते हैं। जरा जरा सी बातों पर उन्हें सुपरसीड कर दिया जाता है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे तो संस्थायें जड़ नहीं पकड़ेंगी। इस विषय पर मैं आशा करता हूं कि काफी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे उन्हें दुहराने की कोई जरूरत नहीं है। नगर महापालिकाओं का कार्य खराब था तो ६ महीने में चुनाव करा देना चाहिये था। उसे दो साल के लिये टालने से जनता में उसका असर अच्छा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स में लोगों को गलती करने का भी हक है। अगर यह मानकर हम चलेंगे और उन्हें बल देंगे तो वे व्यवस्था फूलेंगी वरना वह बेजान ढांचा हमारे ऊपर ही गिर सकता है इसलिये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आज एक आइडियल के दौर में है जितनी ब्रिटिश कालोनीज थीं उनमें यह ढांचा अस्त व्यस्त हो चुका है हिन्दुस्तान में बड़ा परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके बड़ी जान दे कर के इस ढांचे को बनाया है करोड़ों लोगों ने हमारा साथ दिया है। हमारा फर्ज है कि हम उसको अच्छी तरह से चलायें। माननीय गंगवार जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चार चीजें हमें दी। मगर जो बातें कांग्रेस सरकार न उनको दी है उनमें से असली बात उनको नहीं मालूम है। कांग्रेस संस्था की ओर अगर सब से बड़ी देश जन संघ को है तो वह यह है कि उसने इन्हें आजादी दिलाई यह बातें करने का अधिकार दिलाया, जो पहले नहीं था। इसको मैं भूख और गरीबी से बड़ी कीमत देता हूं हमको कहने को कि हम गवर्नमेंट को चलायेंगे यह हमारा राइट है लेकिन इसमें बड़ी करेज चाहिये ....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

आपने नहीं दी बल्कि जनतंत्र से अपनी ताकत से ली।

श्री गोविन्द सहाय---

मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का जो राइट है वह हमारा सब का फर्ज है। अगर उसमें हम कहीं कमी कर रहे हैं, तो हम अपनी कमियों से आगाह हैं और सदन में भी यह मौका मिलता है तो उसे कहने में चूकते नहीं। जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, सही बात है कि बहुत सी बातें इसके कब्जे से बाहर की हैं सवाल यह है कि जो कब्जे से बाहर की बातें हैं उनकी वजह से एक्जक्ट करना मैं गुनासिब नहीं समझता। जैसे अन्न का सवाल है। कुछ काम सरकार करती है कुछ काम सरकार के कब्जे के बाहर है। जो मुझे बड़ी पेचीदगी इन पिछले ३, ४ साल में बढ़ती हुई दिखाई दी है वह यह है कि अब तक इस प्रदेश में एक मुख्य मंत्री रहता था। पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त थे मुख्य मंत्री और बाकी मंत्री थे, डाक्टर सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री थे, बाकी मंत्री थे; श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे बाकी मंत्री थे। अब एक मुख्य मंत्री है और कई डी फैक्टो और कोई डीजूर चीफ मिनिस्टर है। यह एक नई नस्ल जो निकली है यह सुपर चीज यह एक नई नस्ल जो निकली है यह सुपर चीज मिनिस्टर की जो नस्ल निकली है इससे एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब बिगड़ा है। डेमोक्रेसी में कुछ न कुछ लिहाज होता है। जो पार्टी इन पावर होती है उसे कुछ न कुछ काम करने पड़ते हैं हर चीफ मिनिस्टर को कुछ न कुछ डरटी जौब्स भी करने पड़ते हैं। एक प्रेक्टिकल व्यू हमको लेना चाहिये। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिलकुल कायदे में नहीं आते हैं, अगर हमको करना पड़ता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन एक सितार है उसके तारों को ठीक बनाया जायगा तो वह ठीक काम करेगा। अगर उस के तारों से ज्यादा

[श्री गोविन्द सहाय]

आवाज बजाने की कोशिश की जायगी या उंगलियां गलत पड़ेगी तो सितार की शक्ल तो रह सकती है मगर स्वर उससे नहीं निकल सकता है। इसलिये आज जिस ढंग से ऐडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया जा रहा है, जिस तरीके से उसे इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है मैं उसे सदन में कहता हूं, और जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई सुनने वाला हो तो कई वाकयात दे सकता हूं, कभी-कभी इतने मैसिव स्केल के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या पार्टिजन स्पिरट सेवाओं में नहीं थीं जितनी कि आज आने लगी है। हमें उसे रोकना चाहिये। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं। यह बैलेंस की बात है। अभी तक दलबन्दी थी। कौन कहता है नहीं थी? पंडित पंत के जमाने में, डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने में और चन्द्रभानु गुप्त के जमाने में दलबन्दी थी और दलबन्दी आज भी है। सवाल इतना है कि उसका असर प्रशासन पर तो नहीं पड़ रहा है। इतिहास ने एक मौका हमको दिया है उसको ठीक इस्तेमाल करेंगे तो इतिहास में अमर रहेंगे। अगर यह समझेंगे कि यह आखिरी फसल है इसे जैसे चाहो काटो तो इतिहास माफ नहीं करेगा। यह उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश को चलाने के लिये बड़ा दिलो-दिमाग और तबियत चाहिये। हमको इन बातों की कोशिश करनी चाहिये कि अगर हम इन बातों के लिये जिम्मेदार हैं तो जो जिम्मेदार हैं उनको हटना चाहिये। मैं व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास ऐसे आधार हैं जिनके कारण मैं यह कहने के लिये मजबूर हुआ हूं कि आज ३५ साल के अपने पब्लिक कैरियर में कांग्रेस के अन्दर हर इम्तिहान में बैठने के बाद आज अपने राज्य में अपने जिले में कोई अधिकार मैं अपने प्रशासन में नहीं समझता। आज जिन्होंने यह बातें की हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने यह क्राइम किया है। कई जिलों में यह बातें हो रही हैं। मैं मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो कोई आदमी जिम्मेदारी ले जो फैक्ट्स मैं दूंगा अगर उनको एक-एक मैं साबित कर दूं तो जो लोग उनके लिये जिम्मेदार हों उनको सजा होना चाहिये वर्ना गलतबयानी करने के लिये पब्लिक लाइफ से हट जाना चाहिये। ये बातें जो मैं कहता हूं तो कोई बड़ी प्रेरणा मुझे यह बात कहला रही है। साधारणतया ये बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगतीं लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी चीजें रोकनी चाहिये जो कोई उसे रोक सकता है और अगर नहीं रोकेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है इतिहास दोहरायेगा।

इस प्रदेश के लोग बड़े शिक्षित लोग हैं। शासन के जरिये जो कष्ट या अनियमिततायें उन को महसूस हो रही हैं उनको इस प्रदेश के लोग समझते हैं। राजनीतिक ढंग से वह नेताओं से ज्यादा बढ़ी चढ़ी है। जो नेता खड़े होते हैं उनसे ज्यादा शिक्षित वोटर दिखाई देता है, जो आखिरी वक्त तक उनको घुमाता है। इसलिये मैंने इशारा मात्र किया है और इशारा गलत भी समझा जा सकता है और ठीक भी समझा जा सकता है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

इनको और टाइम दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट हो चुके हैं और ५ मिनट का टाइम और माननीय सदस्य लेंगे।

श्री गोविन्द सहाय—

आप से इन लोगों को मेरी सिफारिश करनी पड़े इससे आपकी भी इज्जत नहीं बढ़ती और मेरी भी नहीं बढ़ती।

मैं बहुत सी बातें फैक्ट्स के तौर पर कहना चाहता हूं। मैंने अपने दल पर पाबन्दी लगाकर उनको रखा है। दो, चार बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह जो

२५ फीसदी हमारा लगान बढ़ा था। मैं यह समझता हूं कि जो सूखा पड़ा है और चीजों के दाम गिरे हैं इससे किसान पर दूनी मार पड़ी है, फसल कम हुई है। ६५ फीसदी गन्ना मिलों में नहीं पहुंचता है, केन क्रशर्स में पेरा जाता है, दाम आधे हो गये हैं और पैदावार कम, इन सब बातों को देखते हुये मैं यह आशा करता हूं कि यह आवाज इस सदन के बहुत से सदस्यों की आवाज है कि २५ फीसदी लगान को खत्म किया जाय। दूसरे पिछली दफा केन क्रशर्स पर बहुत सी पाबन्दियां लगाई थीं, टैक्सेज लगाये थे कि उनका मुनाफा ज्यादा था और हम रागिब करना चाहते थे गन्ने की केन क्रेशर्स से मिलों की तरफ यह भी रोजगार है और इसमें लाखों आदमी लगे हुये हैं। अब स्थिति बदल गई है और मिलों को गन्ना मिल रहा है। केन क्रशर्स से इतने दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिये जो पाबन्दियां लगाई गई थीं अब उनको हटाने के लिये सरकार को रिकंसीडर करना चाहिये। आप किसी खास हालत में टैक्स लगाते हैं तो जब स्थिति बदल जाती है तो वह टैक्स भी समाप्त हो जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस पर पूरे तौर से गौर करेगी।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं यह ना पसन्द करता हूं कि करप्शन की जहां चर्चा की जाती है उससे उसके दूर होने में मदद नहीं मिलती है। यह हमारे समाज में है और यह पहले कुछ विभागों तक सीमित था। लेकिन आज वह विभागों के अलावा समाज के सभी क्षेत्रों में जगह करता चला जा रहा है। यह मैलोडी सरकार के कब्जे की है। यह कहना नामुनासिब है। हमारी स्टेट का ढांचा, हमारी आर्थिक व्यवस्था और समाज का ढंग, ये सारे के सारे मिलकर करप्शन को रूप देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम करप्शन को बुरा समझते हैं या नहीं। इस बारे में हमारे दिमाग साफ होने चाहिये। मैं नहीं कहता कि अमुक आदमी बेईमान है या अमुक आदमी अच्छा है। यह तो आजकल एक फैशन हो गया है कि एक दूसरे को बेईमान कहा जाता है। लेकिन जिसको हम स्वीकार कर लें कि यह केस ऐसा है कि जिससे साबित होता है कि बेईमानी हुई है तो उस केस में हमारा रूख सख्त होना चाहिये। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करता हूं। मेरे खिलाफ एक अखबार वाले ने कुछ गलत बातें छाप दीं। इसलिये मेरे लिये लाजमी था कि मैं उस पर ऐक्शन लेता। मैंने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने गलत बात छापी थी और हमें इसका खेद है। पब्लिक मैन को इंतजार नहीं करना चाहिये कि हम हटाये जाते हैं या नहीं। अगर लोगों को उसकी ईमानदारी के बारे में शक पैदा हो गया है तो उसे हट जाना चाहिये। यह स्टैंडर्ड यूनियन कैबिनेट में कायम किया गया है। यही स्टैंडर्ड हमारे यहां भी कायम होना चाहिये। इसका असर पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि इससे करप्शन दूर हो जायेगा। लेकिन अगर हमारी नीयत पर शक हो जाये तो हमें हट जाना चाहिये। लीडरशिप की बड़ी भारी जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने के लिये हमें यह व्यवहार करना पड़ेगा।

मुझे अच्छा नहीं लगता है कि रोज रोज इसकी चर्चा होती है। मैं आप से कह सकता हूं कि जब-जब पब्लिक लीडर्स ने एक दूसरे के विरुद्ध गलत धारणायें की हैं तब-तब करप्शन दूर नहीं हुआ है। लेकिन उसकी आड़ में ऐन्टी रिवोल्यूशनरी फोर्सेज इसी का नारा लगाकर तानाशाही आती है। रोज-रोज वातावरण को विषाक्त करना मेरी समझ में नहीं आता है। मैं सरकार से आशा करता हूं कि जो स्टैंडर्ड यूनियन कैबिनेट ने कायम किया है वही यहां सरकार को कायम करना चाहिये। प्राइमाफेसी केस इस्टैब्लिश होने से पहले अगर यह मालूम होता है कि उनके अमुक काम से लोगों को उनकी नीयत पर शक है तो वह हट जाते हैं, इस समय हमारा प्रदेश बलिदान चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, हम लोग आपसी झगड़ों को दूर कर लें, यही प्रदेश नहीं चाहता है बल्कि इससे बड़ी चीज चाहता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये जिन चीजों के करने का हमने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कही जाती है। लेकिन स्थिति के खराब होने की सम्भावना है। वह सम्भावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

श्री उग्रसेन--

स्थिति जितनी खराब है उतनी अखबार में चित्रित नहीं हो पाती।

[श्री गोविन्द सहाय]

मेरे और इनके बोलनेमें काफी सीमाएं हैं। मैंने जितनी बातें कही हैं उन बातों को मैं अनुभव करता हूं। मेरा विश्वास है कि हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अगर हमने कुछ बातों को स्थायी नहीं बनाया और जनमत में उनकी आस्था पैदा नहीं की तो सारा का सारा ढांचा जो १५–१६ वर्षों में हमने बनाया है यह आत्महित हो कर हमारे ऊपर ढह सकता है। इसलिये केवल संकेतमात्र मैंने कुछ बातों की चर्चा की।

*श्री बनवारीलाल विश (जिला आगरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जितनी भी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं वह इस बात पर आधारित है कि हमारे प्रदेश की मशीन खराब चल रही है जिससे सही अर्थ नहीं निकल पाता। हमारे प्रदेश की कार्य प्रणाली सही नहीं चल पाती। इसी कारण हमें वर्ष में एक बार कम से कम इन बातों पर चर्चा करने का मौका मिलता है। जितने हम रे प्रदेश में समस्याएं बढ़ती जाती हैं उतने ही हम उदासीन होते जाते हैं। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, लालबहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया। उसका सारे देश में बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। जय किसान की बात हुई। किसान हमारे देश की आत्मा है। अगर देश की आत्मा कमजोर हुई तो शरीर का कोई भी अंग अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। इसमें भी शक नहीं कि हमारे देश को अन्न के मामले में बिलकुल आत्म निर्भर हो जाना चाहिये। लेकिन पता नहीं, अपनी कमियों के कारण हम १६–१७ वर्ष के पश्चात् भी हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये। अभी अभी पूना में आल इंडिया कृषि सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री गेंदा सिंह ने कहा कि "दूसरे देशों से भीख मांग कर खाने की अपेक्षा भूख से मर जायें, यह मैं अच्छा समझूंगा।" बात कितनी सुन्दर थी। अगर हमारे देश की अन्न की समस्या जैसी है वैसी बनी रही तो अमेरिका और बड़े-बड़े देशों पर बीस वर्ष तक निर्भर रहना पड़ेगा। पंच-वर्षीय योजनायें बनीं, अधिभार कर लिया गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हुई कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाय। हम तो यह जानते हैं कि जितने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स हैं वे आराम से कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके कान तक से केरियर से चलने वाली आवाज पहुंच नहीं पाती है, वह ब्लाकों की दीवालों से टक्कर मार-मार कर वहीं की वहीं रह जाती है, उन तक पहुंच पाती है, यहां की विकास सम्बन्धी योजनायें उन तक पहुंच कर उनका लाभ किसान नहीं उठा पाते हैं। जब अब सरकार ने यह महसूस किया तो उसे ब्लाक तोड़ने पड़े। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उन पर खर्च होता है और इसका लाभ उनको नहीं मिल पाया है। वह कोई काम नहीं करते हैं, इसलिये हमारा कृषि का काम भी पीछे रह गया है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कृषि डिपार्टमेंट यदि कोआपरेशन से काम करता और प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन खाद्य संकट का मुकाबला करने के लिये कस कर तैयारी करता तो ऐसी कोई स्थिति न आती जो आज अन्न समस्या को लेकर हमारे सामने पैदा हो गई है। हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सका और उसके प्रयत्नों के बावजूद इसके खेतों की उपज हुई नहीं बढ़ सकी।

हम देखते हैं कि कृषि वगैरह के सम्बन्ध में जितने अनुसंधान होते हैं, वे कई-कई वर्ष तक अनुसंधानशालाओं में पड़े रहते हैं, और वे किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे वे उनका प्रयोग कर लाभ उठा सकें। वक्त पर किसानों को पानी नहीं मिलता, नहरें सूखी पड़ी रहती हैं, गूलें टूटी पड़ी रहती हैं, उनको ठीक करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है और कृषकों का खेती का भारी-भारी नुकसान हुआ करता है। इस बारे में जब कोई शिकायत की जाती है तो लिखा-पढ़ी में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक शिकायत जाने में २–३ महीने निकल जाते हैं और किसानों को तनिक भी अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। उनके भारी-भारी नुकसान का ध्यान करके सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिये था, जो कि वे नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सके हैं। लाखों रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है, लेकिन उससे अन्न समस्या तनिक भी हल नहीं हो पाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो भी हम पायेंगे कि सरकार उस पर भी कोई ध्यान नहीं देती है। यहां पर बहुत से माननीय सदस्य औद्योगिक विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा गन्ने की बात की शूगरकेन की बात कही, लेकिन हमारे पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाले चमड़े के जूता उद्योग के बारे में कोई भी बात नहीं कही गयी है, जो कि देश और प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग है। जो पूरे देश और प्रदेश को जूता सप्लाई करता है, विदेशों में भी जूते सप्लाई करता है और उससे देश के लिये फारेन एक्सचेंज लाता है, उस महत्वपूर्ण उद्योग की तरफ यहां पर कोई भी बात नहीं कही जाती है, जिससे उसका और अधिक विकास हो सके वह और फल फूल सके।

माननीय, मैं आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि हमारे यहां आगरा जिले में सूटकेस बहुत बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे उद्योगधंधों के रूप में बनाये जाते हैं। श्रीमान्, वहां की समस्या के सम्बन्ध में कुछ भी कार्य सरकार ने नहीं किया। उस ट्रेड को बढ़ाने के लिये कोई भी सफल कदम इस सरकार ने नहीं उठाया और न उठाने का प्रयत्न ही किया। स्टेट सेल्स टैक्स इस व्यवसाय के ऊपर बुनियादी आधार पर जिस तरह से लगा हुआ है, यहां इसके लिये नुकसानदेह हो रहा है। इसमें बदलाव लाना चाहिये। अभी हमारे गोविन्द सहाय साहब ने जैसा यहां पर कहा कि प्रशासनिक कमजोरियों को यदि सदन में बताया जाय और सरकार उस पर गौर न करे तो यह बात हम जन प्रतिनिधियों के लिये अप्रतिष्ठा की बात है। वही बात यहां पर भी सही है, मैंने इस बात को कई बार सरकार के सामने रखा और यहां पर भी कहा, लेकिन हमारे सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्लानिंग में जो खामियां हैं, उसे दूर करें तो यह बहुत अच्छा होता। सेल्स टैक्स के मामले में इसको पाजिटिव बनाकर नहीं रखना चाहिये। इसमें २१७१ आईटम्स हैं, इन पर एक-एक, दो-दो पैसा जो देना पड़ता है इस तरह से काफी ज्यादा हो जाता है, जो उनको बरदाश्त करना पड़ता है। उनको सेल्स टैक्स से जो नुकसान होता है, वह तो होता ही है, लेकिन औसत की स्थिति में उसे बेचना पड़ता है जो उसके लिये एक और मुसीबत बन जाती है। अनसेटेल्ड पर सेल्स टैक्स ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये। इस छोटे-छोटे कॉटेज उद्योग में लगे हुये इस जिले में ६० परसेन्ट के करीब लोग हैं ४० परसेंट ऐसे निकलेंगे जिनका अन्तरदेशीय काम है। लेकिन ५० फीसदी वे इकाई जिनमें स्त्री, बच्चे और बूढ़े उनके ही लगे हुये हैं उनको इस सेल्स टैक्स से मुक्त होना चाहिये ताकि ये इकाई आगे बढ़ सकें और वे लोग अपनी गुजर-बसर कर सकें।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कृपया यह बताइये कि यह आपके पास वाली घड़ी सही है या इधर वाली घड़ी सही है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सामने वाली सही है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ सब लोगों का ध्यान जाना आवश्यक है। हमारे वे जवान जिन्होंने पिछली लड़ाई में बहादुरी दिखाई और जिन्होंने कुरबानी की उनके नाम भाषण के प्रारम्भ में लेना उचित ही है। इन लोगों के लिये देश के हर व्यक्ति के मन में बड़ा आदर और सम्मान है। अब केवल उनकी बहादुरी की चर्चा कर देना काफी नहीं है और ना ही जो बात नवलकिशोर जी ने कही कि जो लोग मर गये उनके वारिसों को हजार या पांच सौ रुपया देना काफी है। हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा लगाया था। "जय किसान जय जवान", उनका भी यह मन्शा नहीं था कि यह महज केवल नारा बनकर रह जाय। मन्शा यह है कि इस नारे से और इस चर्चा

[श्री शूलसिंह]

से कि देश में कुरबानी का बटवारा भी हर आदमी के हिसाब से होना चाहिये । "इक्विटेबिल डिस्ट्रब्यूशन आफ सैक्रीफाइस" । जो मुनाफा होता है उसकी भी ऐसी तकसीम होनी चाहिये यह तो एक ऐसी बात है कि इसमें बहुत इक्विटेबिल बांट सम्भव नहीं है क्योंकि वह किसान जिसका लड़का लड़ाई पर जाता है उसी किसान के सुपुर्द यह काम भी है कि वह अन्न पैदा करे । ये दोनों बातें किसान के हिस्से में आईं और दूसरों के हिस्से में एक बात आई । उसका हिस्सा देश की कुरबानी में सब से ज्यादा है । किसान के लिये जो बात दिक्कत का है वह औरों के लिये आसान है । किसान के पास पैसा कम है । वह अपनी जान को कुरबान करने की परवाह नहीं करता लेकिन उसके पास पैसा देने की शक्ति नहीं है । फिर भी दुर्भाग्यवश पैसा देने में किसान का हिस्सा ज्यादा हो रहा है । यह खेद की बात है कि जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इमर्जेन्सी के नाम से केवल एक कानून बना और वह भी केवल किसान की मालगुजारी बढ़ाने का था । यह कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि चीन की लड़ाई में जो चन्दा इकट्ठा हुआ था, इस लड़ाई में उसका कोई आधा भी इकट्ठा नहीं हुआ । और गवर्नमेन्ट ने एक सही बात की थी कि चन्दा वालंटरी बेसिस पर होना चाहिये । नतीजा लेकिन यह हुआ कि हर मुहकमें ने चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया । कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट ने अलग से थैली भेंट की, कम्युनिटी प्रोजेक्ट ने, कोन सोसाइटी ने अलग से रुपया इकट्ठा किया । शिक्षा विभाग ने भी अलग से किया और यह स्पष्ट बात है कि चारों ने किसान से मांगा, किसान का सब मुहकमों से काम पड़ता है । गन्ना वालों को नाराज करे तो मुश्किल, कोआपरेटिव वालों को नाराज करे तो कर्जा न मिले । मास्टर जी नाराज हों तो लड़कों की पढ़ाई न हो, लिहाजा सबको देना पड़ा । और जिनके पास रुपया था उन्होंने बिलकुल नहीं दिया । तो मेरा निवेदन है कि महज नारा लगा देना काफी नहीं है कि "जय जवान जय किसान" । इसको कार्य रूप में परिणत करना चाहिये । हर एक आदमी को अपनी हैसियत के मुताबिक कुरबानी करनी चाहिये । यह कोई गीत नहीं है कि गा दिया । हमारे यहां यह एक आम तरीका है कि अगर हिन्दू है तो खत में पहले "ओम्" लिख दिया नीचे चाहे कितनी ही खुराफात लिखी हों । ऐसे ही मुसलमान है तो "बिस्मिल्लाह" लिख दिया, आगे चाहे जो कुछ लिखे । यह रास्ता बदलने की आवश्यकता है । बेनिफिट्स की बात तो बाद में कहूंगा लेकिन किसान जो काम कर रहा है उसमें अगर मदद नहीं करते तो बाधा तो मत डालो ।

एक चीज और रखता हूं । बिजली की जरूरत है कुयें चलाने के लिये । १०,००० से ज्यादा कुयें ऐसे हैं जिन में बिजली नहीं लगी, लेकिन शहर का कोई कनेक्शन नहीं है जो मंजूर न हुआ हो । घरों में तो रोशनी करने की इजाजत है ही लेकिन दरख्त पर भी बिजली लगा ली । शादियां करते हैं लोग तो दरख्त पर बिजली लगी है जिसकी जरूरत अन्न पैदा करने के लिये है । कितना दुरुपयोग है कि दरख्तों पर, नालियों और सड़कों पर लगायीं जाती हैं मुझे मौका मिला पंजाब जाने का, लड़ाई बन्द हो गयी लेकिन अम्बाला में सड़क पर रोशनी नहीं थी । मालूम हुआ कि बिजली की कमी है । अभी कल परसों पंजाब की गवर्नमेन्ट ने बड़े-बड़े कारखानों की बिजली काट दी है, आटा चक्कियों की बिजली काट दी है, देहली को भी देना कम कर दिया है । मगर हमारे प्रान्त ने कमी की है तो किसानों की कमी की है, उनके कुओं को नहीं मिलेगी । रास्ता यह निकाला कि दिन में बिजली कम है, रात को कुयें चलाओ सोचने की बात है कि सबसे अहम मुहकमा अन्न उत्पादन का है उसके लिये बिजली की आवश्यकता है । देश की जान बचाने वाले काम के लिये तो रात को मिलेगी और सिनेमाघरों को, आइस फैक्टिरियों को और बेशुमार खुराफात के कारखानों को छूट है कि दिन में चलायें या रात में, मकानों में तो ऊपर छत है, हवा से बच सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, उनको बिजली की क्या खास आवश्यकता है ? किसान रात में खेत में खड़ा पानी दे रहा है बिजली का कोई इन्तजाम नहीं है । अगर नाली कट गयी तो पानी भी खेत में पहुंचेगा नहीं और वह रात भर खड़ा रहेगा सर्दी के मौसम में । ऐसी हालत आज है कुछ फसलें हैं जिनको ज्यादा पानी दिया जाता है, कुछ को कम दिया जाता है । तो जिनको जरूरत बिजली की थी न उनको रात को बिजली दी जाती

है, जिनको जरूरत नहीं है, जो हीटर जलाते हैं उनको दिन में बिजली दी जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के अन्दर एक क्लाइमेट आस्टेरिटी की होना चाहिये जिसमें सब को यह महसूस हो कि हम सब इसी देश में पैदा हुये हैं और हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। जब यह भावना हमारे अन्दर पैदा होगी तभी भला होगा और कुछ प्रगति हो सकेगी।

आज देखिये कि रोज नये-नये फैशन का कपड़ा देखने में आता है। नये-नये डिजाइन देखने में आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारे देश में लड़ाई है ही नहीं। किसी चीज की कमी है ही नहीं। मैं बताता हूं वीयतनाम जो कि एक छोटा सा देश है वहां के जब एक हे तिमिन दिल्ली में आये तो उनके कोट में तमाम चिप्पियां लगी हुई थीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चीज की एक सीमा होती है। इसकी भी एक सीमा हो कि इतने डिजाइन हैं इन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिये। फिर आप को एक्सपोर्ट करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उससे आपको एक्सचेंज मिलेगा, देश का भला होगा। हमारे देश में एक ऐसी क्लाइमेट पैदा होना चाहिये जिससे हर आदमी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने कर्त्तव्यों को समझ सके और उसके लिये सारी व्यवस्थायें भी समाप्त होनी चाहिये। पिछली बार जब राशनिंग शुरू हुआ था तब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं एक दिन राशनिंग की दूकान पर राशन लेने गये। उन्होंने स्थिति को देखा। तो बड़े आदमी को छोटे आदमी का काम करने में फख्र होना चाहिये। मुझे खेद है कि हमारे यहां यह भावना पैदा नहीं हो पायी है और जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, सिंचाई का भी जिक्र इस अभिभाषण में है। हमारे यहां सिंचाई का जो आर्गेनाइजेशन है वह हमारे यहां की आवश्यकताओं को पूरा करने में अयोग्य रहा है। आवश्यकता तो इस बात की है कि जब पानी की जरूरत हो तब पानी मिले तथा जितनी आवश्यकता हो उतना पानी मिले। यह विभाग इसको पूरा करने में असमर्थ रहा है। नहरों में चूंकि इस साल पहाड़ों पर पानी कम था, बहुत से रजबहे नहीं चले। एक हफ्ता अगर कोई रजबहा चला तो ४ हफ्ते बन्द रहा। रबी को जो पानी मिलना था वह नहीं मिला। एक ट्यूबवेल का कमान्ड एरिया ८०० एकड़ है। एक जगह मैं खुद गया और मुझे देख कर अचम्भा हुआ। दिसम्बर की बात है कि वह ट्यूबवेल ५ हजार घंटे चल चुका था उनका वार्टरिंग एरिया ३००–४०० एकड़ था जब कि एरीगेटेड एरिया २००–३०० के बीच था। बार्टरिंग एरिया से मतलब है कि अगर एक एकड़ में पानी दिया गया और फिर १० दिन के बाद उसी एक एकड़ में पानी दिया तो दो एकड़ के रूप में उसकी गिनती हो जाती है। इस तरह से एकरेज की गिनती बढ़ती जाती है लेकिन वह फसल भी नहीं हुई। दो फसल आप करना चाहते हैं लेकिन एक पानी तो बिलकुल बेकार हो जायगा रबी की फसल के लिये। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि सारे मुहकमें को दोबारा रिआर्गनाइज करने की आवश्यकता है। सघन खेती के लिये जो योजनायें हैं उनके लिये आज सिंचाई के साधन बेकार हैं। इसलिये हमें रास्ता बदलने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर सोचना चाहिये कि वह इसके लिये कोई कमेटी या कमीशन बैठा कर उस रास्ते को बदले, इसके लिये कोई कायदा बनाना चाहिये। अब तक जितने कायदे हैं उन कायदों की बुनियादी बात यह है कि सरकार की आबपाशी की आमदनी कम न हो जाय। यकीनन बात यह है कि ये सब कायदे बे मौके हैं इन कायदों की जरूरत तब थी जब लोग पानी लेने वाले नहीं थे लेकिन आज तो पानी के लिये वे सब परेशान व बेचैन हैं। आज कायदा यह है कि कहीं-कहीं दो फर्लांग या तीन फर्लांग के अन्दर कुयें बनाने की इजाजत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज सिंचाई सम्बन्धी जो योजनायें व कायदें हैं उनको दोबारा बदलने की आवश्यकता है। आज तो जो भी आदमी जहां कुआं लगाना चाहे उसको इजाजत होनी चाहिये।

मान्यवर, इस संभाषण में एक बात ऐसी है जिसकी चर्चा किये बगैर आदमी को सन्तोष नहीं हो सकता है। राज्यपाल महोदय ने नये टैक्स की भी चर्चा की है। यह साल बड़े कहत का साल है। मेरे खयाल में इन्सानी याद में कभी दो फसलों का कहत नहीं हुआ जब कि इस साल दो फसलों का कहत है। तो इस साल में नया टैक्स लगाओगे, तो किस पर लगाओगे, यह बात

[श्री फूलसिंह]

सोचने की है। जहां मैं यह बात कह रहा हूं वहां पर मैं नवलकिशोर जी की उस बात का भी जिक्र कर दूं जो उन्होंने कहा कि कर्जा देने से किसानों की हालत खराब हुई है मेरे खयाल से यह बात सही है।

श्री नवलकिशोर—

मैंने यह बात नहीं कही है। मैंने यह कहा कि इसकी जांच होनी चाहिये कि कर्जा देने से किसानों का स्तर ऊंचा हुआ है या उस पर कर्जे का बोझ बढ़ा है।

श्री फूलसिंह—

खैर, वही बात मैं भी कहने जा रहा था। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि किसानों का स्तर बढ़ा है, उसकी आमदनी बढ़ी है या नहीं, इन दो चीजों को देखना चाहिये। तो यह कहत का साल है और इस साल सब की हालत खराब है।

दूसरी बात यह है कि कुछ साल पहले सन् ६० में पूज्य जवाहर लाल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जो योजनाएं बनायी जा रही हैं उनका फल क्या है, आमदनी बढ़ी या घटी है, अगर बढ़ी है तो किसकी बढ़ी है, घटी है तो किसकी घटी है, यह जानना चाहिये। इसके बाद ही एक महालनोबिस कमेटी बैठी। उस कमेटी ने सन् ६४ में अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसकी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है। एक बात उन्होंने यह कही है कि जहां तक खाने का ताल्लुक है, जहां तक पहनने का ताल्लुक है, जहां तक मकानों में रहने का ताल्लुक है, साधारणतया लोगों का स्तर बढ़ा है लेकिन उन्होंने दूसरी बात भी कही जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सन् ५० या ५३ तक देहातों की आमदनी कुल आमदनी का २.३ प्रतिशत थी और ५३ से ५७ तक वह आमदनी २.४ प्रतिशत होगी और ५७ से लेकर ६३ तक वह आमदनी घटकर २.३ प्रतिशत पर आती है। उसके मुकाबिले में शहरों की आमदनी सन् ५० में ७ प्रतिशत थी और सन् ६३ में १७.३ प्रतिशत बढ़ गई। इस तरह से अब वह अनुपात १.७ का हो गया है। तो यह बात महत्व की है कि देहातों में टैक्स लगाने की गुंजायश नहीं है।

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नफा कान्ट्रेक्टर्स को हुआ है। उसके बाद सैल्फ एम्प्लाइज पीपुल, बिजनेसमैन इन्डस्ट्रियलिस्ट, जो लोग खुद अपना कारोबार करते हैं, ट्रान्सपोर्ट वाले तो इस तरह से उन्होंने रक्खा है। जो एक बात दिलचस्प है वह यह है कि किसानों में ऐसे लोग जिनकी एक हजार रुपया सालाना आमदनी है, वे ६१ प्रतिशत हैं और तीन हजार रुपये सालाना से कम आमदनी वाले ९४ प्रतिशत हैं। जो टैक्सेबुल इन्कम है। शहरों में वे तीन हजार से ऊपर हैं। इस दृष्टि से देहातों में कुल छः प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगा सकते हैं उसके मुकाबिले में उन्होंने कहा कि शहरों में ४२ प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी एक हजार से कम है, ८३ प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी आमदनी तीन हजार से कम है। यानी शहरों में १६ प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिनकी तीन हजार से ऊपर आमदनी है। यह बात सत्य है कि दौलत का डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को भूलकर भी कोई टैक्स ऐसे व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहिये जो उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लड़ाई के समय में टैक्स लगाना स्वाभाविक होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल का जो इशारा है वह बड़ा खतरनाक है।

मान्यवर, दो चीजों की चर्चा मैं और कर दूं। एक तो टेक्नीकल एजूकेशन की चर्चा इसमें है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट छपी है। उसमें यह निकला है कि टैक्नीकल एजूकेशन के स्कूलों यानी इंजीनियरों के स्कूलों की कमी है। हर साल बारह प्रतिशत बढ़ते चले जायगे तो हमारे यहां १२ कालेज हैं, उत्तर प्रदेश में। इस तरह से तो हर साल एक कालेज खोलना चाहिये तब आप इन्जीनियर्स की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। इस सबकी बड़ी आवयकता है। उसके लिये आपने जो दो-तीन करोड़ रुपये का प्राविजन किया है वह महज बेकार है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह जो बड़ी बात हुई इस साल कि

सरकार ने यह निश्चय किया कि जिन लोगों की भूमि सरकार एक्वायर करेगी, उनको मार्केट प्राइस पर पैसा दिया जायेगा, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया। इससे बहुत लोगो की दिक्कतें रफा हो जायगी, बहुत परेशानियां थीं और सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है। मुझे और भी कुछ बातें कहनी थीं, मगर मैंने बहुत समय ले लिया है। अब मैं बैठ जाता हूं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में यह फरमाया कि पिछली बारिश देर से होने से पिछली फसल जाया हो गई है और आगे भी उम्मीद नहीं है। आगे उन्होंने सरकारी इमदाद का जिक्र करते हुये यह फरमाया कि खेती के लिये ३५.९० करोड़ रुपया रखा गया है और छोटी सिंचाई की योजनाओं के लिये २०.८० करोड़ रुपया है और बड़ी तथा मध्यम योजनाओं के लिये १४.५० करोड़ रुपया हैं। उन्होंने फरमाया है कि खाद्यान्न की पैदावार बढ़ानी है। ऐसे भी कुछ कारण हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं है। मैं समझता हूं कि पैदावार में इजाफा नहीं हो पावेगा जब तक हमारी सरकार की नीयत साफ नहीं होगी। जब तक सरकार किसान की तरफ लालच की निगाह से देखेगी, पैदावार नहीं बढ़ सकती है। मान्यवर, मैं भी एक किसान हूं और मुझे याद है कि मेरे बचपन में जिन खेतों में बड़ी-बड़ी घास होती थी वहां चना वगैरह बो दिया जाता था और अच्छी खासी पैदावार हो जाती थी। लेकिन आज उन्हीं खेतों में खाद और पानी पहुंचने पर भी वह पैदावार नहीं होती है। एक पुराना प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार एक राजा अपने साथियों से शिकार में हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुये अलग हो गया। राजा का घोड़ा और राजा पसीने-पसीने हो चुका था। प्यास लगी थी पानी की तलाश में एक अनार के बगीचे में एक झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी था जिससे उसने पानी मांगा। बूढ़े ने एक अनार लाकर निचोड़ कर राजा को गिलास भर कर दिया जिसे राजा पी गया। उसने कहा कि और लाओ, मगर इस बार बूढ़ा ३ बार ३ अनार लाया तब जाकर गिलास भरा। राजा ने पूछा कि क्या अब की बार दूसरे पेड़ों से अनार लाये हों, तो बूढ़े ने जवाब दिया कि नहीं। तब राजा ने पूछा फिर कम रस क्यों निकला। पहला गिलास पीने के बाद राजा ने अपने मन में सोचा था कि अनार की खेती में रस बहुत निकलता है, इसलिये राजधानी में पहुंचकर इस पर टैक्स लगाऊंगा। यही जवाब बूढ़े ने राजा को कम रस निकलने की वजह बताते हुये दिया कि हमारे राजा के मन में बेईमानी आ गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यही हाल है। बूढ़े ने राजा से ठीक कहा था कि कम रस इसलिये निकला कि हमारे राजा की नीयत में बेईमानी समा गई है। राजा अपने मन में बहुत शर्मिन्दा हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि किसानों को अथक मेहनत करनी पड़ती है और अनाज व फल की खेती के लिये हर वक्त दैवी आपदा है। इसलिये उसने अपनी राजधानी में आकर सबसे पहला काम यह किया कि छोटे किसानों का लगान माफ कर दिया। काश कि हमारी सरकार भी अन्न की कमी का यही सबब समझ कर छोटे किसानों का लगान माफ कर देती, जैसा कि उस शासक ने किया। मैं गरीब किसानों की तरफ से दो शेर अर्ज कर देना चाहता हूं —

यह जिस्मों जान की खातिर सरो सामां नहीं रखते।

सरो सामां कहां से लाये, जिस्मों जां नहीं रखते।

तुम्हारे रहम पर मौकूफ है मोती हयात इनकी।

फकत एक खेती ही खेती है कुल कायनात इनकी।

श्रीमन्, अफसोस है कि गवर्नर साहब के ऐड्रेस में देहाती गरीब खेतिहर मजदूर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जब कि देहात में उनकी संख्या करोड़ों में है। देहात में लोगों को रोशनी के लिये बिजली तो मिलती ही नहीं है, मिट्टी का तेल भी वहां मिलना नामुमकिन हो रहा है, लोग फूस वगैरह जला कर वहां गुजारा कर रहे हैं।

[चौधरी अब्दुल हसीब खां]

मान्यवर, गवर्नर साहब ने भ्रष्टाचार का भी कोई जिक्र नहीं किया है इस सिलसिले में मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि शासन चलाने वालों के बीच में झगड़ा बखेड़ा और राजनैतिक भ्रष्टाचार और गुटबंदी से जनता बहुत परेशान हो रही है। अगर इस सियासी बदतमीजी को जल्दी से खत्म नहीं किया गया तो नतीजा बड़ा खतरनाक होगा। जो कि हरिजनों की बहबूदी का कुछ जिक्र किया गया है लेकिन उनको हकों से महरूम रखा गया है, सरकार बिला वजह ही उसका ढिंढोरा पीट रही है।

इसी तरह से घाटे को पूरा करने केलिये कुछ नये टैक्सों का भी इशारा किया गया है, मैं समझता हूं कि उसके बारे में कहने का यह मौका नहीं है। इस वक्त तो कन्ट्रोल की मुसीबत के बारे में कुछ शेर अर्ज करना चाहता हूं—

मश्के सुखन की फिक्र में झपकी जो आंख आज, देखा कि कन्ट्रोल का है देश भर में राज।
बाजार कर रहे है कुछ इस तरह सांय-सांय, चलने लगें प्लेग की जैसे हवायें।
सामान खुर्दनोश मयस्सर नहीं कहीं, जो चीज जिस दूकान पै पूछो नहीं नहीं।
आटा कहीं मिला न नमक है कहीं मिला, इंधन किया तलाश तो लकड़ी न कोयला।
एकदम से बंद शहर में चीनी का सेल भी है, देहात के लिये मिट्टी का तेल भी नहीं।

मान्यवर, जिस गरीब जनता का विरोधी पक्ष प्रतिनिधित्व करता है, उस गरीब जनता की तरफ से मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं शायर की जबान में– है भूख तबाह कि खाना नहीं मिला, कुछ रोज से अनाज का दाना नहीं मिला। मुमकिन अगर हो तुझसे तो रोटी खिला उसे, आटा जहां मिले वह ठिकाना बता उसे। इंधन की लकड़ियों का भी कर इन्तजाम तू, गर देस के शकर तो ले उससे दाम तू। मिल जाय तो कहीं से नमक भी दिला उसे, मिट्टी के तेल का भी बता सिलसिला उसे।

इसके बाद २५ फीसदी जो लगान किसान पर बढ़ाया गया है, चूंकि संकट का समय अब खत्म हो गया है, सरकार उस पर विचार करे और उसको गरीब किसान पर माफ कर दे।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के भाषण में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर उन के विषय में हम सरकार के पक्ष में सोचें तो सरकार की हम तारीफ कर सकते है और अगर विपक्ष में सोचें तो उसकी आलोचना भी कर सकते है। सरकारों का ढांचा ही ऐसा होता है कि अगर हम चाहें तो सरकार के अन्दर की अनेक बुराइयों को सामने रख सकते हैं और उन बुराइयों का असर हम दिल व दिमाग पर रख सकते हैं और उसी तरह की बुनियाद भी हो सकती है।

मेरे कुछ मित्रों ने इस तरफ के और उस तरफ के अपने खयालात का यहां इजहार किया। यह बात सही है कि यह भाषण जो राज्यपाल जी का अब की बार हमें देखने का मौका मिला वह दर-असल हर साल से कुछ कमजोर किस्म का साबित हुआ जब कि चाहिये था कि सूबे के संबंध में, सूबे की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में, जिन प्रश्नों पर आज संकट में हम विचार कर रहे हैं, जिन का हमारे ऊपर असर है वह सब इस में बहुत गोल से रख दिये गये हैं, इतने गोल हैं कि जिन का अर्थ केवल यही हो सकता है कि अगर हम उनकी तारीफ करें तो कर सकते हैं और अगर हम साथ मिल कर सोचें तो वह तारीफ करने के लायक नहीं है। (व्यवधान) हमारे मित्र लखीसिंह जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि मैं वही कह रहा हूं जो वह समझते हैं। इस वक्त जो सरकार की मौजूदा मशीनरी है उस के खिलाफ यह सही है कि किसानों में रोष है। जिन के ऊपर उस का सीधा असर पड़ रहा है, जो उसके भुक्तभोगी हैं उन पर इस का असर पड़ रहा है। सरकार के हमारे जो मंत्रिगण हैं और खास तौर से जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन को सोचना चाहिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि सरकार कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है, कोई वह चट्टान नहीं है कि जिस तरह से उसका ढांचा बन गया है उस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सरकार तो एक लचीली सी चीज होती है। आवश्यकतानुसार जब समाज चाहे, जनता की आवाज जिधर हो तो सोचते रहना चाहिये और उसकी समस्याओं को सुलझाते रहना चाहिये और वही सरकार हमेशा कामयाब रहती है। तो जनता की मौजूदा स्थिति को हमेशा अध्ययन करती रहती है। हम पूर्वी जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, बहुत दिनों तक हमारे जिले को न पच्छिम में समझा गया न पूर्व में, पूर्वी वाले जौनपुर से पूर्व मानते रहे और पच्छिम वाले लखनऊ से पच्छिम समझते रहे और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ को किसी तरफ भी नहीं समझा गया। हमारे जिले में कुछ दिनों से ऐसी बात पैदा हो रही है कि जो हमारे कुछ भाइयों को पसन्द न आयेगी, लेकिन मेरी आदत जिन्दगी भर की रही है कि जो कुछ मैं सही समझता हूं वही कहता हूं और वही कहना भी चाहिये। आज पूर्वी जिलों की खराब आर्थिक स्थिति है, उसका कारण केवल यह है कि प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है और हमारे प्रदेश के कर्णधार जो है, जो इस सरकार को चलाने वाले हैं, उनकी आंखें लखनऊ से आगे नहीं बढ़ती हैं,। हमारी ट्यूबवेल्स की जो स्कीमें हैं वे भी लखनऊ से आगे नहीं बढ़ती हैं, और वे भी यहां तक खत्म हो जाती हैं। सरकार के वे काम जिनसे हमारा सीधा सम्बन्ध है वे लखनऊ से आगे खत्म हो जाते हैं। मैं दर्ख्वास्त करूंगा कि इस पर वे विचार करें।

यह प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें ११ डिवीजन हैं। पूरब और पश्चिम का झगड़ा हमेशा इसमें बना रहता है। दो पार्टियों का भी झगड़ा इसमें बना रहता है। यदि इस प्रदेश के दो टुकड़े कर दिये जायं तो ५ डिवीजन पूरब के गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, झांसी और फैजाबाद पूर्वी प्रदेश में चले जायं। इस प्रकार से एक अलग से प्रदेश बन जाय और शेष ६ डिवीजन्स का एक अलग से प्रदेश हो। जैसा कि अनुभव से लोगों ने बताया है कि जो छोटी चीज होती है उसका प्रबन्ध भी अच्छा होता है, उसको आसानी से भी देखा जा सकता। तो हम इन दोनो प्रदेशों को आसानी से देख सकेंगे। इससे हमारे नेताओं की जो लडाई है वह भी खत्म हो जायगी। कम से कम १०–५ साल की जो लड़ाई है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगी। इस प्रकार से २ प्रदेश हो जायेंगे, २ चीफ मिनिस्टर भी हो जायेंगे और मंत्री भी दो प्रदेशों में हो जायेंगे।

श्री इम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, अध्यक्ष भी २ हो जायेंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

जहां तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है उनकी तादाद भी करीब करीब बराबर ही रहेगी। ६ डिवीजन लखनऊ के साथ और ५ डिवीजन बनारस या इलाहाबाद के साथ रहेंगे। दूसरी राजधानी चाहे इलाहाबाद में बन जाय या बनारस में बना दी जाय। (हंसी) अभी तो आप इसको मजाक की बात सोच रहे हैं, लेकिन अगर इसको ठंडे दिल से सोचिए तो आप इसकी महत्ता जानेंगे। यहां पर जो रोजाना पूरब और पश्चिम के झगड़े बने रहते हैं, वे समाप्त हो जायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। यह प्रदेश बड़ा होने के कारण हमारे चीफ मिनिस्टर का जो दौरा होता है वह ४–६–१० जिलों में होने के पश्चात् समाप्त हो जाता है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर का हमारे प्रदेश के सारे जिलों में दौरा भी नहीं हो पाता है। इससे हमारी शक्ति भी मजबूत होगी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो जायगा। आज हम जो परेशानी में पड़े हुए हैं वह हमारी परेशानी भी दूर हो जायगी। हमारे पश्चिमी जो जिले हैं वे बहुत आगे बढ़े हुये हैं। उनके साथ हम घसिट रहे हैं। हम को भी मौका मिलना चाहिये कि हम अपने भाग्य को बना सकें। अतः मेरा जो सुझाव है अगर यह मुनासिब हो तो मान लिया जाय। मैं गवर्नर साहब को भी यह सुझाव देने वाला हूं। उनके अभिभाषण को पढ़ने के बाद यह तजवीज मेरे दिमाग में आयी वरना मैं तो गवर्नर महोदय को यह सुझाव देता और उनको लिख कर भेजता।

[श्री बैजनाथसिंह बेदी]

जहां तक हमारा कृषि विभाग है वह भी इसी तरह से चल रहा है। उस विभाग को खास तौर से देखने और समझने की जरूरत है। आज वह विभाग भी हमारे एक किसान के ही हाथ में है। माननीय गेंदा सिंह बिलकुल किसान हैं, किसानों के बीच से आये हैं और अब भी किसानों के तरीके से रहते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी जब तक मिनिस्टर नहीं थे तब तक ऐसा लगता था कि अगर यह मिनिस्टर बन जायंगे तो कुछ खास परिवर्तन लायेंगे और खास तौर से खेती के मामले में। लेकिन कुछ ऐसी रंगीन कोठरी है कि उसके अन्दर जाते-जाते जाने क्या हो जाता है कि सारी शक्ति जो है उसका ह्रास हो जाता है, बुद्धि केन्द्रित हो जाती है और जो सोचने की शक्ति है वह बिलकुल उसी तरीके से हो जाती है कि जो पहले के लोग सोचते थे कुछ लोग जो मिनिस्ट्री से निकल कर आये हैं उनके अन्दर दैवी शक्ति पैदा हो गई है जैसे माननीय गोविन्द सहाय, मा० नवल किशोर, मा० फूल सिंह हैं। तो उनके विचार वैसे ही हो गये जैसे हमारे हैं। लेकिन जो उसके अन्दर जाता है तो वह कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। उस का कारण यह है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का पुराना तरीका बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का, वह इतना मजबूत है और वह लोग इतने टैक्टफुल हैं कि हम ऐसे साधारण कार्यकर्ता को किसी मिनिस्ट्री में बैठा दिया जाता है तो नोटिंग के चक्कर में, जी० ओज० के चक्कर में ले कर के हम को केन्द्रित कर देते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। माननीय गेंदा सिंह के अन्दर उत्साह है, अपने विभाग में महान परिवर्तन लाना चाहते हैं मगर आज वह मजबूर हैं। हाथ, पैर चाहे कितना पटकें, कृषक समाज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे ऐग्रीकल्चर विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वे किताबी नालेज रखते हैं। किताब पढ़ कर आते हैं, बाहर के मुल्कों की किताब पढ़ कर वह ऐग्रीकल्चर चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसानों के खेतों में जाने का उन्हें मौका मिले, उन के साथ रहने का मौका मिले, किसानों की जो तकलीफें हैं उनको वे खुद जाकर देखें कि किसनों को बीज की, पानी की, खाद की जो उनकी आवश्यकता है, जब उन सब आवश्यकताओं को मौके पर जाकर देखें तो उनको व्यक्तिगत अनुभव उस का हो सकता है। किताब की बातें नोट्स, जी० ओज० और बजट में आ जाती हैं और उन पर डिस्कशन होकर बात खत्म हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस में उन को लाने का कभी मौका नहीं मिलता। इसलिये किसान को कोई लाभ नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप चाहे और किसी चीज के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन खेती के साथ, किसानों के साथ खिलवाड़ किसी तरह से नहीं होना चाहिये। अब वह वक्त नहीं है कि हम किसानों के साथ खिलवाड़ करें।

मैं आप के द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि और विभाग जो हैं वे ठीक हैं, लेकिन कृषि का असर हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, मनुष्य मात्र के ऊपर सीधे-सीधे पड़ता है। अगर गल्ला हमारे खेतों में नहीं पैदा होता तो हम खाने से भी मजबूर हैं और चारों तरफ से शोर होगा, आन्दोलन होगा सरकार भी परेशान होगी और हम भी परेशान होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अधिक अन्न उपजे तो तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। किसान सिर्फ पानी चाहता है, वह आप से खाद नहीं चाहता, बीज नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता। उसे समय पर पानी दिया जाय, बस यही चाहता है। अगर आप इसका प्रबन्ध कर सकें तो उस की सारी तकलीफ दूर हो सकती है। वह एक ही साल में ५० फीसदी पैदावार बढ़ा करके दिखा सकता है। स्कीमें बड़ी लम्बी सोचते हैं, लेकिन जब पानी समय पर न मिल कर १५ दिन के बाद पहुंचता है, जब सिंचाई का समय खत्म हो जाता है, तो इससे आप अधिक अन्न पैदा नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री ब्रह्मदत्त माथुर का नाम पुकारने पर)

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा एतराज यह है कि मेरा नाम दिया गया था, वैसे आप को अधिकार है कि आप किसी माननीय सदस्य को बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नहीं है। आप बैठ जाइये। मैंने श्री ब्रह्मदत्त मायर को बुला लिया है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा नाम आप को दिया गया है। आप गलत बयानी कर रहे हैं, पहले देख तो लीजिये, यह मेरे साथ बेइंसाफी की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठिये।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध म सरकारी पक्ष की ओर से धन्यवाद का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें मैं चाहता था कि कुछ ऐसे संशोधन जो इस पक्ष की ओर से पेश किये गये जोड़ दिये जाते। इस चर्चा के दौरान आपने देखा कि प्रान्त की जनता ही नहीं इस सदन के सदस्य इधर वाले और उधर वाले भी संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मजबूर हो कर पार्टी के अन्दर बंधे होने के कारण प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे दें और यह प्रस्ताव पास हो जाय, लेकिन सही बात यह है कि जो वातावरण यहां नजर आ रहा है उसको नजर में रख कर यह बिलकुल सत्य से परे है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण इस सरकार ने यहां इस सदन में कराया है और उसके अन्दर जो सरकार की नीतियों का आइना पेश किया गया उससे कोई बात ऐसी नजर नहीं आयी जिससे सदन के ज्यादातर लोगों को खुशी मिल सकती और जनता को अच्छी जिन्दगी मयस्सर हो सकती अथवा जनता को अच्छा खाना प्राप्त हो सकता।

सब से ज्यादा खेद की बात यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर उन बातों का कतई उल्लेख नहीं है जिनके कारण पिछले साल भर के अन्दर इस सरकार ने कई सदस्यों को जो मंत्रि-मंडल के सदस्य थे अपने पद से हटाया और न उन कारणों पर प्रकाश डाला जिनसे उनको मंत्रि-मंडल से अलग होना पड़ा या यों कहिये उनको निकाला गया। आपने देखा कि पहली मर्तबा श्री अलगू राय शास्त्री को निकाला गया। इसके बाद स्वायत्त शासन मंत्री जी त्याग-पत्र देने को मजबूर हुये और उनके बयान से कितनी छीछालेदर हुई और उनके मुख्य मंत्री के सिलसिले में जो छींटाकशी और इश्तहारबाजी हुई। उसका क्या नतीजा निकला, इस बारे में कोई बात सदन के सामने नहीं रखी गई है। उस मुकदमे का क्या हुआ और कौन उस के लिये जिम्मेदार थे? इसके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया। जनता जानना चाहती है कि आज यह सरकार जितनी गंदगी में पड़ी हुई है वह जनता का मनोबल कैसे ऊपर उठायेगी। जिस सरकार में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और रस्साकशी होती है और जैसा वातावरण यहां पर बन गया है उसका कहीं न कहीं तो उल्लेख होना चाहिये था कि इन कारणों से यह चीज हुई।

श्रीमन्, आपने देखा कि बाकी चीजें ऐसी हैं। २५ परसेंट लगान के बारे में साथियों ने कहा कि वह कम होना चाहिये। ऐसी हालत में जबकि हम दाने दाने के लिये मुहताज हो रहे हैं और सरकार को जो सुविधायें जनता को तथा किसानों को देनी चाहिये थी उन की तरफ भी कोई इशारा नहीं किया गया है। केवल ऊपरी बातों में उलझकर हमको खिलाया गया है कि तरबूज उगाया जायेगा, खरबूजा उगाया जायेगा।

आजकल जनता में बड़ा असंतोष है और ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है कि जनता को टैक्स के बोझ को संभालने के लिये तैयार रहना चाहिये। आप जानते हैं कि प्रदेश की जनता की क्या हालत है? उनके ऊपर इमजन्सी के नाम पर पहले से ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

टैक्सेज का बहुत ज्यादा बोझ लदा हुआ है। अब इमर्जेन्सी समाप्त हो गई है इसलिये वह टैक्सेज और कम होने चाहिये थे। इसके बजाय उल्टे गवर्नर महोनय ने जनता को और टैक्सेज के लिये तैयार रहने को कहा है। अगर सरकार ने स्थिति न संभाली और टैक्सेज लगाये गये तो आन्दोलन खड़ा नहीं किया जायेगा बल्कि वह स्वयं खड़ा होगा और जनता सरकार के तख्ते को पलट देगी। इससे देश का हित नहीं बल्कि अहित होगा। लेकिन जो होनी होती है वह हो कर रहती है। अगर सरकार ने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो नतीजा बुरा हो सकता है। (लाल बत्ती जलने पर) अभी तो समय बहुत कम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट का समय है। आठ मिनट आप को हो चुके हैं। दो मिनट आप कल बोल लीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष जी, क्या ये घड़ियां हमेशा इसी तरह से ८/१० मिनट आगे पीछे रहेंगी या कल ठीक हो जायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, ठीक करा दी जायेंगी।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ट २३७ पर)

गावों के नाम

१—नारायनपुर
२—नगवा
३—नकइल
४—डाला
५—पंचलड़ी
६—बेलवा दुबावली
७—दहरौली बुजुर्ग
८—डलिया
९—मजराजपुर इकौना
१०—सराव बुजुर्ग
११—पलिया
१२—पिपरनोली बलिया
१३—तिगरा खिरवा
१४—मंगा कोदर
१५—सिलहटा
१६—मेलवार

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

सूची

वर्ष	समय-सारिणी	प्रेस जिसमें समय सारिणी छपी	छापने का व्यय	योग
			रु०	रु०
१९५९	ग्रीष्म कालीन ..	नेशनल प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर, गोरखपुर ..	१,५०५.५४	योग ३,३५०.४५
	शरद कालीन	गुप्ता प्रेस, देवरिया, ..	१,८४४.९१	
१९६०	ग्रीष्म कालीन ..	नेशनल प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर गोरखपुर	२,३४३.४९	योग ४,४९८.६३
	शरद कालीन ..	गुप्ता प्रेस, देवरिया ..	२,१५५.१४	
१९६१	शरद कालीन ..	गुप्ता प्रेस, देवरिया ..	१,६६९.८२	
१९६२	ग्रीष्म कालीन	गुप्ता प्रेस, देवरिया ..	२,२७१.६२	योग ३,७९९.८६
	शरद कालीन ..	यूनिवर्सल प्रेस, इलाहाबाद	१,५२८.२४	
१९६३	ग्रीष्म कालीन ..	गुप्ता प्रेस देवरिया ..	१,४७८.३४	योग ३,२०५.८४
	शरद कालीन	,, ,, ..	१,७२७.५०	
१९६४	ग्रीष्म कालीन ..	,, ,, ..	१,६९३.९०	योग ३,४५६.१९
	शरद कालीन ..	,, ,, ..	१,७६२.९९	
१९६५	ग्रीष्म कालीन	,, ,, ..	१,७१८.२६	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

गोवरधन नाले पर बनाये गये पुलों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	ठेकेदार का नाम व पता जिसने पुल का निर्माण किया
१	२	३
१	पीनगुरी ..	मेसर्स सतीश चन्द्र पन्ना लाल गऊ घाट, मथुरा ।
२	घड़ी पचौरी ..	श्री विन्दू ठेकेदार, गांव कटेला, पो० ओ० राया, मथुरा
३	परखम ..	श्री जगदीश सिंह, ६२/२ प्रतापपुर, आगरा
४	बैरी ..	श्री आर० एल० भाटिया ठेकेदार १६ सी कृष्णा नगर मथुरा
५	बैरी ..	उपरोक्त
६	सातक ..	श्री कपूर सिंह, अम्बाला
७	सातक ..	श्री आर० एल० भाटिया, १६ सी कृष्णा नगर, मथुरा
८	रसूलपुर मगुरा ..	उपरोक्त
६	मिर्जापुर ..	मेसर्स केदारनाथ, कैलाश चन्द्र राइपुरा, जाट मथुरा
१०	रसालेपुर ..	श्री गोविन्द प्रसाद, ठेकेदार, चांदी का पटिया, मथुरा
११	परखम फरह ..	श्री गोपाल प्रसाद ठेकेदार, बलदेव, मथुरा
१२	पीनगुरी फरह फबी	मेसर्स प्रायसम इंजीनियर वर्क्स, जरार हाउस, आगरा
१३	खानता बेरी ..	उपरोक्त
१४	डूंगरा पट्टी ..	श्री राम सेवक मिनाल, जलेसर रोड, फिरोजाबाद
१५	पैठा ..	श्री हितैषी, ठेकेदार कृष्णानगर, मथुरा
१६	गांठौली ..	श्री प्यारे लाल, गांव डा० अडींग, जिला मथुरा
१७	बरसाना ..	श्री सुखबीर सिंह, राम नारायण, सी १०/१४ कृष्णा नगर, देहली ३१
१८	बरसाना ..	श्री सुखवीर सिंह, शिवचरन दास सी १०/१४ कृष्णा नगर देहली, ३१
१६	डूंगरा पट्टी ..	श्री करन सिंह, छौंकर डैम्पियर नगर, मथुरा
२०	नैनू पट्टी ..	श्री कुन्दन सिंह, महावीर सिंह, डैम्पियर नगर, मथुरा
२१	नैनू पट्टी ..	श्री मूल चन्द्र गुप्ता, गांव डाक रायपुरा जाट, जिला मथुरा
२२	पैंठा ..	श्री दुर्ग प्रसाद गांव, डा० अडींग, जिला मथुरा
२३	पैंठा ..	श्री राखा राम एन्ड कम्पनी, मोहल्ला मोती रैन, डा० खामा, जिला लुधियाना
२४	टौंड ..	श्री बृज किशोर, ठेकेदार सेठ बाड़ा, मथुरा
२५	देव सरास ..	श्री बृज किशोर ठेकेदार, सेठ बाड़ा, मथुरा
२६	दौलतपुर ..	श्री कपूर चन्द दान घाटी, गोवरधन

क्रमांक	ग्राम का नाम	ठेकेदार का नाम व पता जिसने पुल का निर्माण किया
१	२	३
२७	मुंड सरास	.. श्री सतीश चन्द्र २९२ गऊ घाट मथुरा
२८	मुंड सरास	.. श्री सतीश चन्द्र, २९२, गऊ घाट, मथुरा
२९	जानू	.. श्री गनपत सिंह, बहादुरपुरा, मथुरा
३०	हथियां	.. श्री महाबीर सिंह गांव महावतपुर, डा० बबली, जिला मेरठ
३१	हथिया	.. श्री दुर्गा प्रसाद, गांव डाक अडींग, जिला मथुरा
३२	हथिया	.. श्री प्रताप सिंह बहादुरपुर, मथुरा
३३	रूपनगर	.. श्री प्रताप सिंह, बहादुरपुर, मथुरा
३४	बरसाना	.. श्री मदन लाल राधा बल्लभ, गोस्वामी, बरसाना, मथुरा
३५	बरसाना	.. श्री मदन लाल, रमेश चन्द्र, डा० अडींग, जिला मथुरा
३६	ऊंचा गांव	.. श्री पन्ना लाल बहादुरपुरा, मथुरा

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४५ पर)

विकास क्षेत्र विल्हौर के अन्तर्गत अब तक न चालू होने वाले नलकूपों की सूची

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या	नाम ग्राम जहां नलकूप का निर्माण हुआ	नलकूप चालू न होने का कारण
१	१३	आकिन	
२	१४	अरोल	
३	१५	धरौरा	
४	१६	बकौठी	इनमें पंपिंग सेट लगाना अथवा विद्युतीकरण शेष है ।
५	१७	गजना	
६	१८	हिसालपुर	
७	१९	नानामऊ	
८	२०	बरेडा	
९	२१	बल्लापुर	
१०	२२	गिलवट अमीनाबाद	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

सूची 'अ'

क्रमांक	माग का नाम	बस संख्या
१	महोदा, लखनऊ	३
२	महोबा कानपुर	६
३	महोबा, मौदहा, -हमीरपुर	३
४	महोबा-बांदा	२
५	महोबा, चरखारी	१
६	महोबा, चरखारी मुस्करा गहरौली	१
७	महोबा चरखारी मुस्करा, हमीरपुर	१
८	महोबा, राठ	५
९	महोबा, मौहदा, विवार,	२
१०	महोबा-खजुराही	२
११	बांदा महोबा, सागर	२
१२	राठ कानपुर	४
१३	राठ हमीरपुर	२
१४	राठ, हरपालपुर	२
१५	राठ इमलिया मौदहा	२
१६	बांदा, चिल्ला	३
१७	बांदा करवल	२
१८	बांदा कालीन्जर	३
१९	बांदा अतरी	५
२०	बांदा पैलानी	२
२१	बांदा खपटिया	१
२२	बांदा अजयगढ़	२
२३	बांदा, लखनऊ	१
२४	बांदा, फतेहपुर	४
२५	बांदा कानपुर	३
२६	कानपुर उरई कालपी	५
२७	कानपुर, करतल	१
	योग ..	७३

सत्यमेव जयते

सूची "स"

क्रमांक	मार्ग का नाम	बस संख्या
१	दतिया समथर वाया झांसी	२३
२	झांसी टीकमगढ़ वाया ललितपुर	२२
३	झांसी शाहपुर	६
४	झांसी उरई वाया मोथ	११
५	झांसी गरौठा वाया अरेठाघाट गुरसराय	७
६	ऐरिच रानीपुर	५
७	मऊ गरोठा, वाया गुरसराय	६
८	ललितपुर दतिया वाया झांसी	८
९	बरुआ सागर गरौठा वाया गुरसराय	३
१०	झांसी कोच	१५
११	झांसी जालौन	७
१२	झांसी, बसई माताटीला	१
१३	झांसी ऐरिच	४
१४	झांसी ललितपर महरौनी सोजना	३
१५	झांसी मडेर	३
१६	झांसी मदनपुर	१
१७	दतिया नौगांव	१
१८	ललितपुर, मडौरा वाया महरौनी	४
१९	ललितपुर जैमिनीडान	४
२०	झांसी कालपी	११
२१	झांसी मौरानीपुर	८
२२	झांसी लहर टोडी	५
२३	झांसी फतेहपुर	६
२४	बरुआ सागर ऐरिच	५
२५	ललितपुर मदनपुर	१
२६	झांसी गरौठा वाया रामनगरघाट	३
२७	ललितपुर वानपुर वाया महरौनी	२
२८	झांसी माताटीला वाया बरौरा	२
२९	ललितपुर धौरा	४
३०	झांसी माताटीला वाया सुखवां दुखवा	३
३१	ललितपुर जसौरा वाया बांसी	६
३२	ललितपुर देवगढ	१

क्रमांक	मार्ग का नाम	बस संख्या
३३	ललितपुर बार	३
३४	झांसी पिछौर	१
३५	टीकमगढ़ मडोरा	१
३६	चन्देरी टीकमगढ़	४
३७	दतिया छतरपुर वाया नौगांव	५
३८	सागर टीकमगढ़	४
३९	झांसी खनियादामा	२
४०	ललितपुर सागर	२
४१	दतिया झांसी	१
४२	सिटी बस सर्विस	४
	योग ..	२१८

हमीरपुर

१	महोबा छतरपुर	६
२	हमीरपुर कालपी	१४
३	महोबा नौगांव	४
४	महोबा खजुराहो	२
५	राठ उरई	१८
६	चरखारी ,नौगांव वाया कुलपहाड़	३
७	राठ चन्दौत	३
८	चरखारी राठ	२
९	हमीरपुर बेरीकदौरा	१
	योग	५३

जालौन उरई

१	उरई रामपुरा वाया बंगरा माधौगढ़	१
२	उरई रन्देर वाया जालौन	२
३	उरई जम्मनपुर वाया कुकरनगांव	३
४	उरई माधोगढ़ वाया जालौन	२
५	उरई शेरगढ़ वाया जालौन	९
६	उरई रामपुरा वाया जालौन ऊमरी	४
७	उरई समथर	२

क्रमांक	मार्ग का नाम	बस संख्या
८	उरई गौपालपुर वाया जालौन बंगरा	२५
९	उरई लहर	३
१०	उरई कौंच	१०
११	उरई औरैया वाया जालौन	११
१२	नदीगांव शेरगढ़	४
१३	उरई केलियां वाया कौंच	३
१४	उरई–नदी गांव	७
१५	उरई–कदौरा वाया जोतपुर	४
१६	कालपी–कोटरा वाया ऐव	४
१७	उरई–जाम्मनपुर वाया जालौन बंगरा	४
१८	उरई–मिंड	१
१९	कालपी–पाछासन (वेतवा घाट)	४
२०	कालपी–मयारीपुर	१
२१	कचैं–औरैया	२
२२	जाम्मनपुर–औरैया	४
		१०९

बांदा

१	सीतापुर–कर्वी–मानिकपुर	३
२	बांदा–बबेरू कमासिन	९
३	सीतापुर–राजापुर वाया पहारी	९
४	बांदा–बबेरू–औनास	१०
५	बांदा–बबेरी–थहरी	१०
६	राजापुर चित्रकूट वाया बाल्मीकी आश्रम	३
७	बांदा–टिडवारी वाया महोखर	४
८	बांदा–टिडवारी बबैरा	४
९	इलाहाबाद–बांदा	१८
१०	इलाहाबाद–सीतापुर	१९
		८०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

जिला गोरखपुर

		रु०
(अ)	काश्तकारों को दिया गया ..	२,८३,८६८.०३
(ब)	खजाने में जमा किया गया ..	१५,९७५.८५
(स)	दीवानी अदालत में जमा किया गया रुपया जिसके लिये किसानों ने उज्रदारी कर दी— ..	६५४.७२
(द)	काश्तकारों को भुगतान करना है क्योंकि लेने वाले नहीं आए—	१४,३९५.३०
	योग	३,१४,८९३.९०

जिला देवरिया

(अ)	काश्तकारों को दिया गया ..	१०,८६,८९८.७८
(ब)	खजाने में जमा किया गया	८६,६९८.२९
(स)	दीवानी अदालत में जमा किया गया रुपया जिसके लिये किसानों ने उज्रदारी कर दी — ..	१०,२८४.६४
(द)	काश्तकारों को भुगतान करना है क्योंकि लेने वाले नहीं आए —	१९,०६०.८६
	योग ..	१२,०२,९४२.५७

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पिछे पृष्ठ २५१ पर)

तालिका

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	ग्रुप का नाम	सिंचनार्थ नलकूपों की संख्या	फैले हुए नलकूपों की संख्या	उन नलकूपों की संख्या जिनका विद्युतीकरण नहीं हो सका है	वर्तमान नलकूपों की कुल संख्या	चालू वर्ष में जो नलकूप बोर होंगे, उनकी संख्या
१	गाजीपुर ..	गाजीपुर ..	२४	१	१	२६	..
२	मरदह ..	गाजीपुर ..	१०	१	१	१२	२
३	बिरनो ..	गाजीपुर ..	१२	..	१	१३	..
४	करन्डा ..	गाजीपुर ..	१०	..	..	१०	..
५	देवकली ..	सैदपुर ..	२५	..	४	२९	१
६	कासिमाबाद ..	यूसुफपुर ..	१२	१	..	१३	३
७	मुहम्मदाबाद ..	यूसुफपुर ..	२९	..	१	३०	१
८	मावरकोल ..	यूसुफपुर ..	९	..	१	१०	..
९	बाराचवर ..	यूसुफपुर ..	१७	२	१	२०	२
१०	रेवतीपुर ..	जमानियां ..	१	..	..	१	..
११	जमानियां ..	जमानियां ..	१	..	..	१	..
१२	भदौरा ..	जमानियां ..	..	..	..	..	..
१३	सैदपुर ..	सैदपुर ..	१९	१	३	२३	..
१४	सादात ..	सैदपुर ..	४	..	..	४	५
१५	जखनियां ..	सैदपुर ..	१५	..	३	१८	..
१६	मनीहारी ..	सैदपुर ..	२१	..	२	२३	३
	योग ..		२०९	६	१८	२३३	१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५४ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये श्री केशव गुप्त के धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन के प्रस्ताव

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
१	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (उपस्थित किया गया)	"महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— (१) सरकार की नीतियों और कार्य-क्रम में किसी ऐसे परिवर्तन का जिससे कि यह आशा बंध सके कि इस राज्य के आर्थिक तथा प्रशासकीय दुर्व्यवस्था में कोई सुधार होगा, (२) युद्ध बन्द हो जाने के बाद भी "युद्ध प्रयासों" के नाम पर लगाए गए करों, जैसे भूमि-भवन कर तथा लगान पर आपातिक अधिभार आदि को वापस लेने, (३) राजकीय प्रशासन में हिन्दी अभी तक पूर्णतया लागू न हो पाने के लिये खेद प्रकाश तथा तुरन्त लागू करने, (४) वेतन अभिनवीकरण कमेटी की रिपोर्ट तुरन्त लागू करने, (५) प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों पर चिन्ता व्यक्त करके उनको रोकने के लिये कोई प्रभावी पग उठाने, (६) अलाभकर जोतों को लगान मुक्त करने, (७) राज्य में व्याप्त मिट्टी के तेल के अभाव को दूर करने की योजना की रूप-रेखा, (८) निरन्तर बढ़ती हुई अभूतपूर्व मंहगाई एवं खाद्य संकट से उत्पन्न भुखमरी-जन्य समस्याओं के निराकरण के लिए कोई प्रभावी पग उठाने, (९) दूकान तथा वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्राविडेन्ट फंड एवं बीमा योजना लागू करने, (१०) पूर्ण रोजगार स्थापित करने की योजना की रूप-रेखा, (११) प्रशासन-व्यय में व्याप्त अपव्यय को रोकने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(१२) भूमिहीन किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों की निरीह दशा के निराकरण की समुचित एवं प्रभावी योजना बनाने,
		(१३) राजकीय प्रशासन में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा मन्त्रि-स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थायी आयोग बिठाने,
		(१४) न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण पृथकीकरण करने,
		(१५) लड़कियों की भांति लड़कों के लिये भी हाई स्कूल-स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,
		(१६) प्रदेश के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के प्रबन्ध के अभाव को समाप्त करने,
		की घोषणा नहीं की ।"
१ श्री भानुप्रताप सिंह, २ श्री विजयसिंह तथा श्री प्रेम सिंह । (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया है : "परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में न इस बात की घोषणा की कि मालगु-जारी पर २५ प्रतिशत अधिभार वापिस ले लिया जायगा और न इस बात का आश्वासन दिया कि 'गरीबों पर टैक्स लगा कर गरीबों का हित करने की' नीति का परित्याग कर दिया जायगा ।"
३ श्री उग्रसेन श्री अवधेश कुमार सिनहा श्री गिरजा प्रसाद श्री गया प्रसाद, श्री काशीनाथ मिश्र श्री शिवनाथ सिंह तथा श्री सालिगराम जायसवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों का समावेश अपने सम्बोधन अभिभाषण में नहीं किया : (१) प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उचित दाम पर न मिलना, (२) तालाबन्दी, बोनस, छटनी तथा बड़े पैमाने पर श्रमिकों में फैलने वाली बेकारी (३) प्रान्तीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के ग्रेड स्केल को केन्द्रीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के अनुरूप करने तथा चिकित्सा विभाग के अन्दर विशेषज्ञ केडर बनाने की बात, (४) लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद के छात्रों पर पुलिस अत्याचार तथा गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के श्रमिकों पर बर्बर गोलीकाण्ड

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		तथा वाराणसी के दशाश्वमेघ पुलिस द्वारा काशी विश्वविद्यालय के छात्रों का बुरी तरह पीटा जाना, (५) सरकारी पार्टी के अन्दर भयानक दलबन्दी के कारण प्रदेशीय शासन में घोर शिथिलता, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला, (६) वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट को निम्न सरकारी कर्मचारियों पर अभी तक लागू न किया जाना, (७) प्रदेश की महानगरपालिकाओं के प्रशासन को अध्यादेश के माध्यम से प्रशासकों के हाथ म देना तथा बार-बार चुनाव टाल कर जनतन्त्र की हत्या करना, (८) उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित न हो, इसके लिए अध्यादेशों का जारी करना, (९) १० हजार सरकारी कर्मचारियों का अतिरिक्त घोषित किया जाना तथा सरकारी आश्वासन के बावजूद प्रांत के चुनाव कार्यालयों के टाइपिस्ट तथा डुप्लीकेटर्स का अलग होने के बाद काम पर वापस न लिया जाना, (१०) संकटकालीन स्थिति के नाम पर किसानों पर मालगुजारी तथा नहर रेट का बढ़ाया जाना तथा भूमि-भवन कर में वृद्धि ।"
४ श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री दयाराम शाक्य । (उपस्थित किया गया माना गया)		महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने : (१) धारा सभाओं की विधायनी शक्ति को समाप्त करने वाले जो जनतन्त्र विरोधी अध्यादेश जारी किए हैं, उनके जारी करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है, (२) वेतन अभिनवीकरण की सिफारिशों को लागू करने हेतु विभागीय आदेशों को जारी न किये जाने का कारण नहीं बताया है, (३) सूखा व अकाल क्षेत्र में पीड़ित जनता को भोजन देने व उन्हें अन्य छूट दिए जाने का आवश्यक उल्लेख नहीं किया है । (४) फतेहपुर जिला के समान पिछड़े हुए क्षेत्रों के सुधार-हेतु किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं किया है,

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(५) सुरक्षा कोष में वसूली में धांधली, जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण में भ्रष्टाचार तथा कतिपय कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निर्मूल न कर सकने की असमर्थता का उल्लेख नहीं किया है, (६) श्रमिक, पिछड़ा वर्ग व खेतिहर मजदूरों के सुधार की कोई योजना नहीं दी है।"
५ श्री गिरवरप्रसाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किंतु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने : (१) सरकारी कर्मचारियों में व्यापक रिश्वतखोरी, जिससे जनता की कमर टूट गई है, उसके दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की है, (२) बैकवर्ड क्लास (पिछड़ी जाति) के लोगों को सरकारी नौकरियों के दिलाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की है, जिसका भारत के विधान में जिक्र है। इसके विपरीत पिछले वर्ष में पिछड़ी जाति की परिभाषा को भी बदल दिया गया है, (३) खेती करने योग्य खेतों में इमारतें बनाए जाने के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया है जैसा कि आजादी से पहले कोई काश्तकार भी अपने खेत में पक्का या कच्चा मकान नहीं बना सकता था, (४) खाद्य पदार्थों का विदेशों के लिए निर्यात रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।"
६ श्री चन्द्रबली सिंह, श्री बांके लाल, श्री कृष्णा राय, डा० रघुनाथ सिंह, श्री लखी सिंह तथा श्री शिवचरन लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्न बातों का जिक्र नहीं किया है : (१) कच्ची फसलों की चोरी से चराई-कटाई को रोकने के लिए वर्तमान अन्न संकट की बेला के चलते भी, कोई कदम उठाने का जिक्र नहीं किया है, (२) प्रदेश की खरीफ की लगभग १ करोड़ एकड़ तक बाढ़ कटाव से तथा ५० लाख एकड़ पानी लगाव तथा गर्की से प्रायः हर साल बर्बाद होती आ रही है साथ ही उसके असर से रबी भी कमजोर आती है, किन्तु बाढ़-कटाव रोकने और पानी लगाव तथा गर्की समाप्ति के लिए वर्तमान अन्न संकट की बेला में जिक्र नहीं है,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक	संशोधन

(३) राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए नीचे लिखे कदम उठाने का जिक्र नहीं है:

(क) राप्ती जल कुंडी बनाई जाय,

(ख) बहराइच जिला में नानपारा के सामने काकरदरी के पास राप्ती का पानी घाघरा में मिलाया जाय,

(ग) गोरखपुर के मलौनी बांध को राप्ती के बायें किनारे-किनारे देवरिया जिला के गाय घाट और मदनपुर तक ले जाया जाय,

(४) देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के पिछड़े इलाकों को संचार साधनों से जोड़ने-हेतु देवरिया से फैजाबाद तक वाया रुद्रपुर-नरायनपुर, नगवा (देवरिया), हाटा, गोला, सिकरीगंज (गोरखपुर), घनघटा बसवारी, छावनी (बस्ती) नरायनपुर के पास गारी में नगवा के पास राप्ती में, सिकरीगंज के पास कुआनों में पुलों के साथ सड़क बनाने का जिक्र नहीं है,

(५) गन्ने का दाम ३ रुपया मन और चीनी का दाम ४८ रुपए मन करने का जिक्र नहीं है,

(६) १० बीघा से मालगुजारी हटाने तथा लोक कल्याणकारी भाव नीति चालू करने का जिक्र नहीं है,

(७) देवरिया जिला के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में सिंचाई के साधन देने का जिक्र नहीं है,

(८) देवरिया जिला के गौरी बाजार के देवरिया की चौड़ाई में दक्षिण वाघरा तक पीला बालू वाले इलाके में, जहां कुएं से काठ के कोल्हू से निकलने वाले तेल की तरह पानी निकालता है, नलकूपों का जाल बिछाने का जिक्र नहीं है,

(९) रुद्रपुर भलुआनी, देवरिया-बेलडांड, देवरिया-मदनपुर-निबही, रामछन-मालीचौर-देवरिया सड़क के निर्माण कराने का जिक्र नहीं है,

(१०) समस्त बूढ़ों को पेंशन देने का जिक्र नहीं है,

(११) १०० से कम वेतन पाने वाले साढ़े छः एकड़ से कम खेत वाले खेत मजदूर, रिक्शा-चालकों, खुन्चा वालों की प्रसूता बीबियों के लिए कम से कम

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		१ माह हेतु पौष्टिक भोजन, दूध और दवा की व्यवस्था का जिक्र नहीं है, (१२) गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जिलों में स्नातकोत्तर डिग्री कालेजों के खोलने का जिक्र नहीं है, (१३) बेरोजगारों को बैठकी-भत्ता देने का जिक्र नहीं है,
७ श्री राम किशोर त्रिपाठी (उपस्थित किया हुआ माना गया)		धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है : 'सरकार करोड़ों रुपया विकास सम्बन्धी विविध कार्यों पर व्यय करती है किन्तु अवर्षण से हुई प्रदेश के किसानों के जीवन-निर्वाह के लिए साधन जुटाने तथा किसान मजदूरों को रोजी में लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। २३ जिलों को जन-शक्ति योजना में शामिल किया गया है किन्तु इन जिलों में जन-शक्ति के उपयोग की कोई ठोस योजना नहीं है। जिन क्षेत्रों को शामिल भी किया गया है उनमें धन का जो एलाटमेंट किया गया है उसका कोई सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील है इस तहसील के हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खण्डों को जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जायगा और हैदरगढ़ विकास खण्ड में पड़ने वाली हैदरगढ़ से सुबेहा, चौबीसी से सुबेहा, गेरावां से इन्हौना, बीजापुर से टीकारामन शिवराजपुर, रेहुरा से शरीफाबाद, नटवीरन से सुकुल बाजार, सुबेहा से सेल्हौर घाट तथा त्रिवेदीगंज ब्लाक में भेलवल से हसवापुर गूढ़ा श्रमदान मार्ग, लोमीकटरा से कान्हीपुर मार्ग, रौनी से बहापुर (शिव मार्ग), भेलवाल-सराय पांडेय से परीवां दुर्गागंज मार्ग, हसनपुर से पुरदेवीदास मार्ग को शामिल कर श्रम-शक्ति का उपयोग कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा। हैदरगढ़ से दीवानगंज तथा दीवानगंज से शिवगढ़ मार्ग पर ६,५६,००० रु० व्यय कर के रिसर्च विभाग द्वारा पक्का बनाया जायगा और बहराइच से बांदा तक घोषित स्टेट हाई वेज रोड का छूटा हुआ हैदरगढ़ से महराजगंज तक का कच्चा मार्ग पक्का बनाने का निश्चय किया गया है जिसके सर्वेक्षण और

क्रम-संख्या	प्रस्तावक	संशोधन

स्टीमेट तैयार करने का आदेश दे दिया गया है जिस पर लगभग २७ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। सिंचाई विभाग द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था की जा रही है। लेल्होरा-बंमरौली झील, फीरोजाबाद झील, खमनखेरा रामनगर के पास की झील, सरायपांडे मार्गतपुर झीलों के पानी के निकास के लिए ड्रेन बनाने की योजना बनाई गई है। बेला बारीखेरा झील के पानी के निकास के लिए गोमती नदी तक ड्रेन का विस्तार किया जा रहा है और इस पर सीठूमऊ के पास एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। बीजापुर के पास टीकारामन सीढ़ मऊ मार्ग पर भी एक नाले पर पुल बनाने का प्रस्ताव है। शारदा-कैनाल की हैदरगढ़-जौनपुर शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर हसवापुर के पास भी एक पक्का पुल बनाया जा रहा है। लखनऊ-सुल्तानपुर डिवीजन में पानी के अभाव को दूर करने के लिए गोमती नदी के अवसानेश्वर घाट पर एक पम्प कैनाल बनाने का निश्चय किया गया है जिसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

पोखरा चौबीसी, कमेला, गेरावां, शिव नाम, अहिरगांव में आगामी योजना में चिकित्सालयों की व्यवस्था की जायगी।

गेरावां, नटवीरन कमेला, या अहमदपुर, पोखरा ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल तथा हैदरगढ़ या त्रिवेदीगंज में नार्मल स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है। चौबीसी, सराय रावत, दहिल, भेलवल, कबूलपुर, त्रिलोकपुर में जूनियर हाई स्कूल खोले जा चुके हैं। हैदरगढ़ का तहसील कार्यालय अत्यन्त जीर्ण दशा में है। इसके भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है और इस तहसील में हुई अवर्षण से क्षति के उपलक्ष्य में लगभग ढाई लाख रुपया लगान का माफ किया जा रहा है। चौथी योजना-काल में हैदरगढ़ में एक हैवी इण्डस्ट्री लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बाराबंकी जिले में आई० टी० आई० की व्यवस्था नहीं है, यहां टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एक संस्था खोलने का प्रस्ताव है। सिद्धौर से सुबेहा मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है जिस पर घटमापुर के पास एक राड़ी नाले पर पक्का पुल भी बनाया जायगा और गोमती नदी पर भी इस सड़क के सुबेहा के समीप एक पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन

क्रम-संख्या	प्रस्तावक	संशोधन
	श्री रामकिशोर त्रिपाठी	है। हथौंघा से सैदखानपुर कोट वाघाम मार्ग को भी पक्का बनाया जायगा और कल्याणी नदी पर भी एक पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव है। विद्युत् विभाग द्वारा हैदरगढ़ से भेलवल मौलाबाद तक दहिला से शिवनाम, खैराकनकु, हसवापुर, हैदरगढ़ से बहुता लाही तक बहुत से पोखरा रामनगर, हसनपुर, फिरोजाबाद, बडवल, गनहरी, नादही, पूरेदेवी दास, दुर्गागंज तक लोनेट कटरा से कान्हीं, त्रिलोकपुर तक तथा हैदरगढ़ से पेचरुवा, बीजापुर, कमेला, सुबेहा तक तथा हैदरगढ़ से इन्हौना तक विद्युत लाइन ले जाने की योजना है। पशुपालन विभाग द्वारा फतेहपुर, कबूलपुर (बहुता), हसवापुर (खैराकनक) में छप्पन-छप्पन हजार की लागत से पशु औषधालय बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है और बमरौली, दांदूपुर, कमेला या थलवारा, अहिरगांव, रेहरा, सुबेहा, गेरावांबलीपुर, रामनगर, दुर्गागंज में उक्त औषधालयों के उप केंद्रों की स्थापना की जा रही है जहां पर पशुओं की नस्ल सुधार, चिकित्सा तथा हरे चारे की व्यवस्था आदि का व्यापक रूप से कार्य किया जायगा। गंगागंज-इन्हौना तथ हैदरगढ़ में भी बड़े पैमाने पर उक्त औषधालय के निर्माण का प्रस्ताव है। नहर विभाग द्वारा शिवगढ़ ड्रेन लगभग ४ लाख रुपया ड्रेन तथा पुलों के निर्माण पर तथा टिकरा झील के पानी के निकास के लिये ड्रेन पुलों पर लगभग १ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। लाही के पास सुखेना ताल के पानी के जा रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये हैदरगढ़ तहसील को सघन विकास कार्यक्रम में शामिल कर कृश प्रोग्राम चलाने का निश्चय किया गया है और इस क्षेत्र में छोटे उद्योग-धंधे प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकारी कर्मचारियों के लिये जो पे कमेटी की रिपोर्ट मिली थी और जो बढ़ोत्तरी की सिफारिशें की गई थीं उसके संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन तत्काल प्रदान किया जाय।"
८—श्री श्यामलाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "(१) किन्तु खेद है कि भूमि-हीनों को भूमि देने तथा उनके द्वारा उपज बढ़ाने के बारे में सम्बोधन के दरमियान एक शब्द भी नहीं कहा गया जब कि उपज बढ़ाने वाले यही लोग हैं और बेकारी के भी शिकार हैं और दूसरी ओर जिनके पास काफी जमीनें हैं और स्वयं हल नहीं चलाते, वही लोग घूमः फिरा कर

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		अधिक जमीन और हथिया लिये हैं और बहुत-सी जमीन परती पड़ी रहती है, हर साल । (२) अनुसूचित जातियों के हित के लिये बहुत सी व्यवस्थायें सम्बोधन-भाषण में बतायी गयीं, पर छुआछूत दिन-प्रति-दिन देहातों में बढ़ता ही जा रहा है, इसे दूर करने का कोई ठोस और ठोस सुझाव नहीं दिया गया । (३) नियोजन के फायदों के बारे में कुछ बातें अवश्य सम्बोधन-भाषण में बतायी गयीं पर करोड़ों रुपये नियोजन के नाम पर जो तथाकथित सुधारक बी०डी०ओ० तथा उनकी कम्पनी द्वारा जो हजम कर लिया जा रहा है, इसके रोक थाम के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा । (४) सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जो रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की थी लगभग १ साल हो गया, उसे लागू नहीं किया गया ।"
९—श्री उमाशंकर (आजमगढ़) (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के सिंचाई विभाग तथा राज पत्रित अधिकारियों में जो भयंकर भ्रष्टाचार फैला है उसके निवारण की ओर सरकार का ध्यान नहीं आकृष्ट किया ।"
१०—श्री दौलतलाल तथा श्री बांकेलाल । (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों का समावेश अपने सम्बोधन अभिभाषण में नहीं किया : (१) प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उचित दाम पर न मिलना, (२) तालाबन्दी, बोनस, छटनी तथा बड़े पैमाने पर श्रमिकों में फैलने वाली बेकारी, (३) प्रांतीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के ग्रेड स्केल को केंद्रीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के अनुरूप करने तथा चिकित्सा विभाग के अन्दर विशेषज्ञ केडर बनाने की बात, (४) लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद के छात्रों पर पुलिस अत्याचार तथा गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के श्रमिकों पर बर्बर गोलीकांड तथा वाराणसी के दशाश्वमेध पुलिस द्वारा काशी विश्वविद्यालय के छात्रों को बुरी तरह पीटा जाना, (५) सरकारी पार्टी के अन्दर भयानक दलबन्दी के कारण प्रदेशीय शासन में घोर शिथिलता, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला, (६) वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट को निम्न सरकारी कर्मचारियों पर अभी तक लागू न किया जाना,

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(७) प्रदेश की महानगरपालिकाओं के प्रशासन को अध्यादेश के माध्यम से प्रशासकों के हाथ में देना तथा बार-बार चुनाव टाल कर जनतंत्र की हत्या करना,
		(८) उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित न हों, इसके लिये अध्यादेशों का जारी करना,
		(९) १० हजार सरकारी कर्मचारियों का अतिरिक्त घोषित किया जाना तथा सरकारी आश्वासन के बावजूद प्रांत के चुनाव कार्यालयों के टाइपिस्ट तथा डुप्लीकेटर्स का अलग होने के बाद काम पर वापस न लिया जाना,
		(१०) संकट कालीन स्थिति के नाम पर किसानों पर मालगुजारी तथा नहर रेट का बढ़ाया जाना तथा भूमि-भवन कर में वृद्धि,
		(११) गन्ने की कीमत बढ़ाने के संबंध में,
		(१२) कारखानों के मजदूरों की मजदूरी तथा गल्ले की कीमत के सामंजस्य के विषय में ।"
११--श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री मन्नालाल । (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गिरे हुए कृषि उत्पादन का तो उल्लेख किया परन्तु उसके कारण किसानों के लिये किसी ऐसी नई नीति की घोषणा नहीं की जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सके"
१२--श्री दीपनारायणसिंह । (उपस्थित किया हुआ माना गया)		महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके अन्त में निम्नशब्द जोड़ दिये जायं:— किन्तु सखेद कहना पड़ रहा है कि : महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने अपने विस्तृत व विद्वता-पूर्ण भाषण में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला : (१) यह कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल सतारूढ़ दल के दो परस्पर विरोधी गुटों के लोगों के अनमेल मिश्रण से निर्मित होने के कारण जनता के हितों की रक्षा करने, राज्य की सर्वांगीण प्रगति करने, खाद्य समस्या को सुलझाने, जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों को जन साधारण की क्रय-शक्ति के अनुरूप लाने, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, कुनबापरस्ती मिटाने, प्रशासन को शुद्ध एवं जनवादी बनाने तथा राष्ट्र को शक्ति एवं एकता प्रदान करने और राज्य को सच्चे समाजवादी मार्ग पर ले जाने के मार्ग पर अग्रसर करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने में असमर्थ रहा है । यही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मंत्रि-मंडलीय दलगत के दलदल से ऊपर उठ कर स्वविवेक व बन्धन मुक्त होकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की अपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर नहीं मिल सका । परिणाम यह हुआ है कि शासन और प्रशासन के के दोनों क्षेत्रों में योग्य, ईमानदार व निष्पक्ष परिश्रमी व्यक्तियों

क्रम सं०	प्रस्तावक	संशोधन
	श्री दीपनारायण सिंह	को उपेक्षा व हतोत्साह के ही दर्शन मिले हैं और अयोग्य, भ्रष्ट व पक्षपाती तत्वों को प्रोत्साहन मिला है। नौकरशाही व नेताशाही के बीच जनवाद, समाजवाद जनहित, विरोधी संघर्ष व तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया है,
		(२) यह कि चीनी धमकियों व पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में जहां परिश्रमी किसानों, मजदूरों, मध्यवर्गीय सरकारी व गैर सरकारी लोगों ने देशभक्त बहादुर फौजी जवानों की हर तरह की अधिकतम सहायता देकर अभूतपूर्व त्याग का परिचय दिया है वहां काम चोर भ्रष्ट इंजीनियरों व अन्य प्रशासकीय अधिकारियों ने भ्रष्ट व्यापारियों व भ्रष्ट उद्योगपतियों से सांठ-गांठ करके व भ्रष्ट नेताशाही के कृपापात्र बनकर उक्त देश भक्त बहु संख्यक जनता को और अधिक लूटने व स्वयं मालामाल बनने की अपनी राष्ट्रघातक कार्यवाहियों को तेज कर दिया है। ईमानदार मंत्री व नेता भी उक्त भ्रष्ट वातावरण से क्षुब्ध होकर भगवान भरोसे ही रह कर अपने को अशक्त घोषित करने लगे हैं। निराशा की इस स्थिति का निराकरण करने के लिये कोई ठोस कदम महामहिम राज्यपाल महोदय की सरकार ने अभी तक नहीं उठाया,
		(३) यह कि उक्त घातक स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकतर कार्यकर्ता व हर क्षेत्र का कलाकार छुटभइया नेता केवल व्यक्तिगत लाभ को ही देश, राज्य, जिले व क्षेत्र की जनता का लाभ मानने लगा है। यह बढ़ती हुई दूषित मनोवृत्ति पूंजीवाद की "लाभम शुभम" की व्यक्ति वादिनी, जनवाद विरोधिनी प्रवृत्ति है जो समाजवाद के लक्ष्य से हमें कोसों दूर ले जा रही है। इसको रोक-थाम समय पर ही अत्यन्त आवश्यक है,
		(४) यह कि ताशकन्द घोषणा की पृष्ठभूमि में आन्तरिक सुधार, खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता, औद्योगीकरण, समाजवादी समाज की रचना करने की कोई ठोस योजना नहीं बताई गई,
		(५) यह कि अत्यन्त पिछड़े फतेहपुर जैसे जिले की कृषि उद्योग व यातायात सुधारने, सिंचाई के लिये नलकूपों की अति आवश्यक व्यवस्था करने, समय पर फसलों को पानी देने व केवल प्रकृति भरोसे न रहने की कोई आशापूर्ण योजना नहीं बताई गई। पूंजीपति, उद्योगपतियों की तरह अत्यन्त अल्प ब्याज पर उन्हीं सहूलियतों के साथ, जो उद्योग चलाने वाले पूंजीपतियों को दी जा रही है, कृषकों को भी सरकारी ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। कृषक अब भी उपेक्षित है। यही कारण है कि खाद्योत्पादन गिरता ही जा रहा है,
		(६) यह कि बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के काम व बड़े-बड़े सरकारी कार्यालय कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े नगरों के

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन

जिलों में ही खोले जा रहे हैं, और केवल कृषि पर आधारित, यातायात के समुचित साधनों से वंचित, नलकपों के साधन से सर्वथा विहीन गंगा यमुना के बीच में स्थित ब्रह्मवर्त के नाम से कभी प्रसिद्ध ११ लाख की आबादी के फतेहपुर जिले को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल भी नहीं किया गया जब कि इलाहाबाद जैसे अपेक्षाकृत अधिक उन्नत जिले को पिछड़े हुए क्षेत्रों में शामिल करके अब तक अधिक से अधिक सरकारी आर्थिक सहायताएं दी जा रही हैं। इसका साफ अर्थ है कि इस फतेहपुर जिले को इलाहाबाद व कानपुर जैसे नेताओं व उद्योगपतियों के उन्नत जिलों के बीच पिसा हुआ व दबा हुआ, पिछड़ेपन की कराह भरी आह भरने को अब भी छोड़ दिया गया है, जब कि जिला फतेहपुर की परिश्रमी जनता कृषि व उद्योग में रत रह कर राज्य के अधिक उन्नत जिलों की जनता के समकक्ष आने के लिये उतावली है और अधिक से अधिक त्याग व परिश्रम करने को तैयार हैं,

(७) यह कि प्रशासन से कुनबा-परवरी व भ्रष्टाचार मिटाने के लिये राज्य व जिलों के हर विभाग के उच्च अधिकारी दूरस्थ मद्रास जैसे राज्यों के निवासी ही रखने की अति आवश्यक प्रणाली इस कारण अमल में नहीं लाई गई है कि भविष्य में भी दलों के शासक नेता अपने रिश्तेदारों व जाति वालों को ही अयोग्य व पक्षपाती होने पर भी उच्च स्थान देने की गलत नीति नहीं त्यागना चाहते। यही कारण है कि उपेक्षित व पीड़ित, बैकवर्ड, व हरिजन जातियों में शासन के प्रति घोर रोष फैला हुआ है,

(८) यह कि महामहिम राज्य पाल महोदय के अभिभाषण में प्रशासन व शासन तथा जनवादी क्षेत्रों में शुद्धता, निर्मलता, क्षमता, व त्याग व योग्यता भरने की किसी योजना की ओर संकेत नहीं किया गया।"

१३—श्री खेम चन्द्र, श्री भगवानदास यादवेन्दु, श्री बनवारी लाल विप्र तथा श्री भूप सिंह।

(उपस्थित किया हुआ माना गया।)

महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में:

(१) खाद्यान्नों के उचित संवितरण एवं आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों,

(२) श्रमिकों विशेषतः खेतिहर श्रमिकों के हितों तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने,

(३) सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त सुविधाओं एवं वेतन वृद्धियों,

(४) अनुसूचित जातियों के संरक्षित स्थानों की अपूर्ति, उनके ऊपर देहातों में होने वाले अत्याचारों, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्याशित परीक्षाओं के निमित्त प्रदत्त सुविधाओं की कटौती

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अप्रयोग एवं उसके अन्तर्गत अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही न होने, (५) आयुर्वेदिक स्नातकों एवं मेडिकल कालेज के स्नातकों के वेतन-क्रम आदि के विभेदों, (६) प्रदेश में व्याप्त अपराधों की वृद्धि और उनके रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता, (७) भ्रष्टाचार को रोकने, (८) मंत्रियों की नौकरशाही पर निर्भरता, (९) बढ़ते करों एवं पूंजीपतियों द्वारा करों की चोरी और शेष करों की वसूली, और (१०) किसानों के मनोबल को बढ़ाकर उत्पादन वृद्धि के संबंध में, समुचित चर्चा एवं सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रभावी कार्यों का वर्णन नहीं किया।"
१४ श्री रामचन्द्र विकल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बढ़े हुए २५ प्रतिशत लगान को वापस लेने का आश्वासन नहीं दिया और न ही उस संबंध में कोई जिक्र ही किया। अनावर्षण के कारण प्रदेश के किसानों के संमुख उपस्थित छिन्न-भिन्न आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह अनिवार्य था।"
१५ श्री लखपतराम शर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया।)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आशा थी कि वह प्रदेश में चारों ओर फैली हुई भीषण बेकारी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, गरीबी तथा टैक्सों के बोझ से जिस प्रकार जनता आये दिन परेशान है पर भी प्रकाश डालेंगे व उसके उपाय भी सदन के संमुख रखेंगे, किन्तु खेद है कि वह उसे पूरा करने में पूर्णतया असफल रहे, एवं महामहिम का भाषण जनता को राहत न पहुंचा कर सन् १९६७ में आने वाले आम चुनाव के हेतु प्रचार का ही केवल एक अंग बनकर रह गया है, (२) प्रदेश में न्याय पालिका व कार्यपालिका पृथक-पृथक किये जाने की वर्षों से मांग की जा रही है, उस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया, (३) प्रदेश की गरीब जनता आये दिन बढ़ती हुई महंगाई व जिस प्रकार रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी बड़े पैमाने पर ब्लैक चल रहा है, खरीदने में असमर्थ है, उस पर भी माननीय राज्यपाल के भाषण में खामोशी ही रही है, (४) भूमि-भवन कर टैक्स व किसानों पर बढाया हुआ लगान जनता देने में असमर्थ है। माननीय राज्यपाल के भाषण में वापसी की घोषणा न किये जाने के कारण जनता में तीव्र असंतोष है,

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(५) माननीय राज्यपाल द्वारा कुछ समय पूर्व के सरकारी दौरे के समय झांसी में बुन्देलखन्ड के पिछड़ेपन व उसकी गरीबी को देखते हुए वहां रेलवे बैगन फैक्टरी खोले जाने का आश्वासन दिया गया था जिसे राज्यपाल पूरा करने में असमर्थ रहे ,
		(६) प्रदेश में डाकू समस्या व सुरक्षा समस्याओं पर भी माननीय राज्यपाल द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया,
		(७) प्रदेश में संकट के समय में भी जिस प्रकार बन्दूकों व कारतूसों पर खरीद में बड़े पैमाने पर ब्लैक हो रहा है, माननीय राज्यपाल द्वारा उक्त जनहित के महत्पूर्ण विषय पर भी प्रकाश नहीं डाला गया,
		(८) माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदेश के संकट के समय में भी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के बीच कार्य में सतर्कता लाना आवश्यक था उस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया ।"
१६	श्री मन्नालाल	श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:
(उपस्थित किया हुआ माना गया)		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:
		(१) भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने का उल्लेख नहीं किया,
		(२) गरीब भूमिहीन हरिजनों के लिये कोई भी कार्य दिलाने का उल्लेख नहीं किया,
		(३) कृषि खाद्यान्न बढ़ाने हेतु नये नलकूप और लगवाने का उल्लेख नहीं किया,
		(४) इस वर्ष कम वर्षा तथा जाड़े की वर्षा न होने के कारण तथा पाला पड़ने के कारण फसल रबी भी मारी गई, जिससे गरीब किसानों को लगान में छूट देने का उल्लेख नहीं किया,
		(५) चकबन्दी तथा पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया,
		(७) ग्राम समाज की पड़ी हुई भूमि पर जबरदस्त तथा अधिक जोत वाले लोग कब्जा किये हुए हैं तथा करने जा रहे हैं, उन्हें रोक कर गरीब भूमिहीन कृषकों को दिलाने का संबंधित अधिकारियों का कोई आदेश का उल्लेख नहीं किया,
		(७) ग्रामीण अनपढ़ जनता के महान कष्ट को जिला स्तर पर संबंधित अधिकारीगण द्वारा सुनने से सदैव उपेक्षा की जाती है, उन्हें राहत दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया,
		(८) परिगणित जाति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके अधिकारीगण अपने आदमियों को रखने से रोकने का कोई भी उल्लेख नहीं किया ,

क्रम सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(९) हरिजनों का १८ प्रतिशत कोटा पूरा कराने के लिये संबंधित अधिकारियों को विधान के अनुसार कड़ाई से पालन करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।"
१७	श्री रामकिशोर वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का कोई उल्लेख नहीं किया,

(१) प्रदेशीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, एवं पंचायत मंत्रियों के लिये कोई वेतन अभिनवीकरण समिति इस भीषण महंगाई के समय में भी नियुक्त करने का संकेत नहीं किया, और न किसी अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा ही की, जब कि समस्यायें एक जैसी हैं,

(२) चालू वित्तीय वर्ष में, ग्रामीण अंचलों में स्थापित किये जाने वाले जन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की जिनकी स्थापना का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया, स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की ओर ध्यान नहीं दिया,

(३) अधिक अन्नोत्पादन के लिये इस वर्ष खरीफ और रबी फसल के लिये करोड़ों रुपयों की धनराशि व्यय करने के बाद अकुशल अधिकारियों की लापरवाही से कोई उपलब्धि प्राप्त होने के विपरीत नुकसान हुआ, की ओर कोई संकेत नहीं किया,

(४) अधिक अन्नोत्पादन के निमित्त ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य हेतु लाखों एकड़ उपलब्ध भूमि को जिसमें सुगमता से कृषि की जा सकती है, कृषि कार्य प्रयोगानार्थ कृषकों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान कर भूमि प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(५) अगले वित्तीय वर्ष से हाई स्कूल तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की सुविधा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया जब कि बालिकाओं के हेतु उपलब्ध हो चुकी है,

(६) संकटकालीन समय पर इस वर्ष कृषकों पर आरोपित लगान पर अभिभार विधेयक को इस स्थिति पर भी जब ताशकन्द घोषणा की तह में संकट-कालीन परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं, से कृषकों को मुक्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(७) उन राजनैतिक पीड़ितों को जिन्होंने स्वाधीनता-संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार, संपत्ति एवं हितों की तरवाह नहीं की और वह केवल १ बार वह भी ६ माह से कम समय की जेल यात्रा की है, किन्तु इस समय शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाइयों से त्रस्त हैं, को भी राजनैतिक पेंशन प्रदान किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं किया,

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
		(८) राजनैतिक गुटबन्दी से लिप्त जातीयता से प्रभावित कर्तव्यों से विरत एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले उन जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित एवं स्थानान्तरण करने का जिनकी उक्त नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार, असंतोष, अराजकता को प्रश्रय मिला तथा अन्नोत्पादन विकास जैसे कार्यों को विशेष क्षति हुई, का कोई उल्लेख नहीं किया,
		(९) होम गार्ड की भांति प्रान्तीय रक्षक दल को भी जब कि दोनों का एक सा ही कार्य है सुविधायें दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रान्तीय रक्षक दल के प्रति लोगों में उत्साह हीनता को प्रश्रय मिल रहा है,
		(१०) विकास कार्य हेतु नियुक्त ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों को इसलिये एक ऐसी वेशभूषा निश्चित करने की आवश्यकता है जिससे वह अपने को कृषकों में खपा सकें जिससे दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें, का कोई उल्लेख नहीं किया,
		(११) प्रशासन में व्यय की कमी लाने के लिये जिससे बचत की धनराशि अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय की जा सके, अनुपयोगी विभागों जैसे आयुक्त मन्डल, सूचना विभाग, सेवा योजन कार्यालय, आदि-आदि को समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,
		(१२) लोअर गंगा नहर फतेहपुर, जिले की बिन्दकी तहसील अन्तर्गत, नामामऊ नामक स्थान में वृहद् रूप से कट जाने से हजारों एकड़ जमीन में खड़ी रबी की फसल कई ग्रामों की सड़ गई या बह गई, कई गांवों में सैकड़ों ग्राम क्षतिग्रस्त हुए, इसके पूर्व भी विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसी स्थिति उन्हीं ग्रामों में उत्पन्न हो चुकी है, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं क्षतिग्रस्त कृषकों को क्षति पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया,
		(१३) स्टार प्रिंट सूत्र योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिये सड़क निर्मित किये जाने की एक सीमा निश्चित की गई थी, कुछ नीतियों को सामने रखकर, किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर उक्त योजना के विपरीत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ही कुछ जिलों में इतनी अधिक सड़कें निर्मित करा दीं जो योजना से ड्योढ़ी और दूनी हैं, किन्तु फतेहपुर जैसे अविकसित प्रभावहीन जिले में ठीक इसके विपरीत इतनी कम सड़कें निर्मित कराई कि वह योजना से आधी ही हुई, ऐसी परिस्थिति में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जिन जिलों में अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं उस समय तक उन जिलों में कोई सड़कें नहीं बनाई जावेंगी जब तक जिनमें योजनान्तर्गत सड़कें पूरी नहीं की गई, पूरी न हो जावेंगी,
		(१४) कृषकों को सिंचाई हेतु सुगमता पूर्वक कनेक्शन देने एवं बिजली रेट कम किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया।

क्रम-सं०	प्रस्तावक	संशोधन
१८	श्री ऊदल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है : (१) वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में, माजूबीर वाराणसी से सिधोरा, केराकत, २--बसनी से ताड़ी नेवादा, ३--मोराशाह से कठिरांव से भडियाहूं, जौनपुर, ४--बाबतपुर से बड़ागांव, अनेई कालिका धाम, तक की कच्ची सड़कों को सार्वजनिक विभाग द्वारा आज तक बनवाने की ओर ध्यान नहीं दिया और न तो जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ही लिया गया है। इस क्षेत्र में पक्की सड़कों के अभाव में किसानों को महान कष्ट हो रहा है। इन सड़कों को जल्द से जल्द बनवाना, (२) वाराणसी में पंचकोसी सड़क जिस पर पूरे देश के लोग पंचकोश करने के लिये आते हैं इसकी हालत बहुत ही खराब है इस महत्वपूर्ण सड़क की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इस पर ध्यान देना, (३) बाबतपुर अनेई कालिका धाम होते हुए जो कच्ची सड़क तमाचा बाद पक्की रोड में मिलती है, उसको कालिका धाम में वरुणा नदी काटती है, वहां पर एक पुल की अति आवश्यकता है उसकी ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इस पुल को जल्द बनवाना, (४) वाराणसी जिले में तथा पूरे प्रदेश को ब्लाकों में शिक्षा तथा दूसरे कार्यों के लिये डेवलपमेंट ग्रांट ठीक से नहीं दिया जा रहा है जिसका नतीजा हो है रहा कि प्राइमरी स्कूलों की इमारतें तथा अध्यापिकाओं के आवास गृह अधूरे पड़े हुए हैं इसको पूरा किया जावे, (५) लड़कियों की शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों का बहुत ही अभाव है, इसकी ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा सहशिक्षा के स्कूलों में अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता न देना और लड़कियों के पाठशालाओं में ग्रामीण भत्ता देना यह भेद भाव पूरे प्रदेश में है, इसको समान करने के लिये आज तक कोशिश न करना। इस भेद भाव को जल्द खत्म करना, (६) पूरे प्रदेश में किसानों के ऊपर बढ़े हुए २५ फीसदी लगान को वापस लेने के संबंध में घोषणा न करना।"
१९	श्री राधेश्याम शर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है : सरकार ने खेती के कार्य के लिये सन् १९६६-६७ में ३५-९० करोड़ रुपया की व्यवस्था की है जिसमें लघु सिंचाई योजनाओं को २०-८० करोड़ रुपया है। बड़ी तथा मध्य योजनाओं के लिये

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन

१४–१५ करोड़ रुपया है। परन्तु इतनी रकम खर्च करने के बाद भी कृषि की उन्नत एक अंश भी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि अब की बार सन् १९६५–६६ में अब तक प्रदेश भर की नहरें रजवाहे सूखे पड़े रहे हैं। ट्यूबवेलों ने भी पानी ठीक से नहीं दिया है। सन् ४१ से भी कम सिंचाई अब की बार प्रदेश में हुई है। इससे आने वाली रबी की फसल में प्रदेश में पिछले साल से भी बहुत कम होगी। लघु सिंचाई योजनाओं के लिये जो प्रदेश भर में सिंचाई के साधन जैसे पम्पिग सेट, रहट, प्राइवेट टयूबवेल, कुयें आदि के लिये वर्तमान प्रणाली लैन्ड मारगेज बैन्क से जो कर्जा दिया जाता है, उसमें से कम से कम चौथाई तो ब्लाक व कोआपरेटिव के कर्मचारी ही किसान से जल्दी रुपया दिलाने का प्रलोभन देकर खा जाते हैं। इसमें जितनी धांधली बरती जा रही है उससे लघु सिंचाई योजनाओं के नाम पर प्रदेश के किसानों का गला घोंटा जा रहा है। इस कर्जे के फार्म में इतने व्यर्थ के खाने हैं जिन्हें साधारण किसान १ माह में तो रोज-रोज ब्लाक अधिकारी, लेखपाल, ग्राम सेवक, चकबन्दी कर्मचारी के पास दौड़-दौड़ कर जाने में पूरा करा पाता है। सिंचाई के साधनों का दिन प्रति दिन बुरा हाल होता जा रहा है। पश्चिमी जिलों में मांट ब्रांच नहर व उसकी प्रशाखाओं ने तो अब की बार सारे प्रदेश के पुराने सभी रिकार्डों को तोड़ दिया। सारी रबी की फसल की बुआई से अब तक एक भी पानी अच्छी तरह किसानों ने खेतों में नहीं दिया है।

सारे प्रदेश में कोआपरेटिव बैन्कों के कर्जे से जो बुरी तरह किसानों को लाद दिया है उसका सही उपयोग रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। हजारों किसानों की हर जिले में एक पाई भी इन बैन्कों से कर्जा न लेने पर भी फरजी कुरकी व वसूली की जा रही है। कोआपरेटिव बैन्क ने प्रदेश भर में पुराने साहूकारों के जुल्मों को अपने जुल्मों से भुला दिया है और सर्वत्र प्रान्त भर में किसानों में हाहाकार मचा है।

किसानों में संकट काल में लगान पर चार आना रुपया बढ़ाया गया। विरोधी पार्टियों का मुंह भी बन्द रहा, परन्तु अब लड़ाई कहीं भी किसी जगह नहीं है, फौजें हट रही हैं, अमन का ढोल सरकार ने चारों ओर पीट दिया है। अतः फौजों के हटने के साथ साथ लगान की बढ़ी हुई चवन्नी भी अविलम्ब हटनी चाहिये, क्योंकि जब लड़ाई नहीं तो बड़ी हुई चवन्नी भी नहीं। यह ध्वनि प्रदेश के करोड़ों किसानों के मुंह से निकल रही है।

भ्रष्टाचार रोकने और उसे समाप्त करके एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार पूरी तरह से सजग है। यह वाक्य बिलकुल गलत है सारे प्रदेश में चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी, पुलिस जुल्म, गुन्डागर्दी, बेकारी, भुखमरी, प्रशासन के हर क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में ऐसा लगता है कि पूरी अराजकता है। सरकार बिलकुल

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन
श्री राधेश्याम शर्मा		उदासीन तथा पथभ्रष्ट हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश के सरकार चलाने वाले लोगों में आपसी कलह, टूट-फूट, पार्टी बन्दी, कुर्सी के भारी झगड़े फैले हुए हैं जिससे प्रदेश की पूरी नौकरशाही मस्त हाथी की तरह निरंकुश बिचर रही है। गरीब जनता इस नौकरशाही के जुल्मों से दिन प्रति दिन पिसती चली जा रही है। सारे प्रदेश में करोड़ों रुपये विकास के नाम पर खर्च किया जा रहा है परन्तु उसका लाभ प्रशासन का असली मालिक किसान मजदूर को रत्ती भर नहीं मिल पा रहा है। मथुरा जिले के मांट क्षेत्र में एक पटवाया नाला है जिसमें हर साल वर्ष में कितने ही मवेशी व आदमी डूब मरते हैं। उस पर दो जगह पुलों का बांधना निहायत जरूरी है। एक पिटौरा से बरौठ पालखेड़ा मार्ग पर जिसे दो सालों से बजट में रखा गया है परन्तु नहीं बंधा है, दूसरा कांकरगढ़ी-बरौठ के बीच मार्ग पर इस क्षेत्र में नौहझील खादर में जहां बांध लगा है वहां तथा उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में बिजली लगनी तथा सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगना निहायत आवश्यक है। इसी तरह अकबरपुर सामौली, सरकोरिया, सुरखुए, हरनौल, नहरकोठी, सिटी के आस-पास गांवों की हजारों एकड़ जमीन ऊसर की ने रेहीली कर दी है। कोई भी फसल पैदा नहीं होती है फिर भी सरकारी लगान देना पड़ता है। अतः इस भूमि को ऊसर बन्दी योजना में शामिल किया जाय। क्षेत्र में तीन ओर से बिजली पहुंच चुकी है। अतः इसका विस्तार अतिशीघ्र कम से कम १०० गावों में और होना चाहिये जिससे अन्न उत्पादन में भारी सहायता मिल सके। क्षेत्र में तीन सड़कों का बनना अविलम्ब निहायत जरूरी है जिसकी सारी प्रारम्भिक कार्यवाहियों के नीचे से पास होकर सरकार के पास आ चुकी है। राया ब्लाक राया से आयरा खेड़ा नींवगांव तक मांट ब्लाक में कराहरी से अकबरपुर खैर जिला अलीगढ़ तक नौहझील ब्लाक में मोरकी बाजना इन्टर कालेज से मानागढ़ी गांव तक। गरकी की दृष्टि से जो ४२ मील की प्रस्तावित मास्टर प्लान अन्तर्गत इस क्षेत्र में जो पारसाल नाले खुदे हैं। उनमें नींवगांव शेरनी ड्रेन व सतकपुर ड्रेन बकाया है, वह अति शीघ्र आने वाली वर्षा से पहिले खुदवाना निहायत जरूरी है। नींवगांव तथा उसके आसपास १७ साल से गरकी से तबाह हो रहा है। मांट ब्रांच पर एक पुल नगला बीरबला के बराबर अवश्य बनना चाहिये। नावली के पास के नाले का पुल टूटा पड़ा है जिससे जनता को भारी कष्ट है, उसका बनना तथाइस नाले का रिमोडलिंग होना निहायत जरूरी है। इसी तरह तुलागढ़ी ड्रेन का रिमोडलिंग होना चाहिये। सुरीर तथा उसके पास भिदौनी, औहावा भौजी का नगला परसोती गढ़ी आदि सब गांवों के लिये खेती की सिंचाई का प्रबन्ध जैसे भी हो होना निहायत जरूरी है। बिजली पहुंचने पर प्राइवेट ट्यूबवेल आसानी से लग सकते हैं।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन
	श्री राधेश्याम शर्मा--	दोनों जमुना नदी के दीपों के पुल शेरगढ़, नौहझील तथा मांट, बृन्दावन का पक्का होना निहायत जरूरी है। वैसे भी मांट क्षेत्र को शेरगढ़ क्षेत्र छाता तहसील में मिला दिया है जिसके आवागमन में जमुना नदी बहुत बाधक रहेगी। क्षेत्र में विद्यालयों की बहुत कमी है। मोरकी इन्टर कालेज को बाजना डिग्री कालेज बनाया जाय तथा जूनियर हाई स्कूल अधिक खोले जायं। ग्राम जेसवां में जूनियर हाई स्कूल बनना निहायत आव यक है। क्षेत्र में श्रमिकों की बेकारी के लिये कोई अच्छा उद्योग धंधा कृषि यंत्र बनाने आदि का बड़े पैमाने पर क्षेत्र के मध्य में अवश्य बनाया जाय। जिसके लिये सुरीर मांट व नौह झील तीनों में से कोई एक स्थान उपयुक्त रहेगा। मांट क्षेत्र में चकबन्दी के बाद पुरानी गूलें, कुलावें, चकरोड़ गलत नाप कूत गलत बारबन्दी आदि के भारी झगड़े फैले हुए हैं। उन्हें अति शीघ्रता से निपटाया जाय और भ्रष्ट चकबन्दी अधिकारियों को जिनकी जनता ने शिकायतें की हैं उन्हें निष्पक्ष जांच कर मुहकमें से निकाला जाय तथा दोष सिद्ध होने पर दन्ड दिया जाय।
२० श्री नत्थूराम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	शिक्षक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नैतिक उत्थान के लिये कोई सुझाव नहीं दिया।"
२१ श्री बलवानसिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में- (१) गरीबों पर उनकी शक्ति से अधिक टैक्स लगाकर उनका शोषण न किया जायगा तथा माल गुजारी में छूट दे दी जायगी, (२) चपरासियों के मकान भत्ता में कमी जो की गई है उसको पूरा करने के बारे में, (३) प्रदेश में शैक्षिक बेकारों की रोकथाम तथा उनको नौकरी पर लगाने तक जीवन निर्वाह भत्ता देने के बारे में, (४) ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसरों का पद समाप्त करने के लिये, (५) उत्तर प्रदेश सचिवालय में सरकारी नीति के अनुसार सरकारी सेवाओं में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का कोटा पूरा करने के बारे में, (६) राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा आर्थिक संकट काल में अधिक दौरे पर नियंत्रण लगाने के बारे में, (७) बढ़ती हुई मंहगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को मूल्य सूची के अनुसार मंहगाई भत्ता देने के बारे में, कोई चर्चा नहीं की"।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन
२२	श्री सूरज लाल गुप्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने: (१) सरकारी कर्मचारियों में व्यापक रिश्वत खोरी जिससे जनता की कमर टूट गई है उसके दूर करने की कोई व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया । (२) गोन्डा जिला नेपाल की सरहद से मिला हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है किन्तु सुरक्षा के लिये उचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । विशेष कर राप्ती नदी पर पुल बनना तथा गौरा चौराहे से उतरौला बाजार तक पक्की सड़क बनना बहुत ही अनिवार्य है । (३) गोंडा जिले में केवल एक सरकारी जनाना अस्पताल है, उतरौला तहसील में कोई जनाना अस्पताल न होने से महिलाओं को अत्यन्त असुविधा हो रही है । उतरौला बाजार में एक जनाना अस्पताल होना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया । (४) सरकार द्वारा यह महसूस किये जाने के बाद भी लखनऊ से गोन्डा जाने वाली सड़क पर घाघरा नदी पर एक पक्का पुल बनाना आवश्यक है । परन्तु इसके सर्वेक्षण तथा निर्माण के विषय में योजना बनाने का कोई जिक्र नहीं किया है । इस समय यदि धनाभाव है तो अभी से इसका सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ करना अति आवश्यक है ताकि आर्थिक उपलब्धि होने पर तुरन्त कार्य आरम्भ किया जा सके (५) गोन्डा जिला में उतरौला तहसील के बोड़ीहार, परसौना, मलमलिया, ब्रह्मपुरवा ग्रामों की भूमि राप्ती नदी के कटाव से एकाएक दोनो ओर कट गई है और जिसके बारे में वहां के निवासियों में झगड़ा लगा रहता है । उनके भूमि के फाइनल सेटिलमेन्ट करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।"

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९५ एल० ए०—१९६६—८६२ ।